राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ६] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र, १९६४ का ७९ वां दिवस [संख्या १८

मंगलवार, दिनांक २० अक्टूबर, १९६४

विधान सभा की बैठक ११.०२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री कुम्भाराम आर्य द्वारा प्रतिज्ञान

सचिव, विधान सभा (श्री अनोपसिंह) : श्री कुम्भाराम आर्य, नव-निर्वाचित सदस्य।

(श्री कुम्भाराम आर्य ने शपथ लेने के लिये ध्वनिविस्तारक यन्त्र पर बोलना प्रारम्भ किया)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of order, sir, शपथ लेने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूँ....

(पुनः श्री कुम्भाराम आर्य ने शपथ लेना प्रारम्भ किया)

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के शपथ लेने से पहले यह पूछना चाहूँगा कि....

एक माननीय सदस्य : यह शुरुआत है।

श्री भैरोंसिंह : आप शपथ लेंगे और आपको शपथ लेनी चाहिये, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं; लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि आपका इलेक्शन का रिज़ल्ट गजट में नोटीफाई हुआ या नहीं ? अगर गजट में नोटीफाई नहीं हुआ तो उससे पहले आप शपथ नहीं ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है उसके बारे में पूरी तौर से नियमों का अध्ययन किया जा चुका है और उसके पश्चात् ही यह निर्णय लिया गया है कि शपथ ली जा सकती है। नोटीफिकेशन

(श्री अध्यक्ष)

की बहस में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : पीपुल्स रिप्रेज़ेन्टेशन एक्ट में यह नियम है कि जब तक गजट नोटीफिकेशन नहीं हो, शपथ नहीं ली जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष : यह कहां तक सच है, यह बहस का प्रश्न है ।

श्री भैरोंसिंह : यह हाई कोर्ट का रूलिंग है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति उठाई है उस सम्बन्ध में सभी तरह, से सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए शपथ ली जानी उपयुक्त है । माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति है तो लिखित रूप में आपत्ति को पेश कर सकते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, बाजार) : ओथ लेने के बाद तो नहीं हो सकता ।

श्री भैरोंसिंह : जब तक किसी सदस्य का नाम गजट में नोटीफाइड नहीं हो जाए तब तक वह सदस्य आँथेन्टिक सदस्य नहीं होगा, यह पीपुल्स रिप्रेज़ेन्टेशन एक्ट में साफ है और उसके अनुसार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग भी हैं कि कोई भी माननीय सदस्य, इलेक्टेड सदस्य उस समय माना जावेगा जब उसका नाम गजट में शाया हो जावे । तभी वे अधिकृत रूप से इलेक्टेड माने जावेंगे । मगर इस सम्बन्ध में अभी तक गजट में नोटिफिकेशन नहीं निकला है । उस हालत में ये शपथ ग्रहण करें, यह उचित नहीं है । ये इलेक्टेड हुए हैं उससे मुझे खुशी है, आप शपथ लें, इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि इलेक्ट हुए हैं तो शपथ लेंगे ही । लेकिन जब तक गजट में इसका नोटिफिकेशन नहीं हो तब तक इलेक्टेड नहीं माने जावें । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि एक घन्टे के बाद शपथ ले सकते हैं । एक घन्टे में गजट नोटिफिकेशन निकल सकता है । उसके बाद आप शपथ लें तो कोई आपत्ति नहीं है ।

इसके अलावा, मैं यह भी उनसे चाहूँगा कि शपथ तो वे लेंगे ही, फिर कॉन्सटीट्यूशन की मर्जी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेन्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स के जजमेन्ट्स और वर्डिक्ट्स हुए हैं उनकी अवहेलना नहीं करें तो उचित होगा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): आपका रूलिंग है वह सर्व मान्य है । लेकिन मैं जहां तक मानता हूं, अगर कोई व्यक्ति जब तक वह घोषणा गजट में पब्लिश नहीं हो तब तक मेरे ख्याल से वैधानिक दृष्टिकोण से वह व्यक्ति पूर्ण रूप से निर्वाचित नहीं समझा जाता । जहां तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार मैं आपको इतना अवश्य निवेदन करूंगा, लेकिन इसके उपरान्त भी अगर आपने पूरी जानकारी कर ली होगी और नहीं की तो कर लेंगे । यह ठीक है, आपका रूलिंग है वह सर्व मान्य है । जो व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं उनके लिये कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह गजट में शाया होने के

(म ं दे [illegible] णसिंह)

लिये माननीय सदस्य जयपुर से आने वालों ने आपंत्ति की है उसके प्रति मेरी भी सहानुभूति है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: Mr. Speaker, I draw your attention to Section 67 of the Representation of the Peoples Act, 1951.

'As soon as may be after the result of an election has been declared, the returning officer shall report the result to the appropriate authority and the Election Commission, and in the case of an election to a House of Parliament or of the Legislature of a State also to the Secretary of that House, and the appropriate authority shall cause to be published in the Official Gazzette the declarations containing the names of the elected candidates.'

यह मेन्डेटरी प्रोवीज़न है जिसकी तहत गज़ट में नोटिफिकेशन होना चाहिये; वह मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूं। ६६ में डिक्लेरेशन है और उसके बाद ६७ में गजट में नोटिफिकेशन है। उसके बाद शपथ ली जा सकती है। माननीय सदस्य शपथ लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वे निर्वाचित हुए हैं; शपथ लेगें, लेकिन संविधान के तहत बने हुए कानूनों का थोड़ा सा पालन करें तो उचित होगा। अगर उनका पालन शुरू से नहीं होगा तो आगे क्या हो सकता है? आप श्रीगणेश ही ठीक करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): अध्यक्ष महोदय, कान्स्टीट्यूशन आफ इन्डिया के आर्टिकल १०१ के सब-क्लाज (२) में यह है:

"101 (2): No person shall be a member both of Parliament and of a House of the Legislature of a State. and if a person is chosen a member both of Parliament and of a House of the Legislature of a State then, at the expiration of such period as may be specified in rules made by the President, that persons' seat in Parliament shall become vacant, unless he has previously resigned his seat in the Legislature of the State."

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अभी तक राज्य सभा के भी सदस्य हैं और वहां से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। इन स्थितियों में दोनों सदनों के एक साथ सदस्य नहीं हो सकते और इस स्थिति में अभी शपथ नहीं ले सकते।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): We wish to draw your attention to a formality, Sir. An election is not complete so long as an official annoncement in the Gazette is not published to that effect and the Hon'ble Member who is about to take his oath in this House happens to be a member of the Council of State, this anomly is rather perplexible. I, therefore, respectfully submit that an announcement about the individual who has been declared duly elected

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

from the Hanumangarh Constituency bye-election should be gazetted first. This is merely a question of formality for which we are trying to draw your attention and therafter the individual should take oath of his allegiance.

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : What is required under the rules is this that a member who has been declared electcd must have a certificate from the Returning officer. The Returning officer has certain duties to perform. He has to inform the Secretary, Legislature and sce that it is published in the Gazette. But it does not debar a member from taking his oath if the Returning officer had declared Mr. Kumbha Ram Arya as elected. Once he is declared as elected, he is entitled to take oath and sit in this House. The Article of the Constitution is mendatory and that all shall be done.

श्री भैरोंसिंह: कॉन्स्टीट्यूशन का प्रोवीज़न क्वोट कर दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : You quote me any law wherein it is said that a member cannot take oath unless it is published in the gazette.

श्री भैरोंसिंह : He is not a member unless his name is not notified in the Gazette.

श्री मथुरादास माथुर : Nowhere it is...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Announcement of his name in the Gazette should be seen.

श्री मथुरादास माथुर : The Returning officer has declared that Shri Kumbha Ram Arya has been elected yesterday from Hanumangarh and he has given a certificate to this effect. Announcement in the Gazette is only for the information of the public and such an infonnation has been received by the Secretary. Legislature and the Government. Publication is only meant for the people at large and this is being done. Therefore, Shri Kumbha Ram Arya is entitled to take oath and sit in the House.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : He has resigned from his seat in Parliament...

श्री मथुरादास माथुर : If he does not resign within ten days, then that seat will become automatically vacant.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : So long as he does not make an official announcement as to his preference which of the two seats he would occupy, I don't understand this will suffice.

श्री मथुरादास माथुर : Within ten days, he has to do.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : We shall accept the ruling of the Chair.

श्री भैरोंसिंह : पोज़िशन यह है कि हाउस में वही सदस्य शपथ ग्रहण कर सकते हैं जो ड्यूली इलेक्टेड हों। ड्यूली इलेक्टेड मेम्बर की डेफिनीशन यह है कि रिटर्निंग आफिसर डिक्लेयर करे कि यह सदस्य जीत गया और उसका गजट में नोटिफिकेशन हो जाय। यह कार्य पूरा नहीं हो जाता है; इस हाउस में शपथ ग्रहण करने का अधिकार ड्यूली इलेक्टेड मेम्बर को है न कि केवल इलेक्टेड मेम्बर को। ड्यूली इलेक्टेड मेम्बर की जो अब तक व्यवस्था हो गई है उसका मतलब यह है कि मेम्बर के इलेक्ट होने के बाद गजट में छाया होना चाहिये, उसके बाद ही उनको राइट होता है शपथ ग्रहण करने का, लोक सभा में या विधान सभा में चुने जरूर गये हैं, पर कानूनी भाषा में 'ड्यूली इलेक्टेड मेम्बर' कहलाने के अधिकारी नहीं हैं क्योंकि गजट नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर : I need not repeat my arguments.

श्री भैरोंसिंह : आपके कहने से नहीं होगा, एक्ट में यह है कि नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : 'Duly elected member is one who has been declared duly eleced. He has been declared duly elected,

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, बहुत साधारण सी बात है। बात इतनी ही है कि सब्स्टेन्टिव राइट उन्हें चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद एक्रू होते हैं या नहीं, इसमें किस प्रोसीजर को फोलो करना चाहिये। यह विवाद की बात है। जिस सब्स्टेन्शियल राइट को चुनाव का निर्णय घोषित कर देने के बाद आज आप एक्सरसाइज़ करना चाहते हैं, शपथ लेकर इस सदन के सदस्य नियमानुसार बनाना चाहते हैं। आपको निर्णय देना है कि किन नियमों के अन्तर्गत शपथ ग्रहण कर सकते हैं। अगर नियमों में यह व्यवस्था दी गई है कि रिटर्निंग आफिसर प्रमाण-पत्र दे देता है और उसके आधार पर वह शपथ ग्रहण कर सकते हैं तब तो ठीक है। पर हाई कोर्ट का निर्णय है कि जब तक कोई भी कानून विधान सभा से पास हो जाय, पर गजट में जब तक छाया नहीं हो जाता तब तक वह इफेक्टिव नहीं होता, ठीक वही व्यवस्था इस मामले में भी है; रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रमाण-पत्र दे दिया, पर शपथ ग्रहण करने से पहले जिस प्रोसीजर को फोलो करना चाहिये उस प्रोसीज़र को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो शपथ ग्रहण करने में इल्लिगेलिटी होगी। आपके शपथ-ग्रहण करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, न किसी को आपत्ति होनी चाहिये, पर कौन से प्रोसीज़र को फोलो करना चाहिये यह चीज़ आपको देखनी चाहिये और उसी के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मुख्य रूप में माननीय सदस्यों ने दो आपत्तियां उठाई हैं — पहली तो यह कि गजट में जब तक इस चुनाव के परिणाम नहीं निकलते तब तक शपथ नहीं दिलाई जा सकती। इस सम्बन्ध में रिप्रेज़ेन्टेशन

(श्री अध्यक्ष)

ऑफ पीपुल्स एक्ट, १९५१ की धारा ६७ का उल्लेख किया गया। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य अगर पूरा चैप्टर ५ देखें जिसमें धारा ६४, ६५, ६६, ६७ और ६७ ए. हैं तो उससे पता चलेगा कि रिटर्निंङ्ग ऑफिसर उस चुनाव का नतीजा घोषित करता है और उसके पश्चात् क्या किया जायेगा इसका उल्लेख ६७ में है, जिसका हैडिंग भी यही है :

"Report of the result."

किस किस अधिकारी को रिपोर्ट करनी पड़ेगी, किस तरह गजट में छापना पड़ेगा। ६७ ए. भी माननीय सदस्य देखें, जिसको मैं पढ़ कर सुनाता हूँ :

"Date of election of candidate For the purposes of this Act, the date on which a candidate is declared by the Returning Officer under the provisions of section 53 or section 66 to be elected to a House of Parliament or of the Legislature of a State shall be the date of Election of that candidate."

इसका मतलब यह हुआ कि जो मुद्दे की बात है इसमें वह डिक्लेरेशन बाई दी रिटर्निङ्ग ऑफिसर है। उसी तारीख से वह चुनाव हुआ माना जाता है न कि उस तारीख से जब कि गजट में पब्लिश होता है। इसलिए जैसी माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठायी कि कानून कार्यान्वित नहीं होता है जब तक कि गजट में प्रकाशित नहीं होता, वह बात ठहरती नहीं क्योंकि चुनाव की तारीख वही मानी जाती है जो रिटर्निंग ऑफिसर घोषित करता है। इसलिए इन सारे प्रावधानों को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि यह आवश्यक नहीं है कि गजट में छपने के बाद ही शपथ दिलायी जाय; इसलिए यह आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

दूसरी आपत्ति इसी सम्बन्ध में यह आयी और हमारे संविधान की धारा १०१ की ओर ध्यान आकर्षित किया गया जिसमें यह लिखा गया है कि दो सदनों में कोई माननीय सदस्य चुना जाय तो क्या स्थिति होगी? विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने भी इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये; उस सम्बन्ध में जो सम्बन्धित प्रावधान हैं उनके कुछ भाग मैं यहां पढ़ कर सुनाता हूँ :

"101 (2)—No person shall be a member both of Parliament and of a House of the Legislature of a State, and if a person is chosen a member both of Parliament and of a Hous of the Legislature then at the expiration of such period as may be specified in rules made by the President, that person's seat in Parliament shall become vacant unless he has previously resigned his seat in the Legislature of the State."

इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट का या विधान सभा का सदस्य है, यदि वह पार्लियामेंट का सदस्य रहना चाहता है तो उसको राज्य विधान सभा की सीट से रिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो परिणाम यह होगा जैसा इसमें स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि वह सीट पार्लियामेंट में खाली मानी जावेगी।

(श्री अध्यक्ष)

इसलिए माननीय सदस्य के विधान सभा के सदस्य बने रहने के जो भी परिणाम हैं उनका उल्लेख विशेष रूप से दिया हुआ है और साफ प्रावधान है। इसलिए जो आपत्ति माननीय सदस्य ने उठायी है वह अस्वीकार की जाती है।

अब आज का कार्यक्रम जो निर्धारित किया गया है, नव निर्वाचित सदस्य को शपथ ग्रहण कराना, वह आगे जारी किया जाता है।

(तत्पश्चात श्री कुम्भा राम आर्य द्वारा प्रतिज्ञान ग्रहण किया गया एवं सदस्य पंजिका में हस्ताक्षर किये गये)

कृषि मंत्री द्वारा वक्तव्य देने विषयक अध्यक्षीय घोषणा

श्री अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर प्रारम्भ करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा कि प्रश्नोत्तर के पश्चात् एवं आज के निर्धारित कार्यक्रम के पूर्व माननीय कृषि एवं खाद्य मंत्री धान के भावों के विषय में घोषणा करेंगे।

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, यातायात, राजकीय औद्योगिक संस्थान सामान्य प्रशासन, उद्योग, मंत्री-मंडल, गृह, शिक्षा, सहकारिता, सार्वजनिक निर्माण, विद्युत खनिज, विधि एवं न्याय, नियुक्त तथा अकाल सहायता-विभाग]

प्रश्न संख्या ४६६

कुमारी उमा माथुर

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४६७

श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन।

ऊन मिल, बीकानेर

४६८. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजकीय औद्योगिक संस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) बीकानेर शहर में सरकारी क्षेत्र में लगने वाली ऊन मिल की कुल लागत क्या होगी तथा उसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

(२) उक्त मिल का निर्माण सम्बन्धी कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

(३) उक्त मिल के लिये मशीनें कितनी लागत की विदेशों से मंगाई जावेंगी तथा कितनी लागत की मशीनें देश में खरीदी जायेंगी ?

(४) क्या उक्त मशीनों के लिये आर्डर दिये जा चुके हैं ?

(५) मिल में उत्पादन कार्य कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है ?

राजकीय औद्योगिक संस्थान मंत्री : (श्री मथुरादास माथुर):

(१) बीकानेर में राजकीय क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली ऊनी मिल में लगभग एक करोड़ से कुछ अधिक व्यय होने की संभावना है। इसकी उत्पादन क्षमता ऊन विशेषज्ञ से विचार विमर्श करके आंकी जा रही है।

(श्री मथुरादास माथुर)

(२) निमार्ण कार्य लाइसेन्स प्राप्त होने के पश्चात् तथा मशीनों (केपिटल इक्विप्मेन्ट) के लिये ऑर्डर देने पर किया जा सकेगा।

(३) इसका अभी पूरी तौर पर अनुमान नहीं लगाया गया है।

(४) जी नहीं। औद्योगिक लाइसेन्स प्राप्त होने एवं विदेशी मुद्रा सुलभ होने तक मशीनों के लिये ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है।

(५) लाइसेन्स प्राप्त होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सार्वजनिक क्षेत्र में यह मिल स्थापित की जा रही है ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास : सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित की जा रही है तो फिर लाइसेन्स प्राप्त करने में क्या अड़चन है ?

श्री मथुरादास माथुर : डिफिकल्टी इसलिए हैं कि गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की कोशिश जहां तक हैं वह यह है कि स्पिडल्स और स्पिन्डलाइज़ेशन बढ़े नहीं। क्योंकि यह पब्लिक सेक्टर में कायम कर रहे हैं इसलिए पांच हजार स्पिन्डल्स देने का उनका खत आया और साथ साथ यह भी कन्डीशन रखी कि ५० प्रतिशत माल हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। उसको हमने एग्री कर लिया है इसलिए लाइसेन्स के लिए फोर्मली कार्यवाही की जारही है।

श्री मुरलीधर व्यास : पहले नहीं कर सके। अब यह एग्रीमेन्ट हुआ कि आधा माल हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तो पहले यह बात नहीं हुई थी ?

श्री मथुरादास माथुर : बाद में उनका खत आया था।

श्री मुरलीधर व्यास : लाइसेन्स के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मथुरादास माथुर : फार्म भर कर देना पड़ता है। दूसरों की तरह हमें भी क्यू में खड़ा रहना पड़ता है।

श्री मुरलीधर व्यास : कर चुके हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : कर चुके हैं। उनकी तरफ से ऑर्डर आ जाय तब।

श्री मुरलीधर व्यास : कब कर चुके हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : दो महीने हो चुके।

श्री मुरलीधर व्यास : कोई जवाब नहीं आया ?

श्री मथुरादास माथुर : बड़ी कोशिश कर रहा हूं।

श्री भीमसेन : यह जो मशीनरी खरीदी जावेगी उसके लिए फोरिन एक्सचेन्ज की व्यवस्था की जा चुकी है ?

Page No. 9

श्री मथुरादास माथुर : लाइसेन्स मिल जावेगा। हमारी योजना उनके पास है कितना फोरिन एक्स्चेन्ज मिल सकेगा और कितनी मशीनरी वे यहां से दे सकेंगे; उन सब को देखेंगे और फिर इन्टरनेशनल टेन्डर्स मांगे जावेंगे। कानून के अनुसार यह सब कार्यवाही की जावेगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : लैंड की व्यवस्था की जा चुकी है ?

श्री मथुरादास माथुर : कलेक्टर महोदय को कहा जा चुका है कि लैंड की व्यवस्था करें और उन्होंने करदी है।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

भूतपूर्व महकमा खास, कोटा के कर्मचारियों के पेन्शन के मामले

४६६. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व महकमा खास, कोटा ने अपने आदेश क्रमांक १०६०२ I/V, दिनांक २६-४-५७ द्वारा महकमा प्राइवेट की कुल सर्विस वाले पेंशनरों की पेन्शन सरकारी खजाने में देना तय किया था ?

(२) क्या यह सत्य है कि प्रथम मर्जर उपरान्त महकमा खास कोटा के आदेश क्रमांक ८८३४ । IV, दिनांक १३-४-४८ द्वारा भी उपरोक्त आदेश की पुष्टि की गई थी ?

(३) क्या यह सत्य है कि फॉर्मर राजस्थान स्टेट के आर्टिकल XVI द्वारा तथा बाद में बृहत् राजस्थान द्वारा प्रदत्त कर्मचारियों के अधिकारों का संरक्षण किया गया था ?

(४) क्या यह सत्य है कि राजस्थान सरकार के नियुक्ति विभाग द्वारा अपने क्र० एफ. ५(१) एफ. (ए) जी आर VII ६०, दिनांक २७-८-६० द्वारा जोधपुर हाउस होल्ड विभाग के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों में मान्यता दी है ?

(५) क्या कोटा हाउस होल्ड विभाग द्वारा जिन कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अलग करके उनके केस राज्य सरकार को उचित पेंशन दिये जाने हेतु प्रस्तुत किये हैं उनमें से सरकार द्वारा पेंशन दी गई है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(६) क्या स्टेट मर्जर के समय कोटा हाउस होल्ड के कर्मचारियों से सर्विस के लिये ऑप्शन मांगा गया था ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(७) क्या सरकार ने कोटा हाउस होल्ड में रियासत के समय से नियुक्त कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु कोई कदम उठाया है ?

उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) प्रथम मर्जर के उपरान्त महकमा खास के आदेश क्रमांक ८८३४/IV दिनांक १३-४-४८ प्राप्त नहीं हैं।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

Page No. 10

(श्री परसराम मदेरणा)

(५) इस सम्बन्ध में कोटा हाउस होल्ड विभाग से पत्र व्यवहार हो रहा है। उनका जवाब आने पर आगे की कार्यवाही की जा सकती है।

(६) ऑप्शन मांगने के सम्बन्ध का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(७) इस सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है। कोटा हाउस होल्ड से जवाब आने पर निर्णय लिया जायगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने प्रश्न के भाग (५) में जवाब दिया कि कार्यवाही चल रही है। क्या आप बता सकते हैं आरम्भ में शुरूआत कब हुई थी तथा सबसे पहले सरकार के पास पेन्शन केसेज़ कब लाये गये थे? पांचवें भाग में है :

"क्या कोटा हाउस होल्ड विभाग द्वारा जिन कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अलग करके उनके केस राज्य सरकार को उचित पेंशन दिये जाने हेतु प्रस्तुत किये हैं उनमें से सरकार द्वारा पेन्शन दी गई है? अगर नहीं, तो क्यों?"

इसके उत्तर में आपने यह कहा है कि कार्यवाही चल रही है; मेरा निवेदन यह है कि क्या आप यह सूचना दे सकते हैं कि सबसे पहले हाउस होल्ड से पेन्शन केसेज़ कब फोर्वर्ड किये गये?

श्री परसराम मदेरणा : हाउस होल्ड और हमारे बीच काफी अर्से से पत्र-व्यवहार हुआ है। उन्होंने पहले कॉम्युनिकेट किया था। २८-७- को हमने उसका जवाब दिया। जब तक एच. एच. से उसका जवाब न आ जाय तब तक फाइनल नहीं हो सकता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि कम्पलसरिली जिनको ५० में रिटायर कर दिया गया उनके केसेज़ को जल्दी से जल्दी फाइनेलाइज़ किया जाय?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान सर्विस रूल्स के अन्तर्गत हिज़ हाइनेस हाउस होल्ड के एम्प्लॉइज़ किसी प्रकार पेंशन पाने के मुस्तहक नहीं हैं लेकिन राज्य सरकार ने तय किया कि जोधपुर हाउस होल्ड के कर्मचारियों का जैसा हवाला दिया गया है, जिनकी फिक्स्ड ड्यूटी थी गवर्नमेंट का काम चलाने के लिए उनको पेंशन दी जाय, यह तय किया गया उसी आधार पर यहां भी रखा है कि लीव एन्ड पेन्शन कॉन्ट्रिब्युशन लीव सेलेरी का देने के लिए तैयार हैं तो कन्सीडर किये जासकते हैं। जिस पीरियड में उन्होंने प्राइवेट एम्प्लॉइज़ की हैसियत से काम किया। उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं आया तो राज्य सरकार क्या निर्णय ले?

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने छठे क्लॉज़ में कहा कि ऑप्शन उनसे लिया गया या नहीं; उस सम्बन्ध में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। तो क्या सरकार उचित नहीं समझती थी कि जो कर्मचारी हाउस होल्ड के अन्दर कार्य कर रहे हैं और मर्जर के बाद सर्विस के बारे में उनसे ऑप्शन लिया जाय कि वे स्टेट सर्विस में आना चाहते हैं या हाउस होल्ड में

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

काम करना चाहते हैं ? सरकार को टालना नहीं चाहिए ।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने अपने उत्तर में कहा है कि आया उनको ऑप्शन दिया हुआ है या नहीं, इस प्रकार का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है । जो ऑप्शन दिया था वह पब्लिक सर्विसेज़ को दिया था, ये पब्लिक सर्विसेज़ की केटेगरी में नहीं आते हैं । जो आश्वासन फोर्मर राजस्थान ने दिया था और ग्रेटर राजस्थान ने रीएफर्म किया था वह पब्लिक सर्विसेज़ के सम्बन्ध में था ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो ऐसी हालत में जो व्यक्ति आज हाउस होल्ड के अन्दर कार्य कर रहे हैं उनकी पेन्शन के बारे में और फ्यूचर के बारे में सरकार की क्या नीति है ।

श्री परसराम मदेरणा : सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है । पार्टली अगर उन्होंने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को सर्व किया है तो पेन्शन देंगे और यदि मिक्स्ड सर्विसेज़ हैं तो जिस पीरियड में उन्होंने हाउस होल्ड को सर्व किया है तो पेन्शन एण्ड लीव कॉन्ट्रीब्यूशन उस पीरियड का सेलेरी के आधार पह हिज़ हाइनेसेज़ को कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा । इस लैटर का राजा लोग अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा निवेदन है कि हाउस होल्ड के अन्दर जितने कर्मचारी हैं ये सारे के सारे इस प्रकार के ये जो राजाओं की दया पर रहते थे, राजाओं ने उनको सर्विस के अन्दर ले लिया और जब राजाओं के कृपा पात्र हो गए तो हाउस होल्ड के अन्दर ले लिया । जब मर्जर हुआ तो जो हाउस होल्ड में काम करते थे उनसे ऑप्शन नहीं मांगा गया । वे बेचारे मजबूरी के अन्दर अपना पेट भरने के लिए वहां टिके हुए हैं, ऐसी हालत में जो कर्मचारी हाउस होल्ड के अन्दर हैं, उन्हें जो केवल मामूली सा वेतन मिलता है, तो हम समझते हैं कि जो आदमी इस प्रकार वहां पड़े हुए हैं उनके सवाल को सरकार किसी प्रकार टालना चाहती है, जो उचित नहीं है । सरकार को राजाओं को इस संबंध में बाध्य करना चाहिए और उनको जल्दी से जल्दी पेन्शन दिलाएं ।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने साफ कहा है कि अगर उनकी मिक्स्ड सर्विस है, पार्टली स्टेट सर्विस और पार्टली हाउस होल्ड की सर्विस; तो ऐसे आदमियों को पेन्शन देंगे प्रोवाइडेड जिस पीरियड के लिए उन्होंने हाउस होल्ड की सर्विस की है उस पीरियड का पेन्शन कॉन्ट्रीब्यूशन वे पे करते हैं । वे लोग हमारे लैटर का जवाब नहीं दे रहे हैं तो यह मामला for want of on our part नहीं रुका हुआ है । यदि राजा लोग चाहते हैं कि उनका केस जल्दी फाइनलाइज़ हो तो उनको जल्दी गवर्नमेंट को रिप्लाई देना चाहिए ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : भूतपूर्व राज्यों में हाउस होल्ड और राज्यों के मुलाज़िमों में बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस था । ऐसी हालत में मैं जानना चाहूंगा कि कॉवेनेन्ट की धाराओं का सभी भूतपूर्व राज्यों पर समानता से असर रहता है । ऐसी हालत में क्या राजस्थन सरकार ने, सक्सेसर गवर्नमेंट के नाते, कोई युनीफार्म फार्मूला बनाया है जो सभी भूतपूर्व राजाओं के हाउस

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

होल्ड पर समानता के रूप में लागू किया जा सके ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): समान फार्मूला इस स्टेज पर बनाया भी नहीं जा सकता और इस बारे में जैसे बताया जा चुका है और जिनके सम्बन्ध में यह बात जाहिर हुई कि जो हाउस होल्ड के अलावा गवर्नमेंट का काम करते थे. ऐसे एक दो केसेज़ सामने आए और उनको कन्सीडर किया गया है और उसमें यह कोटा का भी एक केस है जिसमें सारे कागजात और खानापूर्ति होने के बाद निर्णय लिया जा सकता है। आम तौर से जो हाउस होल्ड के अन्दर काम करते थे उनको सरकारी कर्मचारी के तौर पर नहीं माना गया।

श्री मुरलीधर व्यास : समान रूप से क्यों नहीं लिया सकता, इसका कारण ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : प्रिवी पर्स जब कायम किया गया तो इन बातों को खयाल में रख कर किया गया था कि हाउस होल्ड के अन्दर काफी बड़ा स्टाफ है जिसको मेन्टेन करना पड़ेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मंत्री महोदय का जवाब में इस प्रकार कहना कि जब तक राजाओं से जवाब नहीं आएगा और दो साल से रिमाइंड कर रहे हैं, तब तक कुछ नहीं कर सकते, मैं समझता हूं कि समाजवाद का नारा लगाने वाली सरकार के लिए इससे अधिक और सोचनीय परिस्थिति नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : आप भाषण न दें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनका अपोइन्टमेंट १९४० से पहले किया गया था....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सवाल स्पेसिफिक कोटा के बारे में है। इसको जनरलाइज़ करके सब जगह का पूछना....

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं टोंक के संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ कर्मचारी १९३५ और १९४० के बीच में राज्य सरकार ने अपोइन्ट किए थे और उनको बिना उनकी इच्छा के डेप्यूटेशन पर हाउस होल्ड में लिया गया था और मर्जर के बाद उनको कोई पेन्शन नहीं दी, तो क्या ऐसे कर्मचारियों को पेन्शन का ऑप्शन देंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : एज़ एण्ड वेन केसेज़ आयेंगे, मेरिट पर डिसीज़न लिया जायेगा। इस वक्त जो सवाल पूछा गया है वह कोटा हाउस होल्ड के एम्प्लॉइज़ के संबंध में है। आप हाइपॉथेटिकल सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कह दिया है कि जिनकी मिक्सड सर्विस है उनको पेन्शन देंगे, अगर राजा लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार हैं। इसमें समाजवाद का क्या सवाल है ? लेकिन यदि प्राइवेटली हिज़ हाइनेस के हाउस होल्ड में सर्विस करते हैं तो कैसे दे सकते हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जोधपुर का भी प्रश्न है। राजस्थान दो स्टेजेज में बना। वह जल्दी जल्दी में बना और उसका अनुभव

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जोधपुर, जयपुर और बीकानेर वालों ने करके बहुत चीजें मांगी और बहुत चीजें जो जब फर्स्ट स्टेज में राजस्थान बना तो उसके भूतपूर्व नरेशों ने नहीं मांगी। इसलिए समान रूप से इन गरीब लोगों को जो कोटा हाउस होल्ड में काम कर रहे हैं, उनको भी देना चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : समानता के लिहाज से जिसने ज्यादा लाभ उठाया उनको सरेंडर करना चाहिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड तो होना चाहिए, लास्ट कम और फर्स्ट सर्वड नहीं होना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : जोधपुर एम्प्लॉइज़ का जो पेन्शन तय हो रहा है उसमें और कोटा वालों में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा अनुभव है कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, लेकिन यह मुश्किल समस्या है। अगर आपके पास युनीफॉर्म फोर्मुला नहीं है तो नहीं है लेकिन होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सरकार की तरफ से बताया गया है कि उनकी नीति यह है कि जो क्वालीफाइंग सर्विस पीरियड है पेन्शन मिलने के लिए अगर उसने गवर्नमेंट में सर्व किया है और जो हाउस होल्ड को सर्व किया है उसके लिए अगर राजा लोग कॉन्ट्रीब्यूशन दे दें तो पूरी पेन्शन बन सकती है। लेकिन जैसी परिस्थिति देखते हैं हाउस होल्ड वाले या आज के भूतपूर्व महाराजा भी अगर अपना कुछ शेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देना चाहते तो ऐसी हालत में सरकार नीति बना ले या जिस पीरियड के लिये गवर्नमेंट को सर्व किया उस पीरियड के लिए या और किसी तरह से उनको पेन्शन दे दे, तो उनको कुछ राहत मिल सकती है।

उद्योगों में लोहे के कच्चे माल की खपत

४५०. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राज्य भर के उद्योगों में करीब सात हजार टन लोहे के कच्चे माल की खपत होती थी तथा यह खपत नये उद्योग स्थापित होने के कारण सन् ६१—६२ व ६३ में बारह हजार टन तक पहुंच गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि कन्ट्रोल होने के बाद केवल ३३०० टन लोहा कच्चे माल के तौर पर इन उद्योगों को दिया जाता है ?

(३) क्या यह भी सही है कि राज्य के उद्योगों की कैपेसिटी २५ हजार टन लोहा खपत करने की है ?

(४) यदि हां, तो राज्य सरकार अधिक मात्रा में कोटा प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां।

(श्री चन्दनमल वैद)

(२) जी हां। पिछले साल २६६५ टन तथा इस साल ३२४० टन।

(३) जी हां।

(४) राज्य सरकार द्वारा कोटा बढ़ाने के लिए प्रयत्न जारी हैं। केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी जारी है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, जब कि हमारे उद्योगों की कैपेसिटी २५ हजार टन की है और हम केवल ३३०० टन ही इनको दे पाते हैं जो कि कुल उनकी आवश्यकता का आठवां हिस्सा होता है तो क्या यह काफी सोचनीय और विचारणीय प्रश्न नहीं है ?

श्री चन्दनमल वैद : जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं पिछले साल २,६६५ टन मिला था और इस साल ३,३४७ टन मिला है जो कि हमारे प्रयत्नों का फल है जो हम पिछले साल से कर रहे हैं। हमारे प्रयत्न फिर और अधिक प्राप्त करने के भी जारी हैं। पर देश में पिग आयर्न की कमी है। हम चाहें कि ऐसी सूरत में हमें हमारी पूरी कैपेसिटी के अनुसार मिल जावे और देश के दूसरे हिस्सों को न मिले, तो यह भी सम्भव नहीं हो सकता है। प्रयत्न कर रहे हैं और अधिक प्राप्त करने के और सम्भव है आगे अधिक मिल जावे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : तो क्या दूसरे राज्यों में भी उनकी आवश्यकता का आठवां हिस्सा ही, हमारी तरह, मिलता है; यह भी आपने देखा है ?

श्री चन्दनमल वैद : यह तो नहीं कह सकता। पर कम है उनके यहां भी, उनकी आवश्यकता के अनुपात से।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : दूसरे राज्यों में कितना मिलता है, यह अगर आपको नहीं मालूम तो फिर आप अपना केस सेन्टर के सामने कैसे सही तौर से रिप्रेज़ेन्ट करते होंगे ?

श्री चन्दनमल वैद : यह उस समय कहा जा सकता है कि जब कि हमने दूसरी स्टेटों की कैपेसिटी को जांच लिया हो। आपने अपनी कैपेसिटी को जांच है। दूसरी स्टेटों का क्या क्राइटेरियां है जांचने का और हमारा क्या है, इसमें अन्तर हो सकता है। अब इसके लिए भारत सरकार कोई मापदण्ड निश्चित न कर दे तब तक कुछ नहीं कह सकते कि उनकी मांग क्या है और क्या मिलता है उनकी मांग के अनुपात से।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : दूसरे राज्यों की जांच क्यों नहीं हो सकती, आप आंकड़े मंगा सकते हैं।

श्री चन्दनमल वैद : पर कैपिसिटी जांचने का मापदण्ड अलग अलग हो सकता है। जब तक भारत सरकार एक तरह का मापदण्ड न कायम कर दे तब तक यह कहना कि किसको किस सीमा तक मिल रहा है, सम्भव नहीं हो सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कितना मांगा और कितना हमें चाहिए और दूसरी

Page No. 15

(श्री मुरलीधर व्यास)

स्टेटों ने कितना मांगा और उनको कितना मिला और अपने को कितना मिला, इस दृष्टिकोण से भी आपने फिगर्स देखकर अपना केस रिप्रेज़ेन्ट करने का प्रयत्न किया है ? ये आंकड़े कि कितने उन्होंने मांगे और कितने सेन्टर ने दिये, सेन्टर से ही आप आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं।

श्री चन्दनमल वैद : हमने अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना चाहिए उतने के लिए रिप्रेज़ेन्ट किया है और आगे से और अधिक लेने के लिए प्रयत्नशील हैं। उम्मीद है ज्यादा मिले। पर निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि भारत सरकार क्या रुख अख्तियार करेगी।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : जो कोटा लोहे का, पिग आइरन का, हमें मिलता है वह यहां इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को किस किस तरह से बांटा जाता है, यह क्लीयर कर दें।

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा प्रश्न है।

श्री अब्दुल जब्बार : इसमें भी बड़े घोटाले हैं, अध्यक्ष महोदय, लोगों को अपनी जरूरत के लिए थोड़ा सा भी नहीं मिलता, किसी को बहुत मिल जाता है।

श्री अध्यक्ष ; Order please ! order!! इसके लिए आप अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : जैसे उपमन्त्री महोदय ने फरमाया कि हमारी डिमाण्ड कितनी है और हमें कितना मिलता है; ऐसी स्थिति में कि जब कि वर्तमान उद्योगों को भी आप उनकी आवश्यकतानुसार नहीं दे सकते तो नये उद्योगों को फिर नई पर्मिशन क्यों देते जा रहे हैं ? इससे दोनों तरह के उद्योग अर्द्ध स्थिति में चलते हैं या चलते ही नहीं।

श्री चन्दनमल वैद : यथासम्भव नये उद्योगों को, जिनमें यह पिग आइरन काम आता है, हम पर्मिशन नहीं देते।

श्री रामकिशन : आप यह बताने की कृपा करेंगे कि ६१-६२ व ६३-६४ में कितने ऐसे उद्योगों को नई पर्मिशन दी गई ?

श्री चन्दनमल वैद : यह ६३-६४ का ही प्रश्न है। इससे पहले ६१-६२ में रेस्ट्रिक्शन नहीं थी पिग आइरन पर।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ; श्री जुझारसिंह।

भैंसोडा मण्डी

४७१. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : Will the Chief Minister please say :-

(1) What progress has been achieved to get the area Bhensoda Mandi transferred to Rajasthan ?

(2) Is it a fact that the truck owners of Rajasthan have also to obtain licences from M.P. State to entitle them to ply up to the Railway

Page No. 16

(श्री जुझारसिंह)

Yard on Bhawani Mandi Station just because this Yard happens to be part of M.P. territory ?

(3) What steps have the Government taken to solve such inevitable problems between Bhawani Mandi and Bhensoda Mandi till such time as this area is not transferred to Rajasthan ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) यह प्रश्न मध्यप्रदेश सरकार के विचारधीन है ।

(२) जी हां, यह सही है राजस्थान के ट्रक मालिकों को भवानी मण्डी क्षेत्र संलग्न भैंसौडा मण्डी क्षेत्र में प्रवेश पाने हेतु राजस्थान परिवहन के अधिकारियों से या मध्य प्रदेश परिवहन अधिकारियों से अस्थायी प्रवेश-पत्र प्राप्त करने पड़ते हैं ।

(३) इस प्रश्न पर जयपुर में हुए मध्य प्रदेश तथा राजस्थान परिवहन अधिकारियों के संयुक्त अधिवेशन में चर्चा हुई थी और यह निर्णय ले लिया गया था कि भवानी मण्डी की नगरपालिका के क्षेत्र को, जिसमें रेलवे का माल गोदाम भी सम्मिलित है, माल वाहनों के आने जाने के प्रयोजनार्थ एक निःशुल्क प्रदेशीय क्षेत्र घोषित कर दिया जाय । इससे वर्तमान कठिनाई हल हो जायगी ।

श्री जुझारसिंह : प्रश्न के भाग (२) के लिये कहना है कि प्रवेश-पत्र जो लेने पड़ते हैं उससे बड़ी कठिनाई है । प्रमुख कठिनाई तो यह है, तो क्या यह मध्यप्रदेश सरकार के विचाराधीन है ? है, तो कब तक निर्णय हो जावेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां, यह सही है । भवानी-मण्डी क्षेत्र और भैंसोड़ा मण्डी क्षेत्र में आने जाने वाले ट्रकों के बारे में राजस्थान के और मध्यप्रदेश के मोटर परिवहन अधिकारियों में बात-चीत हुई है और रिकमण्डेशन्स भी की हैं ।

श्री जुझारसिंह : जो रिकमण्डेशन की हैं वे मन्जूर हो गई हैं क्या ? अभी जो माल आता है; आपका गल्ला भी आता है, इशेन्शियल गुड्स भी आता है तो वह भी आज रुक जाता है । ट्रकों के चालान होते हैं इसलिये जरूरी हैं कि आपकी जो रिकमण्डेशन्स हैं वे मन्जूर हों, इम्प्लीमेन्ट हों जल्दी से जल्दी ।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो निर्णय ले लिया है ट्रान्सपोर्ट अधिकारियों ने कि इसे फ्री ज़ोन (Free Zone) घोषित कर दिया जावे, परमिट की आवश्यकता नहीं है । यह निर्णय एन्फोर्स होगा १ नवम्बर से ।

श्री जुझारसिंह : यह भवानी मण्डी और भैंसोड़ा मण्डी कोई अलग अलग नहीं हैं, एक ही शहर के दो हिस्से हैं, पर बीच में कुछ हिस्सा मध्यप्रदेश में पड़ता है, तो वेहिकल्स की डिफिकल्टी तो ठीक है, आपने हल कर दी; पर यही एक डिफिकल्टी नहीं थी और भी कई कठिनाइयां हैं--सेल्स टैक्स की और दूसरे दूसरे कानूनों की, जिनमें राजस्थान में दूसरे पैमानों पर ये हैं और मध्यप्रदेश में दूसरे पैमाने पर हैं । अब एक भैंसोड़ा मण्डी में रहता है, दूसरा

Page No. 17

(श्री जुझारसिंह)

भवानी मण्डी में तो उनको बड़ी कठिनाई होती है। यह क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर भी पूछा था, इसका जल्दी निर्णय होना चाहिये। इससे उस सारे इलाके में गड़बड़ी होती है। अगर यह जल्दी समाप्त नहीं हुई तो स्टेट की इन्डस्ट्री को भी धक्का लगेगा इससे।

श्री अध्यक्ष : वह तो मन्त्री महोदय ने कहा कि १ नवम्बर से हो जावेगी वह व्यवस्था।

श्री जुझारसिंह : वह तो वेहिकल्स के बारे में है। पर जो सेल्स टैक्स और दूसरे सवालों के बारे में है उसका मैं पूछ रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : यह सेल्स टैक्स आदि का प्रश्न तो भैंसोड़ा मण्डी का कुछ पोर्शन ट्रान्सफर करने से जुड़ा हुआ है। हमने लिखा है, यह प्रश्न हमारे विचाराधीन है। अभी फाइनल रिप्लाई मध्य प्रदेश सरकार का नहीं आया है।

श्री जुझारसिह : ये दो नाम एक ही टाउन के हैं, एक ही चीज है। सिर्फ कुछ एरिया बीच में मध्य प्रदेश का पड़ता है इसीलिये यह डिफिकल्टी है। अभी १०–१२ वर्षों से यह चल रहा है, फिर भी अभी तैय नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सलूम्बर-डूंगरपुर वाया ईटालीखेड़ा, गणेशपुरा रूट पर बस सर्विस की मांग

४७२. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाडिया) :क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सलूम्बर से डूंगरपुर वाया ईटालीखेड़ा–गणेशपुर मार्ग केवल ३५ मील है ?

(२) क्या इन दोनों कस्बों के बीच सीधी कोई बस सर्विस बावजूद मांग नहीं चल रही है ?

(३) क्या यह भी सही है कि इस समय सलूम्बर के व्यक्ति को डूंगरपुर आने के लिये बजाय ३५ के ७० मील ऋषभदेव-खेरवाड़ा होकर जाना आना पड़ता है ?

(४) क्या अब इस रूट के लिये शीघ्र परमिट दिये जाने की आशा है ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह) :
(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं। सलूम्बर से डूंगरपुर वाया जलारा-आसपुर-गणेशपुर होकर दूसरा ४५ मील का मार्ग है।

(४) इस सम्बन्ध में आर० टी० ए० द्वारा यह विचार हो चुका है। क्योंकि रूट २३ मील ए क्लास है अतएव एस० टी० ए० के आदेशानुसार पेन्डिंग रखा जावे।

Page No. 18

प्रश्न संख्या ४७३

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४७४

श्री राघवराम ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

हाई स्कूल, खानपुर का भवन

४७५. श्री प्रभुलाल सेन्टर (खानपुर): [श्री भैरवलाल " कालाबादल " (अकलेरा सु०): द्वारा पूछा गया]: क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या हाई स्कूल खानपुर की छात्र संख्या को देखते हुए उसका भवन पर्याप्त है ?

यदि नहीं है तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है ?

(२) क्या सरकार मौजूदा हाई स्कूल भवन की मरम्मत शीघ्र कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक मरम्मत हो जावेगी

(३) क्या यह सही है कि इस वर्ष बिलडिंग की कमी से १ वर्ग के फेल हुए छात्रों को दाखिला नहीं मिला ? यदि हां, तो ऐसे कितने छात्र बिना दाखिला के रह गये ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) जी नहीं। भवन की कमी को देखते हुए शिक्षा निरीक्षक, झालावाड़ को स्कूल दो शिफ्टों में चलाने के लिये कहा गया है।

(२) निरीक्षणालय, झालावाड़ को (४,०००) की धन-राशि ऐसे स्कूलों की मरम्मत के लिये, जिनको मरम्मत की अत्यन्त आवश्यकता है, स्वीकृत की जा रही है। उस धन-राशि में से इस स्कूल भवन की मरम्मत भी की जा सकेगी।

(३) जी हां। ऐसे ४२ छात्र थे।

श्री भैरवलाल "कालाबादल": अध्यक्ष महोदय, यहां इस स्कूल का उद्घाटन करने के लिये माननीय मुख्य मन्त्रीजी को ले गये थे पहले और मुख्य मन्त्रीजी ने भवन को देखा। देखने के बाद इन्जीनियर को बुलाकर पूछा कि इस समय कितनी लागत इसमें और लगेगी कि जिससे यह ठीक बन जाय, तो उन्होंने उस समय बताया था कि ४५ हजार का खर्चा और लगेगा। मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा की इस पर कि तीन साल में आगे हर साल १५ हजार लगाकर इसे पूरा कर देंगे। इसके बाद मुख्य मन्त्रीजी की उस घोषणा को भी शिक्षा मन्त्री जी ने पूरा नहीं किया, यह बड़े अफसोस की बात है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि बीच में इकोनोमी कट आ गया था और अर्थाभाव के कारण जितने ऐसे प्रश्न थे वे सभी स्थगित हो गये थे। तो मुख्य मन्त्रीजी

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

की घोषणा को इस अर्थाभाव की पृष्ठभूमि में समझना चाहिये सदस्य महोदय को।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : अध्यक्ष महोदय, अर्थाभाव का कारण इन दिनों में नहीं है। मुझे मालूम है कि इसके बाद तो कितने ही मामलों में काफी धन का खर्चा किया गया है और किया जा रहा है। सारे मन्त्री लोग अगर यह ध्यान रक्खें कि मुख्य मन्त्रीजी ने क्या कहा है, क्या घोषणा की थी, तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी की घोषणा असफल न हो और असफल होने से पैदा होने वाला असन्तोष भी न हो लोगों में और लोगों की श्रद्धा उनके बोलने में और घोषणाओं में बनी रहे। इसलिये मैं कहता हूं कि मन्त्रीजी, शिक्षा मन्त्रीजी और अन्य मन्त्री लोग भी मुख्य मन्त्रीजी की बातों पर ध्यान रक्खें तो अच्छा हो। मुख्य मन्त्री कुछ कह देते हैं और ये मन्त्री लोग उसकी परवाह नहीं करते हैं इसलिये जनता बेचारी निराश होती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब आपकी बातों का भी निराकरण करना पड़ेगा। आप कहां तक ठीक हैं और कहां तक ठीक नहीं हैं, इसे हम दोनों मिलकर देख लेंगे।

श्री नत्थीसिंह (गोबिन्दगढ़) : यह मामला अब दोनों के बीच का नहीं रह गया है; सदन के बीच में आ गया है।

श्री भैरवलाल "कालाबादल": अध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री मेरे और उनके बीच का नाम लेकर खामखां नुकसान कर देते हैं। दोनों को कह कर मुझे भी आपके सामने शामिल करना चाहते हैं। इसलिए आप अकेले ही देखलें तो मैं समझता हूं कि अच्छा रहेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अकेला समझ लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

सीमेंट कम्पनी, लाखेरी के खाते बांधी गई जमीन

४७६. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या लाखेरी क्षेत्र में जिस भूमि पर आम के पेड़, बांसों के बाड़े, सार्वजनिक स्थान खेलकूद के मैदान, मेला लगाने के स्थान पक्के मकान, दुकानें, कूए व श्मशान हैं वह भी कम्पनी के खाते बांध दी गई हैं और जिन पर कम्पनी ने अपना बताकर पत्थर के मोटाम जगह जगह पर लगवा दिये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर काबिज व्यक्तियों का कब्जा १००-२०० वर्ष तक का पुराना चलता आ रहा है और सरकार के पुराने रिकार्ड इसके सबूत हैं ?

(३) क्या यह सही है कि यह सब स्थान नगरपालिका की सीमा के अन्दर हैं और म्युनिसिपल सीमा की पत्थरगढ़ी जिलाधीश द्वारा करवाई गई ?

(४) क्या यह सही है कि सीमेन्ट कम्पनी की गलत खातेदारी को खारिज़ करने

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

हेतु श्री शेरसिंह जी, बूंदी के कलेक्टर ने अपनी राय दी थी किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

(५) क्या सीमेन्ट कम्पनी ने कितने ही व्यक्तियों पर मुकदमें दायर करके बेदखली के मुकदमें दायर कर रखे हैं ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) लाखेरी क्षेत्र में जिस भूमि पर आम के पेड़, बांसों के बाड़े थे उस भूमि का कम्पनी ने मुआवजा देकर बूंदी रियासत से भूमि अवाप्त कराई थी। कम्पनी ने पहिले वाले मालिकों को फल आदि लेने की छूट दे रखी है। राजस्थान निर्माण के बाद कोई जमीन जिस पर सार्वजनिक स्थान, खेलकूद तथा मेला लगाने के स्थान, पक्के मकान, दुकानें, कुए व श्मशान हैं वह खाते नहीं बांधी गई है परन्तु बूंदी रियासत के समय से जो भूमि कम्पनी के खाते में दर्ज हैं उसमें कम्पनी के कारखाने बने, तब से ही मस्जिद, ईसाइयों का कब्रिस्तान, मुसलमानों की एक छोटी सी दरगाह तथा कहीं कहीं पानी पीने के कुंवे बने हैं। जिनको जनता उपयोग में बगैर रोक-टोक लाती है। कम्पनी अपने हद्द में पत्थर के मोटाम लगा रही है।

(२) आम व बांस वाली भूमि सन् १९४२ में भूतपूर्व बूंदी स्टेट द्वारा अवाप्त की गई थी, उसका मुआवजा कम्पनी ने दिया था, इसलिए पहिले वाले मालिकों का कोई हक नहीं है। पुराने क़ब्जे का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(३) सीमेन्ट कम्पनी व म्युनिसिपल एरिया के बारे में सन् १९५८ में सरकार व कम्पनी के दर्मियान एग्रीमेंट हो चुका है जिसके अनुसार बूंदी स्टेट के वक्त दी गई भूमि म्युनिसिपल क्षेत्र के बाहर है।

(४) कम्पनी के नाम कोई गलत खाते-दारी दर्ज नहीं की गई।

(५) सीमेन्ट कम्पनी ने ८ मुकदमें अदालत मुन्सफी बूंदी में और ४ दीवानी अदालत में दायर किये थे। तहसील या एस० डी० ओ० कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि आपने जो कहा है, जिस समय कम्पनी कायम हुई उसमें जमीन बांधी गई यह बिल-कुल गलत है। यह खाते में दस वर्ष पहले बांधी जा चुकी है और ये आम के पेड़ वर्षों से लगे हुए हैं और इनका मुआवजा नहीं दिया गया है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १९३२ में सेटलमेंट हुआ उस समय खाते बांधी थी और जमीन १९१३ में दी गई।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जो मुआवजा दिया गया है वह पनवाड़ी की फसल का दिया गया है। बांस के पेड़ और आम के पेड़ हैं और निजी जमीन जो म्युनिसिपेलिटी से खरीद कर मकान बनाये हैं उनका कुछ नहीं दिया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बात गलत है और साथ ही साथ उसको इतना अर्सा हो गया है, लेकिन आज तक किसी व्यक्ति ने

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

अपने अधिकारों के सम्बन्ध में इस प्रकार के बारे में कोई बात नहीं कही और जो अवार्ड दिया गया है या जो इसके बारे में कार्यवाही हुई है, जो इसका पांच हजार और कुछ मुआवजा बनता था वह दे दिया गया है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि म्युनिसिपल बोर्ड ने जिस जमीन को बेचा और मकान बने हैं उन जमीनों को भी सीमेन्ट कम्पनी के खाते बांध दिया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान सरकार ने राजस्थान बनने के बाद आज तक कोई जमीन, जिसमें मकान बना हुआ हो या कुआ खुदा हो, किसी के खाते नहीं बांधा। जो जमीन इस कम्पनी के नाम है वह भूतपूर्व बूंदी के महाराजा ने बांधी है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अगर ऐसी जमीन जो सरकार की है और म्युनिसिपल क्षेत्र में है और म्युनिसिपेलिटी ने जिसको बेची हो और उस पर मकान बना हो, उसको कम्पनी ने बांध लिया है तो क्या कम्पनी से खारिज़ कराकर उसका मुआवजा दिया जायेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं ऐसे हाई-पोथेटीकल क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि जो जमीन जिसके खाते दी जा चुकी है वह उसी की मानी जायेगी; अगर किसी ने कर ली है तो उसका जवाब अभी मैं नहीं दे सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह बर्फा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : एक थोड़ी सी जानकारी चाहता हूँ....

श्री अध्यक्ष : अभी प्रश्न बहुत बाकी हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या बूंदी राज्य ने जो जमीन इस प्रकार से दी और उसके बाद में जो कम्पनी के पास जमीन थी क्या उसके ऊपर लोगों ने मकान बना लिये, तो कम्पनी ने क्या कोई एतराज करके उनको हटाया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बाद में बनाने का प्रश्न नहीं होता। वह कम्पनी की जमीन है और कम्पनी के ही अण्डर में है।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह बर्फा।

पंचायत समितियों के स्कूलों के बी० ए० पास अध्यापक

४७५. **श्री चन्द्रसिंह बर्फा** (बिलाड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग ने पंचायत समितियों में बी० ए० पास अध्यापकों को अपने विभाग में लेने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो क्या ऐसे सभी अध्यापकों को अपने विभाग में ले लिया है ?

(२) पंचायत समिति, भोपालगढ़ और बिलाड़ा, जिला जोधपुर में कुल कितने बी० ए० पास अध्यापक हैं तथा उनमें से कितनों को अभी नहीं लिया है ?

Page No. 22

(श्री चन्द्रसिंह बर्फा)

(३) इस प्रकार जिन अध्यापक को अभी नहीं लिया है तथा उन्होंने इस वर्ष बी० ए० पास किया है उनको कब तक लेने का सरकार विचार रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां, ऐसे सभी अध्यापकों को अभी तक नहीं लिया गया है।

(२) बिलाड़ा में ४ तथा भोपालगढ़ में ३ बी० ए० पास अध्यापक हैं जिनमें से अभी तक किसी को भी नहीं लिया गया है।

(३) नियमानुसार उनकी बारी आने पर लिया जायेगा।

श्री रामकिशन (वैर): एक प्रश्न है जो सरकार ने निर्णय लिया है बी० ए० पास को पंचायत समितियों से शिक्षा विभाग में ले लिया जाये। क्या शिक्षा विभाग ने विकास विभाग को कहा है कि जो ट्रेंड अध्यापक हैं उनकी जगह जैसे खाली हो उनको पंचायत समिति ले।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसा प्रश्न शिक्षा विभाग और विकास विभाग में चल रहा है। हमारे सिर पर स्वतन्त्र रूप से ऐसा नहीं है।

श्री रामकिशन : क्या आप जरूरी नहीं समझते हैं........

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं आवश्यक समझता हूं।

श्री रामकिशन : तो फिर स्तर पर क्यों नहीं चल रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : चलने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री रामकिशन : वहीं लम्बी भाषा। आप सीधा, साफ और छोटा सा जवाब बता दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, हम नितान्त आवश्यक समझते हैं। यह जो निर्णय लिया गया है यह अभी लिया गया है कि बी० ए० पास को लेने के बारे में जो गैप रहता है उसको किस ढंग से फिल-अप किया जाये और हमने डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है।

श्री अध्यक्ष : क्या सरकार ने आज्ञा-जारी की है कि जब तक बी० ए० पास अध्यापक एब्ज़ोर्ब न हों तब तक नयें बी० ए० पास व्यक्तियों की वहां पर नियुक्त न हो ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमने यह आज्ञा दी है कि जितने बी० ए० पास पंचायत समितियों में हैं उनकी लिस्ट बनाकर उनको एब्ज़ोर्ब किये जाने का प्रयत्न किया जाये और उसके माफिक सारे राजस्थान के २१ जिलों में बी०ए० पास अध्यापकों को एब्ज़ोर्ब किया है।

श्री अध्यक्ष : कहीं ऐसा भी हो रहा है कि नये इन्सपेक्टर्स को अपोइन्ट किया जा रहा है और समिति वालों को नहीं लें रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, ऐसी अनियमितता है तो उसको मैं शीघ्रातिशीघ्र बन्द करने का प्रयत्न करूंगा और

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

ऐसा मैंने सुना है जिसके ऊपर मैंने शिक्षा विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि पंचायत समिति के ग्रेजुएट टीचर्स की जगह नये अपोइन्टमेन्ट होने की बात आपके नोटिस में आई है ?

श्री अध्यक्ष : वह तो स्वीकार कर चुके हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने कहा है न।

श्री भैरोंसिंह : आपने तो कहा है कि मैंने भी सुना है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कागजी तौर पर नहीं आई है, लेकिन मित्रों द्वारा कहा गया, ऐसी सूचना जरूर आई।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि आपके विभाग द्वारा जयपुर इन्सपेक्टोरेट से एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया है कि जो पंचायत के स्कूल के टीचर्स हैं उनकी जगह नये अपोइन्टमेन्ट्स क्यों किये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे विभाग का मतलब क्या डिप्टी मिनिस्टर के ऑफिस से है ?

श्री भैरोंसिंह : एजूकेशन डिपार्टमेंट, जिसके आप इन्चार्ज हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है इस समय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट; श्री फूलचन्द जैन।

चूरू जिले की सहकारी समितियां

४७८. **श्री फूलचन्द जैन** (सुजानगढ़) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) चूरू जिले में दिसम्बर, ६३ तक कुल कितनी सहकारी समितियां रजिस्टर्ड की जा चुकी थीं ?

(ख) दिसम्बर, ६३ तक चूरू जिले की रजिस्टर्ड सहकारी समितियों को कुल कितनी कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी गई है ?

(ग) रजिस्टर्ड सहकारी समितियों में से अब तक कितनी सहकारी समितियां ऐसी हैं जो नियमानुसार कार्य नहीं कर रही हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि कई सहकारी समितियों के आय-व्ययक के विवरण पर अनियमितताओं की ऑडिट आपत्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री भीमसिंह) :
(क) चूरू जिले में दिसम्बर, ६३ तक ४५३ सहकारी समितियां रजिस्टर्ड की गई।

(ख) चूरू जिले की सहकारी समितियों को १४,३६,७८२) रु० की राशि ऋण के रूप दी गई।

(श्री भीमसिंह)

(ग) ३३ सहकारी समितियां ।

(घ) जी हां, यह सही है उनकी पूर्ति रिपोर्ट मांगी गई है व विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई है ।

(१२ मध्यान्ह)

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : क्या आवश्यक कार्यवाही हुई है ?

श्री फूलचन्द जैन : मैंने जानकारी चाही थी कि कितनी कितनी सहकारी समितियों को लोन दिया गया है, तो टोटल फीगर्स दिये गये हैं, लेकिन अलग अलग सहकारी समितियों के फीगर्स नहीं दिये गये हैं । दूसरी बात यह है कि जो ३२ सहकारी समितियां काम नहीं कर रही हैं तो उनको लोन नहीं दिया गया है, उनको लोन दिलवा देते तो ज्यादा अच्छा होता ।

श्री भीमसिंह : आपने क्वेश्चन में यह पूछा था कि कुल कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी गई है, उसका पूछा था, इसलिए वह उत्तर दिया गया है ।

श्री फूलचन्द जैन : अलग अलग सहकारी समिति को कितनी कितनी धन-राशि दी गई है ?

श्री भीमसिंह : अगर आप प्रथक् प्रथक् चाहते हैं तो पृथक् पृथक् सूचना भी दे दूंगा ।

श्री फूलचन्द जैन : जो ऑडिट ऑब्जेक्शन्स जिन सहकारी समितियों के बारे में आये हैं उनमें गम्भीर आरोप हैं, जिन पर तो उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए थी, वह अब तक नहीं की गई है ।

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया है कि उनकी रिपोर्ट में जो जो ऑब्जेक्शन्स मागे हैं उनकी पूर्ति कराई जा रही । अगर पूर्ति नहीं होगी तो उनके खिलाफ एक्शन होगा ।

श्री फूलचन्द जैन : कुछ केसेज ऐसे भी हैं जो करीब करीब दो साल के अर्से से पेंडिंग पड़े हुए है ।

श्री भीमसिंह : आपने स्पेसिफीकली नहीं पूछा था इसलिए फिलहाल सूचना मेरे पास नहीं है । अगर अलग से आप पूछेंगे तो मैं सूचना हाजिर कर दूंगा ।

श्री फूलचन्द जैन : मैंने पूछा कि कुछ ऐसी सोसाइटीज भी हैं जिनके ऊपर गम्भीर ऑडिट ऑब्जेक्शन्स आये हैं । यह अलग से पूछने की बात नहीं थी, कितना अर्सा हो गया आपने उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया ।

श्री भीमसिंह : आपने प्रश्न (ग) में पूछा है "रजिस्टर्ड सहकारी समितियों में से अब तक कितनी सहकारी समितियां ऐसी हैं जो नियमानुसार कार्य नहीं कर रही है ?"

श्री फूलचन्द जैन : प्रश्न (घ) देखिए । उसमें है, "क्या यह सही है कि कई सहकारी समितियों के आय-व्यय के विवरण पर अनियमितताओं की ऑडिट आपत्तियां की

(श्री फूलचन्द जैन)

गई हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?"

श्री भीमसिंह : अनियमितताओं की जो बात थी उनके ऊपर पूर्ति के लिए कहा गया है। आपने एम्बेजलमेंट वगैरह कोई गम्भीर चीज लाई होती तो अलग से सूचना दे देता।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : उन अनियमितताओं की पूर्ति के लिए सरकार के कानून में प्रावधान है, तो कब तक वह गलती पूरी हो जायगी ?

श्री भीमसिंह : जल्दी ही पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं और यही कोशिश करेंगे कि अति शीघ्र हो।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : क्या एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि एक निश्चित अवधि तक यह पूर्ति हो जायगी।

(कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न, श्री रघुनाथ विश्नोई।

स्थगित प्रश्न

(१२—८—६४)

सीमेंट का अलॉटमेंट जिला जालौर व पंचायत समिति, सांचोर

१६१. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पिछले दो साल के अर्से में जिला जालौर व पंचायत समिति, सांचोर के लिए कुल कितना सीमेंट कब कब सरकार द्वारा एलॉट किया गया ?

(२) क्या यह सच है कि एलॉट किया हुआ पूरा सीमेंट जिला जालौर में कभी नहीं पहुचा ? अगर हां, तो एलॉटेड कोटा में से कितना कितना सीमेंट कब कब पहुंचा और कितना कम्पनियों द्वारा नहीं भेजा गया ?

(३) सरकार द्वारा एलॉटेड सीमेंट कोटा समय पर जिला जालौर में नहीं पहुंचने के क्या क्या कारण है ? उन कारणों को दूर करके सीमेंट समस्या को हल करने के बारे में भविष्य में सरकार क्या कदम उठा रही है ? जिला जालौर में सीमेंट के पहुंचने की समस्या को कब तक हल कर सकेगी ?

(४) क्या यह सच है कि सीमेंट जिला जालौर में विशेषतया पंचायत समिति, सांचोर में, समय पर पर्याप्त मात्रा में न पहुंचने से हजारों कृषि सिंचाई के कुए अपूर्ण रहे और काश्तकारों को बड़ा भारी नुकसान हुआ और खाद्यान्न उपज बढ़ाने में कठिनाई उपस्थित हुई ? अगर हां, तो पंचायत समिति, सांचोर में ऐसे कितने कुए थे जो सीमेन्ट न मिलने की वजह से अपूर्ण रहे ?

(५) क्या यह सच है कि पंचायत समिति, सांचोर में कृषि सिंचाई के कुए सिर्फ सीमेंट कंकरीट से ही बंधाये जाते है ? अगर हां, तो क्या सरकार इस समिति के लिए ग्रीष्म ऋतु में तीन मास के लिए विशेष सीमेंट कोटा

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मन्जूर कर सीमेंट उपलब्ध कराने का निर्णय लेने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जायेगा ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले अधिवेशन में प्रश्न संख्या १२५ के उत्तर में जो आंकड़े मैंने दिये थे वे स्टाफ की गलती के कारण गलत थे। अब जो आंकड़े दे रहा हूं वे ठीक हैं।

श्री अध्यक्ष : आप लिखित उत्तर दे दें माननीय सदस्य को।

श्री चन्दनमल वैद : लिखित ही है।

(१) पिछले दो सालों में जालौर जिले को रेग्युलर कोटा में ६४,००० बोरियां व एडहॉक कोटा में १,२०,१०० बोरियां सीमेन्ट की अलॉट की गई।

(२) १९६२ व १९६३ के अलॉटमेंट में से जिला जालौर में ५६,६४७ बोरियां सीमेंट की पहुंची। ये बोरियां १९६२ व १९६३ के सालों में ही प्राप्त हुईं। ६८,८०३ बोरियां सीमेन्ट की विभिन्न कम्पनियों द्वारा अभी प्राप्त नहीं हुई हैं तथा ६४,६५८ बोरियों के ऑथोराइज़ेशन प्राप्त नहीं हुए। इन ५७,६४७ बोरियों में से ७,२०० बोरियां पंचायत समिति सांचोर को दी गई हैं।

(३) सरकार द्वारा अलॉटेड सीमेंट में से कुछ कम्पनियों से सीमेंट कम आया उसके बारे में एस० टी० सी० व द्वारका सीमेंट फेक्ट्रियों से बातचीत की गई है। आशा है भविष्य में सीमेंट ज्यादा मात्रा में पहुंचेगा।

(४) आवक को देखते हुए पंचायत समिति सांचोर को काफी सिमेंट दिया गया है।

(५) विशेष कोटा बराबर दिया जाता रहा है लेकिन मुख्य कठिनाई फेक्ट्रियों से सीमेंट पहुंचने की है। अब एस. टी. सी. तथा द्वारका सीमेंट फेक्ट्री से बातचीत करने के बाद आशा है कि इस स्थिति में काफी सुधार होगा।

और जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है कि पिछले दो साल में जहां ७००० बोरियां पहुंची हैं इस साल ६४ में सितम्बर तक हम सांचोर में करीब ८,३१७ बोरियां वहां पहुंचा चुके हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, ये सीमेंट कम्पनियां, गुजरात वाली यह एलॉटेड कोटा बिल्कुल टाइम पर नहीं भेजती हैं; यहां तक कि जो काम करने का मौसम है काश्तकारों का उसमें बिल्कुल सीमेंट नहीं भेजती हैं और बरसात के टाइम पर सीमेंट भेजती हैं। मैं धन्यवाद दूंगा राज्य सरकार को को बरसात के टाइम में ही सही सीमेंट आया और 'हमने उसको युटिलाइज़ कर लिया। गर्मी की ऋतु के अन्दर जब काश्तकार कुए बनाते हैं उस समय बिल्कुल सीमेंट प्राप्त नहीं हो सका। कम्पनियां बराबर गड़बड़ करती हैं। उनके एजेन्ट डिफॉल्ट करते हैं तो दूसरे एजेन्ट एप्वोइन्ट नहीं हो पाते हैं। इसके बारे में राज्य सरकार ने क्या सोचा है और कम्पनियों ने क्या जवाब दिया है ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हम सतर्क हैं और प्रयत्न कर रहे हैं। सीमेंट कन्ट्रोल आर्डर के तहत स्टॉकिस्ट्स नियुक्त करने का अधिकार सीमेंट कम्पनियों का है, वह न स्टेट गवर्नमेंट को है और न सेन्ट्रल गवर्नमेंट को है। इसके बारे में एस. टी. सी. को लिखा-पढ़ी कर रहे हैं कि दूसरी कोआॅपरेटिव सोसाइटीज को स्टॉकिस्ट नियुक्त कर दिया जाय तो ज्यादा मात्रा में सीमेंट पहुंच सकेगा। किसी प्रकार से भी भारत सरकार राजी नहीं हुई है और अभी पर्मीशन नहीं दी है। इसके बावजूद भी द्वारका सीमेंट कम्पनी की आॅथोरिटीज से बातचीत चल रही है और एस. टी. सी. से बातचीत चल रही है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जालौर और सांचोर को सीमेंट पहुंचाया जा सके। यह दूसरा जो कि माननीय सदस्य ने कहा है कि गुजरात की सीमेंट कम्पनियों से सीमेंट आता है इस वास्ते सीमेंट आने में काफी गड़बड़ होती है। इसके बावजूद पूरी कोशिश कर रही है और जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है कि पिछले दो सालों को मिलाकर इस साल सितम्बर के महीने तक ज्यादा सीमेंट पहुंच चुका है। आशा है, भविष्य में हमारे जो प्रयत्न हैं वे सफल सिद्ध होंगे।

श्री अध्यक्ष : भारत सरकार ने एक घोषणा की है कि जिन राज्यों का सीमेंट का कोटा है उसमें से कुछ निश्चित राशि कृषि कार्य के लिए रिज़र्व कर दी जाय, तो क्या राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाने का विचार कर रही है ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि कृषि कार्य के लिए अलॉट किया जाय। प्रश्न यह है कि जो एलॉटेड कोटा है वह पूरी मात्रा में वहां पहुंचे। खास तौर से जालौर और सांचोर ऐसे जिले हैं जो कि द्वारका सीमेंट कम्पनी और दूसरी गुजरात की कम्पनी के ज़ोन में आता है। आया ट्रांस्पोर्ट की डिफिकल्टी के कारण या और किसी डिफिकल्टी के कारण वह सीमेंट समय पर नहीं पहुंचा पाते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जो एलॉटमेंट है वह कम है। यह भी दिक्कत नहीं है कि जो एलॉटमेंट हो रहा है वह कृषि कार्य के लिए कम हो रहा है। हमें एलॉटमेंट जो होता है वह कलेक्टर के हाथ में छोड़ देते हैं कि कलेक्टर अपने जिले की आवश्यकताओं को देखते हुए अलग अलग कार्यों के लिए एलाट कर दें और हम केन्द्रीय सरकार से भी ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं की भी मांग आती है कृषि कार्यों के लिए तो सीमेंट एलाट कर देते हैं। कम से कम कृषि-कार्यों के लिए सीमेंट कम एलॉट कर रहे हों, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि सीमेंट जो एलॉट कर रहे हैं वह कम मात्रा में पहुंचती है, खास तौर से जालौर इस बात में दुर्भाग्यशील रहा है। उम्मीद है कि आगे हम सफल हो सकेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार या तो सेन्टर से बात करके कोटा को मुकर्रर कराके और कम्पनियों से सब बात करके ऐसा कॉन्ट्रेक्ट करे कि लोगों को समय पर सीमेंट उपलब्ध हो जाय ताकि जो समय है काश्तकारों के फ़ुरसत का उसमें कुए का काम कर सकें, वर्ना बरसात की मौसम में

Page No. 28

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

सीमेंट को पड़ा रखना पड़ेगा और कृषि का कार्य खत्म होने के बाद में उसको काम में लावेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुप्रसाद।

स्थगित प्रश्न

(१७-८-६४)

हरिजन सेवक संघ, भीलवाड़ा

७६. **श्री भानुप्रसाद कराड़िया** (चौमू) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भीलवाड़ा में हरिजन सेवक संघ कब से चालू है तथा उसे आज तक सरकार से कितनी कितनी धनराशि मिली है तथा इस संस्था ने क्या क्या कार्य किये हैं ?

(२) इस संस्था द्वारा कौन कौन से छात्रावास चलते हैं तथा किन स्थानों पर तथा उन पर सालाना व्यय कितना किया जाता है ?

(३) क्या यह संस्था सुचारु रूप से चल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उपमंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) हरिजन सेवक संघ, भीलवाड़ा २५ मार्च सन् १९५१ से कार्य कर रहा है लेकिन इस संघ को समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता सन् १९५२-५३ से दी जा रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा जो सहायता सन् १९६३-६४ तक दी गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इस संस्था ने मुख्यतया अस्पृश्यता निवारण, आर्थिक उन्नति, भंगी कष्ट मुक्ति, शिक्षण एवं संस्कार सुधार, आदि कार्य किये हैं।

(२) हरिजन सेवक संघ, भीलवाड़ा द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावासों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इन छात्राओं पर औसतन सालाना व्यय की सूचना सूची में अंकित है।

(३) जी हां। यह संस्था सुचारु रूप से चल रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : अभी तक सूची सदन की मेज पर नहीं रखी गई है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सूची नहीं दी गई है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (चनेड़ा) : जब प्रश्न पहले पूछा गया था तो सूची नहीं दी गई थी। मैंने यह प्रश्न पूछा था तो स्थिति बताई गई थी कि सन् ५८ से लेकर ६३ तक ३,१२,०००) रुपया इस संस्था को दिया गया है।

जैसा कि मंत्राणी महोदया बता रही हैं उन्होंने जो छात्रावास चलाया इस पर सिर्फ ४२,००० रु० सं.रे खर्च किये गये जब कि ३ लाख १२ हजार रुपये उनको दिये गये थे। हमने पहले पूछा था कि उसके डिटेल्स

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

बताये जायं कि जो राशि बची है उस संस्था के पास उसको किस काम में खर्च किया ? इसके उत्तर में वे कहतीं हैं कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आज भी वे जवाब दे रहीं हैं कि ३ लाख १२ हजार रुपये जो दिये गये थे उनमें से ४२ हजार रुपये खर्च किये तो बाकी २ लाख ८० हजार रुपये बचे वे किस काम में खर्च किये, यह बताया जाय ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसके बारे में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन सामने नहीं है। जो है उसका पूरा पूरा उत्तर दिया जा चुका है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : प्रश्न को उस समय स्थगित भी इसी पॉइन्ट पर किया गया था कि आंकड़े नहीं बताये थे। किसमें खर्च किया, कितने रुपये आये, किन किन कामों में खर्च हुआ, इसका कोई उत्तर नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): इनको जब सूची ही नहीं मिली है तो ये सप्लीमेन्ट्री प्रश्न क्या पूछेंगे ? सूची मिली नहीं और आंकड़े जुबानी आप बता नहीं रहीं हैं, फिर यह आपका क्या उत्तर है ?

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्न आया था उस समय सूची दे दी गई थी।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : फिर स्थगित किस कारण किया गया था ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : पहले सूची दी गई थी उसमें यह था कि सन् ५८ से ६३ तक किस किस साल कितना कितना रुपया दिया गया, वह टोटल मिलाकर ३ लाख १२ हजार होता है और छात्रावास पर ५ साल में जो खर्चा किया गया वह ४२,००० रु० है। हमने उस समय भी पूछा था कि ३ लाख १२ हजार में से ४२ हजार रुपये निकलने के बाद जो बचते हैं वह रुपया किस काम में खर्च किया ? उसके डिटेल्स बताये जायं लेकिन नहीं बताये गये, इसलिए प्रश्न स्थगित हुआ था।

श्री रामकिशन (वैर) : इसे फिर से रखा जाय क्योंकि लाखों रुपयों का मामला है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसकी सूचना मैं पीछे दूंगी।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) : इसके अकाउन्ट्स का ऑडिट रेगुलरली हुआ है क्या ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो वार्षिक रिपोर्ट छपती है वह ऑडिटेड होती है।

श्री भैरोंसिंह : वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी जाय।

श्री अध्यक्ष : हर साल ऑडिट होता है।

श्री भैरोंसिंह : जो वार्षिक रिपोर्ट बता रही हैं वह सदन की मेज पर रख दी जाय।

श्री अध्यक्ष : रखवा दी जायगी।

(विराम)

श्री मानिकचन्द सुराणा ।

स्थगित-प्रश्न

[१८. ८. ६४]

जोइन्ट रजिस्ट्रार की नियुक्ति

२८८. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या भारत सरकार के सामुदायिक व सहकार मंत्रालय ने राज्य सरकार को सहकारी कृषि के विकास के लिए एक अलग से जोइन्ट रजिस्ट्रार या प्रथम श्रेणी के अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश दिया था ? यदि हां, तो यह निर्देश किस तारीख को दिया गया और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(उत्तर देने में देरी होने पर)

मंत्रीजी का नाम बतादूं क्या कि किस को जवाब देना है।

श्री अध्यक्ष : सहकार मंत्री।

उप-मंत्री, सहकार (श्री भीमसिंह) : सहकारी कृषि के विकास के लिये अलग से अधिकारी रखने की सिफारिश भारत सरकार से सन् ६० में आई थी। राज्य सरकार में सहकारी कृषि के लिये एक उप-रजिस्ट्रार (कृषि) जुलाई सन् ६० से ही काम कर रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रश्न यह है कि इसमें जोइन्ट रजिस्ट्रार रखने के लिये गवर्नमेंन्ट ऑफ इंडिया ने सिफारिश की थी। आपका यह उत्तर आ रहा है कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार रख लिया है। मैं समझता हूं मंत्री जी जोइन्ट रजिस्ट्रार और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के फर्क को समझते होंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि जोइन्ट रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के लिये रखने की भारत सरकार की सिफारिश को गवर्नमेन्ट ऑफ राजस्थान ने अस्वीकार कर लिया है क्या ?

सहकार मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): राजस्थान गवर्नमेन्ट ने जोइन्ट रजिस्ट्रार की जगह डिप्टी रजिस्ट्रार को रखने का फैसला किया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या इसकी जानकारी डिप्टी मिनिस्टर साहब को नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : आपको जानकारी दी जा चुकी है। उनको जानकारी है या नहीं, यह देखना आपका काम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

स्थगित प्रश्न

[१८. ८. ६४]

आर. जे. टी. आर. टैक्सी के परमिट, उदयपुर

३०१. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) उदयपुर में १९६४ में किन किन को आर. जे. टी. आर. टैक्सी के परमिट दिये गये और किन आधारों पर ?

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

(२) आर. जे. टो. आर. टैक्सी के लिए कितने व्यक्तियों की मांग थी? जिनको परमिट नहीं दिये गये उसके क्या कारण थे?

उप-मंत्री यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) उदयपुर में १९६४ में श्री गुलाम अब्बास अजन्ता होटल, उदयपुर को आर. जे. टी. आर. ६४ का परमिट दिया गया क्योंकि आर. जे. टी. आर. नम्बर अलॉट करने की सब शर्तों की पूर्ति की गई थी।

(२) निम्नलिखित व्यक्तिय को परमिट नहीं दिये गये। क्योंकि उन्होंने आवश्यक शर्तों की पूर्ति नहीं की :—

१. श्री बसन्तकुमार, उदयपुर

२. श्री दीन बन्धु, उदयपुर

३. श्री मुखी गोवर्धन दास

४. श्री रमेश कुमार पारीक।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने जो चार नाम बताये हैं उन चारों व्यक्तियों ने सारा एग्रीमेन्ट और पूर्ति कर दी थी जो किया जाना चाहिये था, उसके बावजूद भी उनको पर्मिशन क्यों नहीं दी और दूसरे को दे दी गई?

श्री भीमसिंह : मैंने जैसा कि निवेदन किया जितने आवश्यक कागज़ात पूरे करने चाहिये थे वे पूरे कर दिये, इसलिये परमिट दे दिया गया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आर. टी. ओ. से टैक्सी गाड़ी चलाने की पर्मिशन मिली या नहीं? आपने उत्तर में बताया कि खानापूरी नहीं की इसलिये पर्मिशन नहीं दी। इस पर्मिशन के बिना आज १ साल से बराबर टैक्सी चल रही हैं, वे किस ऑथोरिटी से चल रही हैं?

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया कि अब खानापूरी कर दी है इसलिये परमिट मिला। पहले पूर्ति नहीं की थी, इसलिये नहीं मिला था।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह जरूरी नहीं है कि टैक्सी चलाने से पहले उन लोगों को आर.टी.ओ. से पर्मिशन मिलनी चाहिये?

श्री भीमसिंह : पहले एप्लाई करते हैं; सारी खानापूरी होती है तब परमिट लेते हैं, पहले नहीं लेते।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ये गाड़ियें परमिट मंजूर होने से पहले ही दे दी गई थीं; बिना परमिट के कितने महीनों से चल रही हैं?

श्री भीमसिंह : आपको कुछ मुगालता है, उसको मैं सही कर दूं। जो बसेज़ चलती हैं उनमें पहले परमिट होता है लेकिन टैक्सी में पहले गाड़िया एलॉट होती हैं बाद में परमिट लेते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि परमिट मिलने से पहले गाड़ियां एलॉट होने के बाद इस पीरियड़ में गाड़ियां बिना परमिट के चलीं?

Page No. 32

श्री भीमसिंह : इस बीच में किसी ने अवैधानिक तरीके से चलाई हों तो हो सकता है चलाई हों। नोटिस में बात आती है तभी उचित कार्यवाही की जाती है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : पहले जवाब दिया गया था उसमें साफ तौर से कहा गया था कि पहले लाइसेन्स होना चाहिये। जिन्होंने लाइसेन्स नहीं लिया उसके बावजूद भी जिन्होंने गाड़ियों का उपयोग किया, बिना परमिट के गाड़ियां बहुत दिनों तक चलाई और हजारों रुपये नाजायज तौर से कमाये, उसके लिये आपने क्या किया ?

श्री भीमसिंह : इससे लाइसेन्स नहीं लेने का सवाल नहीं है। पहले भी मैंने निवेदन किया था कि जिन्होंने शर्तों की पूर्ति नहीं की थी उनको परमिट नहीं दिया गया। जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन आदि कम्पलीट होना चाहिये वे पहले कम्पलीट नहीं थे इसलिये नहीं दिया गया। इस दरमियान में पूर्ति कर दी इसलिये परमिट मिल गया। लाइसेन्स का क्वेश्चन नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मेरा स्पेसिफिक प्रश्न यह था, अभी आपने फरमाया कि उनके पास पहले परमिट नहीं था। मैंने प्रश्न पूछा उस समय तक बे ६ महीनों तक गाड़ियें चला चुके थे और नाजायज तौर से उन्होंने पैसा जमा कराया।

श्री भीमसिंह : परमिट में लाइसेन्स होता है, फीस जमा नहीं हुई थी वह जमा हो गई; सारे कागजात पूरे हो गये इसलिये परमिट दे दिया गया। यदि परमिट नहीं देते हैं तो आप कहते हैं कि परमिट नहीं दिया और देते हैं तो कहते हैं कि क्यों दिया ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, इस वक्त इस बात को इधर-उधर लेकर इसका जवाब दिया जा रहा है जब कि पहले इसका स्पष्ट उत्तर दिया गया था। जिस वक्त प्रश्न पूछा गया था, उस समय कोई खाना-पूरी नहीं की गई थी, जब कि यह स्पष्ट रूप से नियमों में है कि जब तक खाना-पूरी नहीं हो तब तक गाड़ी नहीं मिल सकती। ये गाड़ियां गवर्नमेंट के कोटा में से दी गई हैं। आप कहते हैं कि मेरा प्रश्न पूछने के बाद खाना-पूरी की तो नौ महीने पहले जो गाड़ी मिल गई और चलाई गई और नाजायज उपयोग किया वह क्यों किया ?

प्रश्न (२) में मैंने पूछा है कि कितने आदमी हैं जिन्होंने गाड़ियां मांगी थीं और उनके क्या नाम हैं ?

श्री भीमसिंह : आपने प्रश्न पूछा था उस समय कागजात पूरे नहीं थे और परमिट नहीं मिले थे। अब कागजात पूरे हो गये हैं और परमिट मिल गये हैं। अब आप उसी जवाब को लेना चाहें तो वह इनकम्प्लीट और गलत जवाब कैसे दिया जायगा। आपने जब प्रश्न पूछा था उस समय कागज अधूरे थे और परमिट नहीं मिले थे। अब मैं कैसे वही निवेदन कर दूं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने प्रश्न पहले पूछा था तब तक खाना-पूरी नहीं हुई थी और बिना खाना-पूरी हुए गाड़ियां चली

Page No. 33

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

थीं और बिना खाना-पूरी किये ही गवर्नमेंट के कोटे से गाड़ियां दे दी गई थीं।

श्री भीमसिंह : खाना-पूरी होने के बाद में परमिट दिया गया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : नौ महीने तक बिना खाना-पूरी हुए गाड़ियां चलीं या नहीं—यह जवाब दे दीजिये।

श्री रामकिशन(वैर): यह बात पूछी जा रही है कि परमिट मिलने से पूर्व और कोटा के अलाट होने से पहले ये गाड़ियां बिना परमिट और लाइसेन्स के चली हैं या नहीं ?

श्री भीमसिंह : परमिट नहीं था तो एज़ ए प्राइवेट कार यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टैक्स जमा करा दिया है और टोकन लिया है। फिर नोटिस में आया कि परमिट लेना चाहिए तो प्रेस किया गया। बाद में गाड़ियों का परमिट बना है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आर. जे. टी. आर. के नम्बर से गाड़ियों का परमिट बना है। आप यह कैसे कह सकते हैं कि प्राइवेट गाड़ी की तरह चला सकते हैं ? मेरा प्रश्न है उसमें आर. जे. टी. आर. नम्बर खिला हुआ है। मेरा जो प्रश्न है उसका जो आप जवाब दे रहे हैं उसमें गलत बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप इस बात को छिपा रहे हैं कि नौ महीने तक बिना आथोरिटी की गाड़ियां चली हैं और जितनी सारी कमाई नौ महीने में की है वह सारी की सारी इल्लीगल है। इस बात को आप हाउस में कह दीजिये।

श्री अध्यक्ष : टैक्सी गाड़ी पर जो मोटर टैक्स होता है वह शुरू में जमा कराया या परमिट देने के बाद ?

श्री भीमसिंह : २० रुपये अलग लिये जाते हैं। अगर कोई इसमें इर्रेगुलेरिटी की हो तो उन्हें मैं कहता हूं कि ऐसे इन्स्टान्स बतायें।

श्री रामकिशन : आप खुद कह रहे हैं कि प्राइवेट टैक्सी के रूप में चली हैं। आप साफ कह चुके हैं।

श्री भीमसिंह : मैं प्रिज़्यूम करता हूं। अगर किसी ने गाड़ियां ली हैं और कोई काम पड़ जाय तो ऐसा नहीं होता है कि वह काम में नहीं ले। मैंने प्रिज़म्प्शन की बात कही है कि गाड़ियों का परमिट नहीं लिया है और उसके पहले कोई काम पड़ जाय तो आदमी पैदल नहीं जायगा, वह उसको काम में लेगा।

श्री रामकिशन : ये प्रिवलेज्ड पोज़ीशन में मिली हैं, एक सुविधाजनक स्थिति में मिली हैं, उनका उपयोग इसमें नहीं हो सकता है। आप कहते हैं कि वैसे गाड़ी को उपयोग कर सकते हैं, यह गलत है। वह उसी काम के लिए दी गई है, और प्रिविलेज्ड पोज़ीशन में मिली हैं कि टूरिस्ट्स की सेवा के काम में लेंगे। लेकिन नाजायज रूप से उपयोग करके सरकार के कानून का उल्लंघन किया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपने गत समय जवाब दिया था कि टैक्सी बिना परमिट लाइसेन्स के चल रही है। जो

(श्री मुरलीधर व्यास)

आप बात कह रहे हैं वह क्यों कह रहे है यह में जानता हूं। दीन मोहम्मद और बसन्तकुमार हैं, बसन्तकुमार दीनमोहम्मद का साला है और दीन मोहम्मद मुख्य मंत्री का साला है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर स्पष्ट है।

श्री मुरलीधर व्यास : मुख्य मंत्री का रिश्ता है इसलिए छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : Order please! मुख्य मंत्री को इस बीच में लाये बगैर भी स्पष्टीकरण करा सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : बसन्तकुमार दीनमोहम्मद का साला है और दीन मोहम्मद मुख्य मंत्री का साला है, इसलिए इस बात को छिपाने के लिए........

श्री अध्यक्ष : Order please! माननीय सदस्य से निवेदन कर चुका हूं कि व्यक्तिगत प्रश्नों को न उठायें। जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब दिया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : बहुत देर तक हम चुपचाप बैठे हुए हैं और तथ्यों को छिपाने की कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : इस तरह से आप सदन के वातावरण को न बिगाडें। व्यक्तिगत बात उठाने के समय पर व्यक्तिगत बात उठायें, तथ्य उठाने के समय तथ्य उठायें।

श्री मुरलीधर व्यास : पद का दुरुपयोग हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : कोई नहीं हो रहा है। जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा हैं उसको वे स्वीकार करते हैं कि कुछ दिनों बगैर परमिट के चली हैं इसमें छिपाने की क्या चीज हुई ? आप अगर भर्त्सना करना चाहते हैं तो उसके लिए मौका अलग से मिल सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : गत समय इसको मंजूर कर चुके हैं, लेकिन आज नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आज भी मंजूर करते हैं कि परमिट दी है, उससे पहले गाड़ी चली है। उन्होंने इससे कभी इन्कार नहीं किया है। आप वैसे ही आक्षेप लगाते हैं, मंत्री महोदय पर।

श्री रामकिशन : फिर साफ बताते क्यों नहीं ?

श्री अध्यक्ष : क्या बतायें ? आपको बताया कि अगर कानून का उल्लंघन करके बगैर परमिट के टैक्सी चलाई हैं तो वे जांच करवा सकते है। सम्भवतः चलाई होंगी, यह उन्होंने कहा है। यह तथ्य सामने आ गया है कि गाड़ी पहले ली और परमिट बाद में लिया गया।

श्री रामकिशन : वे दूसरी बात और कह रहे हैं।

Page No. 35

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने कोई बात नहीं छिपाई। अगर आप इसका बहस में उपयोग करना चाहते हैं तो वह बाद में बहस में उपयोग कर सकते हैं। अभी इसका उपयोग नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। टैक्सी के लिए गाड़ियां एलाट करने के साथ साथ यह कन्डीशन भी इम्पोज़ कर दी गई है कि टैक्सी पर कलर और मीटर लगायेंगे ?

श्री भीमसिंह : यह पोज़ीशन है कि टूरिस्ट गाडियां मीटर की नहीं हों, कलर की नहीं हों। टूरिस्ट कार हैं, उनके लिए सेन्टर और स्टेट्स थ्रू आउट यह पोजीशन है कि उन पर न तो कलर होता है, न मीटर होता है।

श्री भैरोंसिंह : ये गाडियां कौनसी हैं, ये गाडियां अलॉट की हैं इनमें से कितनी टूरिस्ट गाड़ियां हैं और कितनी टैक्सी हैं ?

श्री भीमसिंह : ये गाड़ियां मिलती हैं, वह एक गाड़ी मिलती है एक क्वार्टर के अन्दर, वह टूरिस्ट कार और टैक्सी दोनों में से किसी में अलॉट करें; जो एप्लीकेन्ट एप्लाई करते हैं उनमें से बहुत से टूरिस्ट के लिए एप्लाई करना चाहते हैं, बहुत से टैक्सी के लिए एप्लाई करते हैं। उनमें से टूरिस्ट कार और टैक्सी दोनों के लिए एलॉट करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जो गाड़ियां आपने एलॉट की हैं उनमें से कितनी टूरिस्ट कार्स हैं और कितनी टैक्सी हैं ?

श्री भीमसिंह : इसकी सूचना आप अलग से चाहते और अलग से मांगी जाती तो क्लासीफाई करके, मालूम करके बताता। मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि यह बताऊं कि इन एप्लीकेन्ट्स में से कितनी टैक्सी के लिए और कितनी टूरिस्ट कार के लिए एप्लीकेशन्स हैं।

श्री भैरोंसिंह : टूरिस्ट गाड़ियों के एलॉटमेंट के लिए जो नियम बने हुए हैं उनका पालन करना, इनका एलॉटमेंट करके बाद में किया गया है ?

श्री भीमसिंह : कोई नियम नहीं बने हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : वे क्या किसी नियम के आधार पर दिये गये ? जो प्रायोरिटी दी है वह किस आधार पर दी है ?

श्री भीमसिंह : प्रायोरिटी का क्वेश्चन नहीं है। जिनकी एप्लीकेशन्स आती हैं, उनमें इन्फोर्मेशन मौजूद होती है, उसको देख लेते हैं और किसी की जेनुआइन डिमान्ड होती है तो उसको एलॉट होती है और अगर नहीं होती है तो एलॉट नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह : आपने गवर्नमेंट के कोटा में से दी है या अलग से कोटा दिया है ? जो कोटा प्रेस्क्राइब है उसमें से दी है ?

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री उद्योग) : टैक्सी के कोटा में से।

श्री भैरोंसिंह : टैक्सी कोटा में से टूरिस्ट कार के लिए एलॉटमेंट नहीं किया जा सकता, मैं पूछना चाहता हूं कि टैक्सी के नियम बने हुए हैं कि मीटर लगाना पड़ेगा ।

श्री भीमसिंह : टैक्सी और टूरिस्ट कार का एक कोटा है, जुदा जुदा कोटा नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : टैक्सी के लिए प्रेस्क्राइब कर रखा है, वह कोटा है टैक्सी का उसमें टूरिस्ट कार एलॉट नहीं हो सकती ।

श्री भीमसिंह : It can be allotted for tourists as well as for taxi.

श्री भैरोंसिंह : जो नियम बने हुए हैं उनमें प्रायोरिटी निश्चित करने का अधिकार मिला हुआ है। उसमें 'टूरिस्ट' का शब्द नहीं है । "टैक्सी" का शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसलिए टैक्सी के लिए एलॉट कर सकते हैं ।

श्री भीमसिंह : Taxi for tourists purposes and taxi for...

श्री भैरोंसिंह : कोई पर्पज़ के लिए नहीं दे सकते ।

श्री रामकिशन : अभी माननीय मंत्री जी ने....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो नियम बने हुए हैं उसमें टूरिस्ट्स और प्राइवेट पर्पज़ के लिए, या टूरिस्ट कार या टैक्सी में मीटर लगाने के सम्बन्ध में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ? टैक्सी में मीटर लगाने का नियम है ।

श्री भीमसिंह : ऐसा है कि थ्रू आउट इंडिया सेन्टर का यह गाइडेन्स है कि टैक्सी के लिए तो मीटर और कलर होना आवश्यक होगा लेकिन टूरिस्ट कार में नहीं होगा । क्योंकि टूरिस्ट कलर की गाड़ियां और मीटर लगी हुई गाड़ियां पसन्द नहीं करते हैं । डी. एल. जेड. में भी न तो कलर होता है और न मीटर होता है । दूसरी स्टेट्स में भी यही ट्रेडीशन फोलो किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : टूरिस्ट गाड़ियां ज्यादातर बड़ी गाड़ियां होती हैं, छोटी गाड़ियां टैक्सी के रूप में होती हैं–ऐसा फर्क है ?

श्री भीमसिंह : दूसरी गाड़ियां भी होती हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फीएट नहीं होती है ।

श्री भैरोंसिंह : जो गाड़ी एलॉट की हैं उनके लिए आर. टी. ए. से टैक्सी के रूप में परमिट ली हैं, क्या यह सही है ?

श्री भीमसिंह : जो परमीट दी गई है उसके एक्चुअल वर्डिंग्ज मुझे मालूम नहीं हैं । वे वर्डिंग्ज़ देख कर ही मैं कह सकता कि हूं टैक्सी के नाम की हैं या टूरिस्ट के नाम की हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने आपका ध्यान जिनकी ओर आकर्षित किया है, अगर

(श्री अध्यक्ष)

टैक्सी और टूरिस्ट में फर्क है तो नियमों के अनुसार क्या कार्यवाही होनी चाहिए, इसकी जांच कर लें और उचित कार्यवाही कर लें।

श्री भैरोंसिंह : एक बात और मुझे कहनी है, अध्यक्ष महोदय, इसके नियम और आॅर्डर कहीं अवेलेबल नहीं हैं, राजस्थान राज-पत्र में नहीं छपे हैं, भारत सरकार के राज-पत्र में छपे हों-इसका पता नहीं है। उसकी कॉपी हाउस में रख दी जाय ताकि कितना कोटा एलॉट होता है, किन रूल्स के अनुसार, किस प्रकार उसको एलॉट किया जाय और किन किन को अधिकार है इन सबकी जानकारी मेज पर रखवा दी जाय।

श्री अध्यक्ष : विभागीय सक्यूलर्स भी होंगे; नियम भी बने बनाये होंगे।

श्री भीमसिंह : कोई नियम नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : कार कन्ट्रोल आॅर्डर के तहत जो एक्सप्लेशन्स, नोटिफिकेशन, आॅर्डर्स कानून के अनुसार जारी किये हुए हैं उनकी प्रतिलिपि भी आप सदन की मेज पर रख दें कि किस कानून के अन्तर्गत बंदिश लगाई है। उसकी कानूनी स्थिति सदन को मालूम हो जावे।

श्री भीमसिंह : जो कन्ट्रोल आॅर्डर्स हैं वे सेन्ट्रल गजट में पब्लिश हो चुके हैं। उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कई आॅर्डिनेन्सज़ वक्तन-फवक्तन इश्यू होते रहते हैं उनको भी आप सदन की मेज पर रख दें।

श्री भीमसिंह : जो जो अध्यक्ष महोदय कहेंगे हाजिर कर दूंगा।

श्री रामकिशन : एक प्रश्न; जब आपको मालूम हुआ कि बिना परमिट के गाड़ी चल रही है तो जानकारी मिलने के बाद परमिट ले लिया। मगर जब तक बिना परमिट के चलते रहे उस समय के लिये आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री भीमसिंह :-उनको नोटिस दिया गया कि परमिट फौरन लेवो अगर नहीं लोगे तो कार्यवाही करेंगे।

श्री रामकिशन : आपने अभी यह कहा है कि जब मेरे को जानकारी मिली कि बिना परमिट के गाड़ी चल रही है तो उनको प्रेस किया परमिट के लिये और नोटिस दिया। मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि मोटर विहिकल्स एक्ट के तहत क्या आपने कोई कानूनी कार्यवाही की या नहीं ?

श्री भीमसिंह : आप इनके लिये सेपरेट प्रश्न द्वारा पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : सेपरेट प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। आप आश्वासन दे दीजिये कि कार्यवाही की जावेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : टैक्सी के परमिट जिनको नहीं दिये गये उनके क्या कारण थे ?

श्री अध्यक्ष : टैक्सी का मामला समाप्त किया जावे।

Page No. 38

एक माननीय सदस्य : पार्ट (२) का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अलवर जिले के सैटिलमेंट का कार्य

४६६. कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि अलवर जिले की कुछ तहसीलों में अभी हाल ही में सेटिलमेंट हुआ है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस सेटिलमेंट के पश्चात् बांटी गई सेटिलमेंट की पर्चियों में से ६५ प्रतिशत पर्चियों के इन्द्राज़ गलत हैं, इस कारण हजारों की संख्या में अपीलें चल रही हैं ?

(३) क्या यह सही है कि सैटिलमेंट द्वारा चारागाहों का परिसीमन बिल्कुल गलत तरीके पर किया गया है जो भूमि वास्तव में काश्त के योग्य है उसे, चरागाह बना दिया गया है व जो भूमि ऊंची-नीची व नले वाली है उसे सिवाय चक में निकाल कर भूमिहीनों के लिए रखा है ?

(४) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? इस सम्बन्ध में सरकार इस गलती को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(१) तहसील राजगढ़, अलवर व बहेराड जिला अलवर के खालसा ग्रामों में सेटिलमेंट हाल ही में हुआ है।

(२) जी नहीं।

(३) सैटिलमेंट द्वारा चरागाहों का परिसीमन नियमानुसार किया गया है। गांवों में सिवाय चक बंजड भूमि उपलब्ध थी उसमें पहिले नियमानुसार चरागाह सीमांकित की गई। तत्पश्चात् अवशेष भूमि सिवाय चक में रखी गई।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

अजमेर-भीलवाड़ा रूट का राष्ट्रीयकरण

४६७. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही, कि अजमेर से भीलवाड़ा बस रूट राष्ट्रीयकरण में ले लिया गया, लेकिन हाइकोर्ट से स्टे होने से सरकारी बसें नहीं चल सकीं ? यदि हां, तो स्टे किस तारीख को हुआ तथा इसमें पैरवी करने वाला वकील कौन था तथा इस पैरवी में कुल कितना व्यय हुआ ?

(२) क्या हाइकोर्ट से स्टे इसलिये दिया गया है कि इस रूट का राष्ट्रीयकरण करने

(श्री विजयसिंह झाला)

के पहले राजस्थान सरकार को उक्त कानूनी कार्यवाही करनी चाहिये थी वह नहीं की गई थी ? यदि हां, तो कौनसी कार्यवाही नहीं की गई व उसके लिये कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा अब तक उसमें में कौन २ सी कानूनी कार्यवाही पूरी करली गई है ?

(३) क्या यह सही है कि आर. टी. ए. द्वारा इस रूट के परमिट को पुनः ३ साल के लिए रिन्यू कर दिया गया ? यदि हां, तो कब तथा क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में एतराज प्रस्तुत किया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) क्या यह सही है कि इसी रूट को भीलवाड़ा से उदयपुर वाया चित्तौड़गढ की राष्ट्रीयकरण योजना में लिया जाना था ? यदि हां, तो भीलवाड़ा से उदयपुर वाया चित्तौड मंगलवाडा तथा वाया फतहनगर कौन कौन सी गाड़ियां किस की इन दोनों रूट्स के बीच चलती हैं ?

उत्तर

(१) यह सही है कि अजमेर से भीलवाड़ा बस रूट राष्ट्रीयकरण हेतु योजना प्रकाशित हो चुकी है। राष्ट्रीयकरण विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर वहां के आपरेटरों ने याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय में दिनांक २८-७-६२ को पेश की जिस पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक १०-८-६२ को स्टे आर्डर दे दिया गया, तत्पश्चात विज्ञप्ति में कुछ त्रुटियां होने के फलस्वरूप दिनांक १८-११-६३ को यह आदेश दिया गया कि राज्य के लीगल रिमेम्बरेन्सर इसकी फिर से जांच करें और अपना फैसला दें। सरकार की तरफ से इस केस की पेरवी गर्वनमेंट एडवोकेट कर रहे थे। अतः इस पैरवी के कारण सरकार को कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं करना पड़ा।

(२) राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा स्टे इसलिये दिया गया कि उक्त योजना में राष्ट्रीयकृत मार्ग पर होती हुई चलने वाली कुछ गाडियों का योजना में विवरण था और कुछ का नहीं, हाईकोर्ट की राय यह थी कि एक ही श्रेणी के मार्गों के या तो समस्त ओपरेटरों का योजना में विवरण हो या उनमें से एक का भी न हो, यह कमी योजना प्रकाशित होने के बाद ही मालूम हो सकी और इन कमियों के लिये सम्बंधित अपराधकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। उक्त कमियों को पूरा करके योजना फिर से राजस्थान राज्यपत्र दिनांक ३० अप्रेल, १९६४ में पुनः प्रकाशित करदी गई है और जो आपत्ति-पत्र प्राप्त हुये हैं उनकी सुनवाई लीगल रिमेम्बरेन्सर के द्वारा की जा रही है।

(३) जी हां, १९६३ में रिन्यू किये गये हैं। मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट के नियमानुसार उस समय तक आपत्ती नहीं उठा सकते जब तक कि फाइनल योजना प्रकाशित न हो जाय। इसलिये कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया।

(४) भीलवाड़ा से उदयपुर वाया चित्तौड़ की एक अलग राष्ट्रीयकरण योजना थी जो

(श्री यातायात मंत्री)

योजना लीगल रिमेम्बरेन्सर द्वारा मार्ग का निरीक्षण करने के पश्चात रद्द करदी गई। भीलवाड़ा से उदयपुर वाया चित्तौड़गढ़ मंगलवाड़ा की सूची सदन की मेज पर रखदी गई हैं, भीलवाड़ा से उदयपुर वाया फतहनगर कोई बस नहीं चलती। भीलवाड़ा से फतह-नगर वाया आमली-गंगापुर जो बसें चलती हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है, उदयपुर से फतहनगर चलने वाली बसों की सूची भी सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम खोरी व कोटा में डकैतियां

४७३. (५३३। सी० एम०) श्री बृजेन्द्र पाल (करौली) : Will the Home Miniter please state :—

(1) Is it a fact that a gang of dacoits committed dacoity in Kota village on 24-6-64 and Khori village on 25-6-64 (Karauli-Subdivision) ?

(2) Whether the gang has been identified ?

(3) Please give the details of the crime along with the nature and extent of loss of Property ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां

(३) गांव कोटा से सोने चांदी के आभूषण नकद इत्यादि मिला कर अभियोगी की सूचना अनुसार लगभग रु० ५०००) के मूल्य की सम्पत्ति एवं ग्राम खोरी से आभूषण, खाद्य पदार्थ, नकद इत्यादि मिलाकर लगभग रू० २००० के मूल्य की सम्पत्ति डाकू दल लूट कर ले गया।

काश्तकारों से कलेक्शन चार्ज की वसूली जिला चूरू

४७४. श्री रावतराम (सादुलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कोशिश करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चूरू जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत जिन काश्तकारों को लोन दिया गया, उस लोन की वसूली के साथ दस प्रतिशत कलेक्शन चार्ज भी रेवेन्यू अधिकारियों ने वसूल किया है ? यदि हां, तो जिन लोगों से अभी तक १० प्रतिशत कलेक्शन चार्ज वसूल किया गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) कृपया यह बतावें कि १० प्रतिशत क्लेक्शन चार्ज किन नियमों के अन्तर्गत वसूल किया गया है ?

(३) क्या कलेक्शन चार्ज जो वसूल किया है सरकार उसे अनियमित मानती है ? यदि

(श्री रावतराम)

हां, तो क्या सरकार उसे वापिस लौटाने पर सहमत है ?

उत्तर

(१) ऋण पर बकाया राशि के ५ से १० प्रतिशत वैधिक कार्यवाही एवम् तदानुषंगिक परिव्यय (Incidental costs) (क) के रूप में लिया गया है। सूची सदन की मेज पर टी रख गई है।

(२) राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी रूल्स १९५३ के रूल १२(ए) के अनुसार एक्ट के अधीन किसी वैधिक कार्यवाही का तथा तदानुषगिक परिव्यय (incidentel costs) जिसके लिये उक्त कार्यवाही के प्रभारी अधिकारी द्वारा धारा २४ के अन्तर्गत आज्ञा पारित की गई हो, उक्त सरकारी मतालबा (Public demand) जिसके सम्बन्ध में धारा ३ के अन्तर्गत वसूली का मांग-पत्र जारी किया गया है की बकाया राशि के ५ प्रतिशत से कम और १० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। १० प्रतिशश की अधिकतम राशि केवल उन्हीं मामलों में लगाई जावेगी जिनमें एक्ट के अधीन सम्पूर्ण कार्यवाहियां पूर्ण हो गई हों।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सीमेंट कम्पनी, लाखेरी की बी. जी. रेल्वे लाईन

१०६. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सीमेन्ट कम्पनी लाखेरी द्वारा जो पत्थर की खानों तक पहुँचने के लिए बी. जी. रेल्वे लाईन निकाली गई थी वह लाखेरी ग्राम के बीच से होकर जाती है ?

(२) यह रेल्वे लाईन कब निकाली गई, इसके लिये भूमि कब और कितनी अवाप्त की गई और इस सम्बन्ध में गजट में कब विज्ञप्ति जारी की गई ? यह रेल्वे लाईन कुल कितने रकबे पर गुजरती है ?

(३) इस भूमि की कितनी २ कीमत लाखेरी नगरपालिका, सरकार और सम्बन्धित मालिकों को चुकाई गई ?

(४) क्या यह सही है कि यह रेल्वे लाईन कुछ पुलों पर से भी गुजरती है ?

(५) क्या यह सही है कि जिस भूमि को रेल्वे लाईन के नाम पर लिया गया उस पर होकर यह रेल्वे लाईन नहीं निकाली गई और वह आज भी पड़त है और आबादी के बीच में है और नगरपालिका उसे काम में ले रही है और वहां मकान और सार्वजनिक कुए बने हैं और वहां साप्ताहिक हाट लगाता है ?

(६) क्या यह सही है कि यह भूमि कुछ वर्षों पहले सीमेन्ट कम्पनी के खाते दर्ज करदी गई ? यदि हां, तो कब और कितनी (रकबा) भूमि दर्ज की गई ?

Page No. 42

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(७) क्या यह सही है कि जिलाधीश, बूंदी ने इस खातेदारी की कार्यवाही को खारिज करना उचित बता कर सरकार को लिखा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

(८) क्या यह सही है कि इस रेल्वे लाईन के निकलने से पहले वहां नगरपालिका कायम थी?

(९) क्या यह सही है कि इस रेल्वे लाईन के निर्माण के समय जनता व कम्पनी के बीच संघर्ष हुआ और लोक परिषद् के तत्वावधान में २४ दिन तक सत्याग्रह किया गया?

(१०) क्या यह सही है कि उस समय की सरकार ने मध्यस्थता करके ग्रामवासियों और कम्पनी के बीच बूंदी नरेश के द्वारा इकरार-नामा करवाया था? यदि हां, तो इकरार-नामे की प्रति सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(११) क्या यह सही है कि इस रेल्वे लाईन से कई व्यक्ति और जानवर मर गये और इसकी सूचना पुलिस के पास मौजूद है? यदि हां, तो कितने व्यक्ति और जानवर कब कब मरे हैं और इकरारनामे की शर्त के अनुसार इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है या नहीं?

(१२) क्या यह सही है कि इस रेल्वे लाईन के दोनों तरफ किसानों के कच्चे मकान हैं और वे इंजन की चिनगारियों से जल जाते हैं? यदि हां, तो कब कब मकान जले हैं और उनके मालिकों में से किस किस को कब कब मुआवजा दिया गया है?

उत्तर

(१) हां, यह सही है कि सीमेन्ट कम्पनी लाखेरी की पत्थर की खानों तक पहुंचने के लिये रेल्वे लाइन ग्राम लाखेरी के बीच होकर निकली हुई है। प्राप्त सूचना के अनुसार रेल्वे लाइन कस्बे के एक तरफ से निकाली गई थी लेकिन बाद में मकानात बनाने से यह बीच में आ गई है।

(२) रेलवे लाइन का निर्माण सन् १९४६-४७ में हुआ था इसके लिये सन् ४६ में २५७ बीघा १६ बिस्वा भूमि कम्पनी द्वारा प्राप्त की गई थी। जिसमें से ७० बीघा ८ बिस्व कम्पनी ने जिनकी भूमि थी उनको मुआवजा दिलाया तथा शेष १८७ बीघा ८ बिस्वा सरकारी भूमि लीज़ पर दी गई थी। रेल्वे लाइन इसी भूमि से गुजरी है।

(३) बी. जी. लाईन के निर्माण हेतु कम्पनी ने प्राइवेट पार्टीज़ से ७० बीघा ८ बिस्वा व सरकार से लीज़ पर १८७ बीघा ८ बिस्वा भूमि प्राप्त की थी। कम्पनी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार व नगरपालिका को कोई कीमत नहीं चुकाई गई तथा जिन जिन प्राइवेट पार्टीज़ को मुआवजा दिया गया है उनकी सूचि संलग्न है।

(४) हां, यह सही है कि रेल्वे लाइन कुछ पुलों पर से भी गुजरती है।

(५) जिन जिन नम्बरान की जमीन कम्पनी द्वारा रेल्वे लाइन हेतु ली गई थी

(श्री यातायात मंत्री)

उन्हीं नम्बरान में से रेलवे लाईन निकाली है तथा जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुये २०-२० व २५-२५ फुट की जगह दोनों तरफ छोड़ी गई है। इस जगह पर पालिका द्वारा अपना अधिकार कर लिया गया है तथा वहां पर साप्ताहिक हाट भी लगता है। इसके साथ-साथ आसपास कच्चे व पक्के कुछ मकान भी बने हुये है। तथा बाकी जगह आम जनता के काम में आती है। प्राप्त सूचना के अनुसार रेल्वे लाइन कस्बे के एक तरफ से निकाली गई थी लेकिन बाद में मकानात आदि बनने से यह लाइन कस्बे के बीच में आगई है।

(६) हां। यह सही है कि रेलवे हेतु सन् १९५७ में सीमेन्ट कम्पनी के खाते में ७०।१ बीघा भूमि दर्ज की गई है।

(७) श्री जिलाधीश, बूंदी ने उक्त-खातेदारी को खारिज करने बाबत नहीं लिखा।

(८) हां। यह सही है कि रेल्वे लाइन निकालने के पहले से ही लाखेरी में नगर-पालिका कायम थी?

(९) हां। यह सही है कि सन् १९४६ में रेलवे लाईन बनाते समय जनता व सीमेन्ट कम्पनी के बीच संघर्ष हुआ था तथा लोक परिषद के नेतृत्व में सत्याग्रह भी चला था।

(१०) हां। यह सही है कि उस समय ग्रामवासियों एवं सीमेंन्ट कम्पनी के बीच बूंदी नरेश की मध्यस्थता से इकरारनामा हुआ था। इकरारनामे की प्रति संलग्न है।

(११) पुलिस के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सन् १९५४ से अब तक ३ भैंसें व १ व्यक्ति मरे हैं व्यक्ति की मृत्यु दिनांक ११-५-५४ को हुई है। कम्पनी के बीच होने वाले इकरार नामे में इस बाबत व्यवस्था का का कोई विवरण नहीं है।

(१२) यह सही है कि रेल्वे लाइन के दोनों तरफ कच्चे मकान बने हुये हैं। पुलिस से प्राप्त सूचना के आधार पर अब तक २ घटनायें हुई हैं तथा उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। इसके अलावा इस कार्यालय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पुलिस विभाग के कर्मचारियों के यात्रा एवं दैनिक भत्ते के भुगतान में विलम्ब - कोटा डिवीजन

१०७. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Home Minister please reply :—

(1) How many officefs and men of the Police Department in Kota Division have not received their T. A. and D. A. during the prevoius year and the year before last?

(2! What are the reasons for the delay in the payment of T. A. and D. A. and what steps have the Gove-

Page No. 44

(श्री जुझारसिंह)

ment taken to improve the situation in the future ?

उत्तर

(१) सन् १९६३-६४ का यात्रा भत्ता किसी का भी बकाया नहीं है। इसके पहिले की अवधि का २८८ पुलिस कर्मचारियों का यात्रा भत्ता बकाया है।

(२) समय पर बिल पेश नहीं हुये। पश्चात में त्रुटियां पूरी कराने के सम्बन्ध में पत्र व्यवहार में समय लगा। इसी बीच बिल टाईम बार हो जाने से अधीकृत उच्च अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त करने में भी समय लगा। तब तक यात्रा भत्ता के बजट में रकम भी पूरी खर्च हो गई जिससे बिल्स पास नहीं हो सके।

अब बजट में उचित राशि उपलब्ध करदी गई है, भविष्य में देरी न होइस के लिए समय पर ही बिल पेश करने तथा पूरक धन-राशि उचित समय में ही उपलब्ध करने के लिए सम्बन्धित अधीक्षक, आरक्षीयों को आदेश दे दिये गये हैं।

सहकारी समितियों को कृषि भूमि का अलॉटमेन्ट

१०८ श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सहकारी कृषि के लिये सन् १९६१-६२, ६२-६३ व ६३-६४ में कितनी २ भूमि किस २ जिले में किस २ सहकारी समिति को एलॉट की गई ? उसकी सूची सदन की मेज पर रखें। भूमि एलॉटमेन्ट के लिये किन २ के आवेदन-पत्र आये व उनमें से किन २ को भूमि एलॉट हुई ?

उत्तर

सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

माध्यमिक शाला, पचपहाड़, जिला झालावाड़ में कमरों का अभाव

१०९. श्री गोविंद सिंह (पिड़ावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) माध्यमिक शाला पचपहाड़, जिला झालावाड़ में पहली कक्षा से ८ वीं कक्षा तक सन् ६२–६३ व ६३–६४ में कितने विद्यार्थियों ने शिक्षा पाई ? प्रत्येक कक्षा में कितने २ विद्यार्थी थे और हर कक्षा में कितने २ सेक्शनस थे ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए पाठशाला में कमरों की कमी है ?

(३) पाठशाला में कुल कितने कमरे हैं और कितने कमरों में कक्षाएं चलाई जाती हैं ?

(४) क्या यह सही है कि कुछ कक्षाएं खुली जगह, पेड़ों की छाया में चलाई जाती हैं और बारिश के मौसम में ऐसी कक्षाओं के विद्यार्थियों की छुट्टी कर देनी पड़ती है ?

Page No. 45

(श्री गोविंदसिंह)

(५) राज्य सरकार कमरों के अभाव को किस प्रकार पूरा करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(१) माध्यमिक शाला पचपहाड़ में पहली कक्षा से ८ वीं कक्षा तक सन् १९६२-६३ व ६३-६४ में क्रमशः ३८१ व ३७० छात्रों ने शिक्षा पाई। प्रत्येक कक्षा में निम्न प्रकार छात्र व सेक्शन थे—

कक्षा	सन् ६२-६३	सेक्शन संख्या	सन् ६३-६४	सेक्शन संख्या
१	८७	२	५८	२
२	३६	१	४०	१
३	६५	२	४७	२
४	४८	१	६०	२
५	२६	१	४६	१
६	५२	२	३९	१
७	३९	१	४१	१
८	२८	१	३९	१
	३८१	११	३७०	११

(२) जी हां।

(३) पाठशाला में ८ कमरे व दो बरामदे हैं।

५ कमरों में कक्षाएं चलाई जाती हैं।

१ कमरा पानी, १ कमरा कार्यालय व १ कमरा स्टोर के काम में आता है।

(४) जी हां।

(५) इस अभाव को पूर्ण करने के लिये स्कूल दो शिफ्टों में लगाई जाती है। फिर कमरों के अभाव की पूर्ति के लिये जनता ने ६००० रु० की धनराशि एकत्रित की है और सरकार भी इतनी ही धनराशि अर्थ व्यवस्था को देखते हुये प्रदान करने पर विचार करेगी।

जिला गंगानगर में समाज कल्याण विभाग द्वारा व्यय की गई धनराशी

११०. योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) १९५९-६०, १९६०-६१, १९६१-६२, १९६३-६४, १९६४-६५ में समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला गंगानगर में कितना कितना रुपया व्यय किया गया तथा किस किस कार्य के लिये किया गया ? इसमें से कितना समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा सीधा व्यय किया गया तथा कितना गंगानगर जिले की पंचायत समीतियों द्वारा ? सूची वर्षवार व समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि सोशियल वेलफेयर की मद में गंगानगर जिले की पंचायत समितियों को अनुसूचित जन जातियों के लिये कोलोनी बसाने के लिये, राशि दी गई थी ? यदि हां, तो समितिवार व वर्षवार, २ अक्टूबर, १९५६ से आज तक की राशि बतायें।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(३) पंचायत समितियों, जिला गंगानगर द्वारा अनुसूचित जन जातियों की कोलोनीज़ के लिये दी गई राशि से कहां कहां कार्य पूरे हो गये हैं तथा कहां २ अधूरे पड़े हैं तथा अधूरे कार्य कितने समय से अधूरे है ? उन्हें पूरा कराने के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त राशि गंगानगर जिले में कई जगह सरपंचों के व्यक्तिगत उपयोग में आ रही तथा कोई अनुसूचित जन जाति की कोलोनी निर्मित नहीं हुई है और क्या यह भी सही है कि न राशि ही रिकवर की गई है न कार्य ही पूरा किया गया है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(२) जिला गंगानगर में अनुसूचित जन जातियों के निमित्त कोलोनी तथा मकान बनाने के लिय समाज कल्याण विभाग द्वारा पंचायत समितियों को कोई सहायता नहीं दी गई।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

शिक्षास्तर में गिरावट

१११. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) राजस्थान में गत ३ वर्षों में कितने कितने छात्रों ने मेट्रिक की परीक्षा दी और प्रत्येक वर्ष कितने कितने विद्यार्थी पास हुए ?

(२) क्या यह सही है कि शिक्षा के स्तर में गिरावट होने से प्रत्येक वर्ष परीक्षा फल खराब होता गया है ?

(३) यदि हां, तो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये सरकार अब क्या प्रयास करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) राजस्थान में गत ३ वर्षों में जितने छात्र मेट्रिक की परीक्षा में बैठे और पास हुए निम्न प्रकार हैं—

सत्र	परीक्षा में बैठे	पास हुए	प्रतिशत
१९६०-६१	४१२५०	२००७३	४८.७
१९६१-६२	३९१९४	२००९७	५१.३
१९६२-६३	३७१९८	१७६१७	४७.४

(२) परीक्षा परिणाम को देखते हुये ऐसा विदित नहीं होता है कि मैट्रिक परीक्षा के स्तर में कोई महत्वपूर्ण गिरावट आई हो। सत्र १९६१-६२ में परीक्षा परिणाम सत्र ६०-६१ से अच्छा रहा परन्तु १९६२-६२ में १९६१-६२ से कुछ कम रहा। मामूली नीचे परिवर्तन को देखकर यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि शिक्षा के स्तर में गिरावट आ गई हो।

(श्री शिक्षा मंत्री)

३–प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्थगन प्रस्ताव विषयक

श्री अध्यक्ष : कुछ स्थगन प्रस्तावों की सूचना मिली हैं । सरकार की तरफ से जांच हो रही है और उनका उत्तर नहीं आने से बाद में निर्णय दिया जावेगा ।

(विराम)

श्री मथुरादास माथुर (योजना मन्त्री): अध्यक्ष महोदय,...........

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :कोटा के सम्बन्ध में जो कल भाषण दिया था उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि वहां कल से पूरी हड़ताल है । इसलिये इस सम्बन्ध में वहा की स्थिति के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री अपना वक्तव्य दें ....

श्री अध्यक्ष : सरकार उसकी जांच कर रही है । अभी हर एक माननीय सदस्य को इस तरह से शुरू होने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पटना) : अध्यक्ष महोदय, वहां की हालत.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, । इसके बारे में पूरी जानकारी आ रही हैं । तथ्यों का पता लगाया जा रहा है । तथ्यों का पूरा पता लग जावे फिर उस पर चर्चा करना आवश्यक है ।

कार्य सलाहकार समिति के सतरहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर सहमति

श्री मथुरादास माथुर :अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के सतहरवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यसलाहकार समिति के सतरहवें प्रतिवेदन पर अपनी सम्मति प्रकट करता है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

(१२.३५ म०प०)

खाद्य स्थिति विषयक खाद्य मंत्री महोदय का वक्तव्य एवं उस पर वाद-विवाद

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के कई माननीय सदस्यों को खाद्यान्नों की स्थिति के बारे में काफी चिन्ता रहती है और इस सिलसिले में कुछ स्थगन-प्रस्ताव जो कुछ आपके समक्ष

(श्री नाथूराममिर्धा)

पेश हुए थे उस बारे में कुछ माननीय सदस्यों से बातचीत होकर यह निर्णय हुआ कि खाद्यान्नों और फ्लड के बारे में, जो कुछ राजस्थान में नुकसान हुआ है और जो स्थिति रही है उसकी चर्चा एक दिन की जावे और आपके हुक्म के अनुसार जो तारीख निश्चित की जावेगी उसका पालन किया जावेगा और इसके पहले मैं माननीय सदस्यों के सामने एक नोट पेश कर दूंगा और फिर जो कुछ उस पर बहस होगी उस पर जो कुछ उतर देने की आवश्यकता होगी उसका मैं उतर दूंगा ।

इसके पहले खास तौर से कुछ माननीय सदस्यों को यह भी चिन्ता थी कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कुछ भाव, आनेवाली फसल के बारे में निर्धारित करने का फैसला किया है और वे भाव और यहां के भावों के बीच में स्टेट कितना क्या कर सकती है उसके बारे में कुछ रेंज बताई । राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से विचार-विमर्श करने के बाद जो कुछ नीति निर्धारित की और उसके बाद कुछ फैसला करने का निर्णय लिया है और वे फैसले, क्योंकि हमारा अधिवेशन चल रहा है, मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके मारफत सदन के सामने रखूंगा और वे आज से कानून-कायदों के रूप में लागू होंगे; सरकार ने फैसला किया है।

जैसा कि एक स्थगन-प्रस्ताव जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया है कि राजस्थान में रवी फसल के बाद राजस्थान सरकार ने एक्स पोर्ट के बारे में क्या फैसला किया है ? खास तौर से गेहूँ के बारे में हमारा अलग ज़ोन है जिसके बारे में राजस्थान का गेहूं राजस्थान में रहेगा, लेकिन जौ के बारे में जितना भी जौ होगा उसका २५ प्रतिशत स्टॉक बाहर एक्सपोर्ट कर सकेंगे और २५ पर्सेन्ट स्टॉक बनेगा। उसी तरह से चने के बारे बारे में यह तय हुआ था कि जो स्टॉक होगा उसका ३६ परसेन्ट राजस्थान के बाहर भेज सकेंगे और बाकी दो तिहाई-हिस्सा राजस्थान के अन्दर ही बेचना पड़ेगा । पर इसके बावजूद भी, खास तौर से गेहूं के भाव जो (५३) रु० और ६४) रु० प्रति क्विन्टल हैं उसके बाद भी गेहूं राजस्थान के बाजार में जिस मात्रा में आना चाहिये नहीं आया और वह गेहूं खास तौर से अभी तक कई व्यापारियों और दूसरे लोगों के पास पड़ा हुआ है । मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक कोई नई फसल नहीं आवेगी तब तक राजस्थान सरकार का जो निर्णय है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है और वे ही रेट्स रहेंगी, चाहे वह उपलब्ध नहीं होगा। हम जितना भी इम्पोर्टेड व्हीट की आवश्यकता होगी उस मात्र में सप्लाई करेंगे और जितना धान और गेहूं की आवश्यकता होगी उसे पूरा करेंगे । खास तौर से बीज के बारे में, चने के बारे में डिफिकल्टीज़ आई और वह इस कारण की हमारी पड़ोसी स्टेटों ने, जैसे पंजाब ने केन्द्रीय सरकार से मिल कर चना देना बन्द कर दिया और यू.पी. ने भी यह कदम उठाया । इस पर राजस्थान ने केन्द्रीय सरकार से विचार-विमर्श किया और उसका यह परिणाम है कि भारत सरकार ने यहां से चने का एक्सपोर्ट कम्पलीट बन्द करने के लिये एलाउ कर दिया है । आज से कोई चना बाहर नहीं जावेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट पड़ौसी स्टेटों में रुक

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जाने के कारण से उसकी मांग हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों से काफी ऊंची हो गई और उसका नतीजा यह हुआ कि चने का भाव ८० रु० प्रति क्विन्टल तक कुछ दिनों से बिक रहा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अब तो सब चना गया ।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्यमंत्री) : अभी बहुत है, आप फिर शिकायत करेंगे कि सुल गया । अभी पड़ा है, हमें मालूम है । चने के बारे में आज भी यह स्थिति है राजस्थान में काफी मात्रा में इसका स्टॉक है । इसलिये चने या चने की प्रोडक्ट्स आने वाली रवी की फसल नहीं आयेगी तब तक राजस्थान के बाहर जानी बन्द रहेगी । इसके [illegible] ही साथ आने वाली खरीफ की फसल [illegible] में राजस्थान सरकार ने निर्णय लिये हैं, [illegible] बारे खास तौर से जिसे कोर्स ग्रेन कहते [illegible] में जवार, बाजरा, मक्का की फसलें इन्वोल्[illegible] हैं, इनके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने भारत सरकार से चर्चा करके निर्णय लिये हैं । वे निर्णय इस प्रकार हैं ।

राजस्थान से तीनों धानों की निकासी इन शर्तों पर होगी कि आज जितने भी स्टॉक्स दिखते हैं, उनमें से या आगे नये खरीद कर स्टॉक बनाये जायेंगे उनमें से २५ फी सदी इन कोर्स ग्रेन्स को बाहर एक्स्पोर्ट किया जा तभी सके, वह तभी एक्सपोर्ट कर सकेंगे जब कि इतनी ही मात्रा में यानि २५ फीट सदी माल राजस्थान सरकार को, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कलेक्टर्स द्वारा जो अलग अलग एजेन्ट्स मुकर्रर किये हुए हैं उन एजेन्ट्स को २५ फी सदी माल सरकार को बफर स्टॉक बनाने के बारे में उन सरकारी एजेन्ट्स को देना होगा । किन कीमतों पर देना होगा इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा जिसके बारे में भारत सरकार से बात करके हम निर्णय कर रहे हैं ।

फूड ग्रेन्स की रेट्स क्या होंगी, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने भारत सरकार से बात-चीत करके यह निर्णय लिया है कि बाजरा जो कि राजस्थान के किसान पैदा करके बेचना चाहते हैं उनको उनके बाजरे की ४०रु ५० नया पैसा प्रति क्विटल कीमती मिलनी चाहिये । इससे नीचे भाव जाते हैं तो सरकार खुद खरीद कर अपना बफर स्टॉक बनाने के लिये तैयार है । इसलिए बाजरे का भाव ४० रु० ५० न. पै. मिनिमम निश्चित किया गया है । इससे नीचे किसानों के पैदा किये हुए बाजरे की कीमत को नहीं गिरने दिया जायगा । ज्वार की दो किस्में रखी हैं, एक सफेद मोटे दाने की उसका ४० रुपया प्रति क्विन्टल भाव रखा है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मक्का के लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब अभी बता रहा हूं । २५ परसैंट एक्सपोर्ट के सम्बन्ध में उपरोक्त शर्त सबके लिये है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : भाव क्या निश्चित किये हैं ?

Page No. 50

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं अभी कह रहा हूं, मैंने खत्म थोड़े ही कर लिया है।

श्री रामकिशन (वैर) : मक्का डूंगरपुर में होती है, इसलिये याद दिलाया कि कहीं आप भूल गये हों।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, मैं भूलता नहीं हूं। सफेद ज्वार जिसका मोटा दाना है जो कोटा की तरफ ज्यादा पैदा होती है उसका भाव ४० रुपया प्रति क्विन्टल रखा है। उसके बाद मक्का के बारे में यह निर्णय लिया है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पीली और लाल ज्वार का नहीं बताया।

श्री नाथूराम मिर्धा : पीली और लाल ज्वार का ३८ रु० प्रति क्विन्टल भाव मुकर्रर किया है। मक्का के भाव किसानों के लिए ३६ रुपया प्रति क्विन्टल मुकर्रर किया है। इन भावों के निर्धारण का जहां तक सवाल है, भारत सरकार ने सारे देश के खाद्य मन्त्रियों, चीफ मिनिस्टरों और राज्यों के अधिकारियों से काफी अर्से तक चर्चा करके, पिछले तीन सालों में औसत भाव क्या थे, इन १०-१२ महीनों में महंगाई में भाव कहां तक पहुंचे हैं, क्या उचित भाव आज होने चाहिए इन सारी बातों को ध्यान में रख कर भारत सरकार ने कुछ प्राइसेज़ की घोषणा की और इस बात का अधिकार स्टेट्स का रखा कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्राइसेज़ निर्धारित करें। आने वाली खरीफ में इन तीन आम खाद्यान्नों की किस प्रकार से निकासी होगी, किस प्रकार से बफर स्टॉक बनायेंगे, किसानों को कीमतें कम नहीं मिल पायें, तीन साल में क्या औसतन भाव रहें, इन सब बातों पर विचार करके राज्य सरकार ने इन भावों का निर्धारण किया है।

हम चाहते हैं कि खरीफ की फसल पर चार-पांच लाख टन का बफर स्टॉक यहां बना सकें। व्यापारी इन नियमों के आधार पर व्यापार कर सकेंगे। २५ प्रतिशत निकासी करना चाहें तो २५ प्रतिशत बफर स्टॉक में देना होगा।

सदन के माननीय सदस्यों को मालूम है कि फूड ग्रेन्स लाइसेन्सिग आॅर्डर की धारा ६ के अनुसार होलसेल व्यापारियों पर डेफिस्टि और सरप्लस मंडियों के रूप में, ट्रांजेक्शन के बारे में बंदिशें थीं उनको ढीला कर दिया गया है ताकि व्यापारी भी राजस्थान में ठीक तरह से व्यापार करें और राजस्थान में खाद्यान्नों की प्राइसेज़ को ठीक तरह से बनाये रख कर ठीक तरह से काम करें जिससे हमारे कन्ज़्यूमर्स को ठीक क़ीमतों पर अनाज मिल सके। किसानों के प्रोडक्शन की इन्सेन्टिव प्राइसेज़, जो पिछले तीन सालों के भाव हैं, को निगाह में रखते हुए भाव निश्चित किये गये हैं जो काफी अच्छे हैं। बाजरे का भाव ४० रु० ५० न. पै. मुकर्रर किया है, जबकि बाजरे का भाव इन पिछले तीन सालों में २७-२८ रुपया प्रति क्विन्टल रहा है। ज्वार का २२-२३ का और मक्का का २२-२३ रु० प्रति क्विन्टल का भाव रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने राज्य सरकारों से बात-चीत कर के जो निर्णय लिया कि स्टेट्स का इन हालात को निगाह में रखते हुए, अपनी अपनी स्टेट्स की हालात को निगाह में रखते हुए, प्राइसेज़ का निर्धारण

(श्री नाथूराम मिर्धा)

करना चाहिए। उस आधार पर ये प्राइसेज़ निर्धारित की गई हैं।

हमने यह भी निर्णय लिया है चने की प्रोड्यूस के लिए कि चने का भाव ४८ रुपया प्रति क्विन्टल तय किया है आने वाली फसल के लिए। आने वाली फसल में ४० से नीचे चने के भावों को नहीं जाने दिया जायगा। इससे नीचे भाव जायेंगे तो राज्य सरकार खुद खरीद कर बफर स्टॉक बनायेगी।

राजस्थान की, बीज की और दूसरी, हालात को देखते हुए जो उचित समझे वे निर्णय राजस्थान सरकार ने लिए हैं। २५ प्रतिशत किस प्रकार राजस्थान सरकार व्यापारियों से खरीदेगी इस सम्बन्ध में एक नोटिफिकेशन जल्द ही जनता के सामने आयेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : एक्सपोर्ट को बन्द करने की आपने घोषणा की है इसकी आज्ञा गजट में छाया हो चुकी है क्या ? जो भी नोटिफिकेशन, आदेश, आज्ञा आपने जारी की हैं उनकी प्रतिलिपि आप सदन की मेज पर रख दें तो फूड प्रोब्लम पर बहस के समय सदन के माननीय सदस्यों को सुविधा रहे।

श्री नाथूराम मिर्धा : सब जारी हो चुकी हैं, इधर बोल रहा हूं उधर जारी हो रही हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनकी कोपी सदन की मेज पर रख दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : सब आ जायगी।

श्री रामकिशन (वैर) : काश्तकारों से डिक्लेरेशन लेने की पाबन्दी हटा दी या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो कभी की हटा दी। ५० क्विन्टल एक अनाज या कई अनाज रखने वाले को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, उसका किसानों के लिए रिलेक्सेशन कभी का कर दिया गया है। वे चाहे जितना रख सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ग्राम का भाव ४० रुपया प्रति क्विन्टल मुकर्रर करने का तय किया है, पर अभी किस भाव पर चने का बीज काश्तकारों को मिल रहा है ? किसानों को ७३-८० के भाव पर मिल रहा है। तो क्या आप यह आवश्यक नहीं महसूस करते कि इनके भावों का निर्धारण उचित मूल्य पर किया जाय, गेहूं की कीमतों को देखकर, ताकि किसानों को ठीक भाव मिल सके और कन्ज्यूमर्स को भी ठीक भाव में मिले।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस बार चनों के भाव उठ गए, उसके बावजूद भी राजस्थान के किसानों की जितनी चने के बीज की मांग आई, उनके इस चने की मांग को हमारे सोर्सेज़ से काफी कम भावों पर करवाने की कोशिश की और उनको चने का बीज हमने काफी मात्रा में दिलाया है। बाकी जो लोग बो रहे हैं उनको इस ऑर्डर से काफी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जैसा आपने स्वयं कहा, व्हीट

(श्री नाथूराम मिर्धा)

प्राइसेज़, राइस प्राइसेज, कोर्स ग्रेन प्राइसेज़, मक्का प्राइसेज़, और ग्राम प्राइसेज़ इन सब के बीच में जो हमेशा मन्डी के अन्दर प्राइसेज़ में कोआॅर्डिनेशन रहता है, उन्हीं बातों को ध्यान में रख कर हमने जो ४० रुपये प्रति क्विन्टल भाव है वह प्रोड्यूसर के लिए काफी इन्सेन्टिव प्राइस है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपने कहा कि गेहूं की पुरानी पॉलिसी है और भाव उसी तरह से रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा; यह तो बहुत अच्छी बात है। सवाल यह है कि गेहूं उपलब्ध किस प्रकार से होगा?

श्री नाथूराम मिर्धा : आगे बहस करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अभी तो सूचना दी है, पॉलिसी अनाउन्स की है, उस बारे में सारी बहस होगी।

(१२-५२ म०प०)

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६४- (अग्रेतर विचार-विमर्श एवं पारित)

दी राजस्थान खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड (अमेंडमेंट) बिल, १९६४। माननीय मानसिंह महार ने समाप्त किया था।

श्री रामकिशन : उस समय तो सभी मूड में आये थे।

श्री अध्यक्ष : उस मूड में न बोलें तो अच्छा है। संक्षेप में बोलें।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल सदन के समक्ष राजस्थान खादी एण्ड विलेज़ इन्डस्ट्रीज़ बोर्ड (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा था। मैं बहुत संक्षेप में अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैं इस बिल का विरोध कर रहा था और मेरे इस बिल का विरोध करने का मुख्य कारण यह था कि इस विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार बहुत है और यह एक निकम्मा विभाग है। इसके अन्दर केवल जो लोग कांग्रेस से रुष्ट हो जाते हैं या जिन लोगों को सत्तारुढ़ दल के 'हैव्ज़' में जगह नहीं रहती है उनके लिए यह अनाथाश्रम है। ऐसी हालत में इस विभाग को रेग्यूलराइज़ करना चाहिए और चंदे वगैरह की जो बात कही जाती है वह बिल्कुल गलत है।

अध्यक्ष महोदय, इसके स्टेटमेंट आॅफ आॅब्जेक्ट्स और रीज़न्स को मैंने पढ़ा तो मैं स्तब्ध रह गया। इसके अन्दर कहा गया है कि:The Board receives large sums of money by way of loans, grants and subsides and disburses the same for carrying out the purposes of the Act"

याने इस बोर्ड को बहुत पैसा मिलता है लेकिन इस बोर्ड को एक्चूअली यह अधिकार आज दिन तक नहीं है कि वह इस प्रकार के सब्सीडीज़, लौन्स, वगैरह सरकार से ले और उनको डिस्बर्स करे। आप एक विडंबना

(श्री मानसिंह महार)

देखिए । जिस संस्था को इस प्रकार की सब्सिडी वगैरह लेने का कानूनी अधिकार नहीं है वह आज दिन तक सब्सिडी वगैरह ले रही है और उनको डिस्बर्स कर रही है। लाखों के गबन हो रहे हैं, लाखों के घोटाले हो रहे हैं और कोई सुनाई नहीं । मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता था, लेकिन इस पैसे का का सबसे अधिक दुरुपयोग जो होता है वह मेरे क्षेत्र में होता है क्योंकि खादी का एक बहुत बड़ा केन्द्र मेरे क्षेत्र में, गोविन्दगढ़ में हैं, मेरे क्षेत्र में चोमूं में है और बहुत बड़ा केन्द्र आमेर में भी खोला गया है और आमेर में ही नहीं चौथी जगह जो मेरे एरिया में है वह है बासा; वहां भी एक केन्द्र है। मुझे इसके इन्टर्नल वर्किंग का पता है इतनी सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है, लोन्स दिए जाते हैं, लेकिन खादी के जो छोटी तनख्वाह पाने वाले कार्यकर्ता हैं उनको यह बोर्ड किसी प्रकार की राहत नहीं देता। वे बहुत लो पेड एम्प्लोइज़ हैं, उनमें बहुत असन्तोष है, लेकिन कुछ नहीं होता । गरीब आदमियों की सहायता के लिए ये लोन, सब्सिडीज़ वगैरह नहीं हैं, या तो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाई जायं और उनमें वे रहते हैं जो ठेके वगैरह देते हैं, उसमें हजारों के घोटाले किए जाय या जो बड़े-बड़े कार्यकर्ता हैं उनकी फैमिलीज़ तथा घूमने के लिए, आराम करने के लिए उन संस्थाओं में जीपें खरीद कर दी जाती हैं। यह सही है आप देख लीजिए।

चोमूं में भी एक जीप दे रखी है उसमें खादी भण्डार के लिए कोई काम नहीं होता है। वहां के बड़े-बड़े अफसर और व्यवस्थापक हैं उनको घुमाने के लिए वह है, इसी प्रकार से आमेर में भी हमारे डाक्टर कल्याण बक्स हैं उसी एण्ड और सब्सिडी से जीप रखी है। वह और उनकी फैमिली जीप में जयपुर शहर घूमते हैं। इस खादी बोर्ड की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे जो लोन्स दिए जाते हैं वे कभी रि-पे नहीं होते। जितनी भी संस्थाएं हैं उनको देख लीजिए उन्होंने लाखों रुपयों के लोन्स दिए हैं, लेकिन उनको रि-पे नहीं किया। ऐसी हालत में जो इनको लोन्स सब्सिडीज़ वगैरह मिलते हैं, वे इर्रेग्यूलर हैं, ऐसी इर्रेग्यूलर चीजों को बन्द करना चाहिए। मैं तो यह भी कहता हूं किसी प्रकार का भी खर्चा इस अनाथाश्रम पर नहीं होना चाहिए।

कल मैंने अपनी स्पीच के अंत में एक बात कही थी, उस समय हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब उछल-उछल कर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। मैं अपने भाषण को समाप्त करने से पूर्व उस बात को इस सदन में क्लीयर करना चाहता हूं, क्योंकि वह आरोप था, बहुत साफ शब्दों में था, उसको मैं फिर से रिपोर्ट करना चाहता हूं। क्योंकि उप-मंत्री कल उसको रिफ्यूट सा कर रहे थे। पिछले वर्ष राजस्थान की जन लेखा समिति जब दिल्ली गई तो वहां पर पूज्य बापू के निर्वाण दिवस २ अक्टूबर को हमारे पी. ए. सी. के सदस्य राज घाट पर गए और राजघाट पर मौनव्रत धारण किया और रात को हमारे उपमंत्रीजी की ओर से एक सम्पचुस डिनर का आयोजन बीकानेर हाउस में हुआ; क्योंकि श्री संजीवैया उस समय मंत्री बने थे उनके ऑनर में हमारे डिप्टी मिनिस्टर, श्री दिनेशराय डांगी, ने एक ठेकेदार के मार्फत दावत का आयोजन किया और दावत में मांस

Page No. 54

(श्री मानसिंह महार)

और मदिरा खूब इस्तेमाल किया, यह राजस्थान के लिए शर्म की बात है और उनको चुल्लू भर पानीमें डूब मरना चाहिए कि बापू के निर्वाण दिवस के दिन ये इस प्रकार की निंदनीय कार्यवाहियां करें और फिर ऐसा आदमी हमारे राजस्थान का, खादी का, डिप्टी मिनिस्टर हो ।

(१ म० प०)

अब तो चौधरी कुम्भारामजी, क्रय विक्रय संघ के, चुनाव जीत कर आ गये हैं, खादी का उन्हीं को मिनिस्टर बना दिया जाय और यह पुरानी टीम है उनको रिटायर कर दिया जाय। अगर सुखाड़िया जी यह काम कर दें....

('सुखाड़ियाजी को ही क्यों न रिटायर कर दिया जाय', ऐसी आवाज,)

तो बापू की आत्मा को आराम मिलेगा और हम जैसे आदमियों की आत्माओं को भी आराम मिलेगा । इसलिए मैं डांगीजी से प्रार्थना करता हूं कि खादी के पवित्र तीर्थ को छोड़ दें क्योंकि आपके मतवालेपन को देख कर खादी रोया करती है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६४ के सिलसिले में कल से विचार-विमर्श हो रहा है । खादी के सम्बन्ध में देश में और इस सदन में जो भावना बनी है, मैं समझता हूं, उसके लिए सरकार और सरकार का प्रत्येक सदस्य जिम्मेदार है ।

जहां तक खादी का सम्बन्ध है, जितने खादी बोर्ड के घोटाले, खादी में मिलावट और खादी में दूसरी बुराइयों का जिक्र किया गया है मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा । जहां जहां खादी संघ और खादी संगठन है उनमें भी इसी तरह की अनियमिततायें और बुराइयों की सूचना मिली है । लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि खादी के नाम पर हिन्दुस्तान के आदमियों से, चाहे वे किसी भी प्रदेश के रहने वालों हों,गाली खाना एक आम बात हो गयी है । मैं राजस्थान के मंत्रीयों से निवेदन करूंगा कि खादी का प्रश्न राजनीति का प्रश्न नहीं है । हो सकता है कि किन्हीं राजनैतिक गलतियों के कारण खादी भी एक राजनैतिक विचारधारा बन गयी हो, लेकिन खादी जैसा उद्योग हिन्दुस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए बहुत ही जरूरी है; हिन्दुस्तान ही नहीं किन्तु जितने भी पिछड़े हुए देश हैं उन सब के लिए खादी जैसे उद्योग बहुत ही आवश्यक हैं ।

विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये है । खादी के बारे में जो उनकी धारणा है यदि वह राजनैतिक दलों तक सीमित नहीं है तो मैं उनका समर्थन करूंगा,लेकिन हिन्दुस्तान जैसे देश, अन्य पिछड़े हुए देश और यहां तक कि मैं विकसित और उन्नत देशों के भी उदाहरण दे कर बता सकता हूं कि गृह उद्योगों में कम पूंजी, कम टैक्निक की आवश्यकता होती है और उन उद्योगों को बड़े बड़े पूंजीवाद

(श्री रामकिशन)

देशों ने भी संरक्षण दिया है। खादी को प्रोत्साहन देने के नाम पर रिबेट देना और दूसरों पर जज़िया कर लगाना; मैं इसके सर्वथा विपरीत हूं, मैं इस का विरोधी हूं। इसलिए नहीं देना है कि कांग्रेस के लोगों ने खादी का मतलब ही नहीं समझा है। मौजूदा जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने न तो खादी के धर्म को समझा है, न अर्थ और न इसकी टैक्नोलोजी को समझा है। उन्होंने खादी पहनी ही नहीं, खादी तब पहनी जब यह नियम कांग्रेस ने बनाया कि कांग्रेस का सक्रियसदस्य वही बन सकता है जो खादी पहिनता हो, इसी से खादी का महत्व समझ गये। आज जिस प्रकार खादी बोर्ड काम कर रहे हैं उन से सफलता की आवश्यकता नहीं समझी जानी चाहिये। हम तो चाहते हैं कि खादी का विकास हो। खादी लोगों को रोजी देने का साधन है, उन लोगों का संरक्षण देने का साधन हैं, विधवाओं को संरक्षण देने का साधन है। उसमें अधिक टेक्निकेल्टी की आवश्यकता नहीं है; इसलिए आज यह और भी जरूरी हो जाता है कि आज जो खादी का काम चल रहा है उससे भी अधिक प्रभावशाली ढंग से इसको चलाना चाहिये, लेकिन हो यह रहा है की गांधीजी की मृत्यु के बाद खादी को गांधीवाद के साथ जोड़ दिया गया है। सरकार में बैठे अधिकांश सदस्यों को न गांधीवाद से कुछ लेना-देना है, न खादी से कुछ लेना-देना है और न ही खादी के दर्शन और उसकी पवित्रता से कुछ लेना देना है। जो गांधीवाद से अलग होकर बैठे हैं वे ज्यादा इस ओर संघर्षशील है। इस देश में कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ और खादी जैसे उद्योगों के बगैर उन्नति नहीं हो सकती। एशिया और अफ्रीका के देशों को देखिये, दुनियां के अन्य विकसित देशों को देखिये, नोर्वे, स्वीडन, डेनमार्क इन देशों में छोटे २ उद्योगों को संरक्षण दिया जाता है। वहां जनता इनका विरोध नहीं करती है, क्योंकि वे अपने देश के लिए इनको बहुत आवश्यक समझते हैं, क्योंकि यह रोजगार देने की दृष्टि से और बढ़ती आबादी की दृष्टि से बहुत जरूरी हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुश्किल यह हो गयी है कि खादी हमारे देश में एक राजनैतिक दृष्टिकोण बनी गयी है। इसलिए मैं कांग्रेस दल से निवेदन करूंगा कि संगठन में यह जो जरूरी कर रखा है कि खादी पहिनना अनिवार्य है और खादी पहने बगैर सक्रिय सदस्य नहीं माना जा सकता, इस पाबन्दी को हटा दें। हमें मुफ्त में गाली मिलती है, वह भी मिट जायगी।

अध्यक्ष महोदय, तीन-चार दिन पहले में धौलपुर से आ रहा था। बस में एक यात्री भी आ रहा था। मैं खादी वाला था। वह कह रहा था कि डकैत दो जगह मिलते हैं या तो खादी में या कादर में ! मैं काफी चुप रहा और वह काफी कहता ही चला गया। आगरा में क्या होता है कि क्यू में लगा तो वह कहता है कि खादी की अक्कड़ में है। मैं कमजोर आदमी था उससे पीछे हट गया। लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि आखिर उसके दिमाग में खादी के बारे मे क्या है ? क्यों इसके दिमाग में चिढ़ है ? यह खादी को बदनाम करने की बात है। जैसा महार सहाब

(श्री रामकिशन)

ने कहा कि उप-मंत्रीजी ने ऐसा आचरण किया है। वह दुख की बात नहीं। कांग्रेस में आने वाले, गरीब मंत्री ऐसा कर बैठे, लेकिन राज्य सरकारों में और केन्द्रीय सरकार में ऐसे सैकड़ों लोग धन्धा करते हैं, उनको तो पकड़ने की हिम्मत नहीं होती है। मैं उस विवाद में पड़ना नहीं चाहता और उन पर सरकार ही विचार करे।

अध्यक्ष महोदय, खादी के लिए तीन-चार करोड़ का अनुदान दिया जा रहा है, जनता पर लगाये गये हैं। लेकिन खादी के उत्पादन की दृष्टि से, खादी में लोगों को रोजगार देने और ट्रेनिंग देने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं हो रहे हैं उस पैसे के द्वारा। उनका उपयोग सही ढंग से नहीं हो रहा है। जितना खादी समितियों को ऋण मिलता है उनका उपयोग किस पर कर रहे हैं? हम देखते हैं कि भवन जहां जहां भी बने हैं विशाल बने हुए मिलेंगे। दिल्ली, भरतपुर और जयपुर में ही खादी भवनों को ले लीजिये। इनको देखें तो हमें यह मालूम पड़ेगा कि ये संस्थायें ऐशोआराम के साधन जुटाने की संस्थायें बन गयी हैं। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि आज खादी वैसे नहीं चल सकती, जैसा गांधीजी खादी की लंगोटी लगा कर चलते थे। खादी शुद्ध हो, बढ़िया किस्म की हो, रेशमी हो और खादी में विशेष आकर्षण पैदा करने की शक्ति हो। कुछ लोगों की यह दलील है कि सुविधाओं को बन्द कर दिया जाय। मैं जानता हूं कि वह आप नहीं कर पायेंगे। लेकिन एक पाबन्दी लगाने की आवश्यकता है कि खादी भवन दिखावे के लिए न हों, ऐश-आराम के लिए न हो और सजावट के लिए न हो। इन पर कम से कम खर्च किए जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, यह हिन्दुस्तान और उसके योजना आयोग दुर्भाग्य है कि हमारे यहां उत्पादन पर आधुनिकता लाने की अपेक्षा खर्च पर आधुनिकता लायी जाती है और दुनिया के उन्हीं देशों ने विकास किया है जिनमें उत्पादन पर आधुनिकता लायी गई है और खर्चे में कमी; दुनिया के उन्हीं देशों ने उन्नति कि है और विकास किया है जिन्होंने अपनी टेक्निलोजी को उन्नत किया है। लेकिन इस देश में उल्टी गंगा बह रही है, उल्टे तरीके से सोचा जा रहा है। जहां उत्पादन पर अधिक खर्चा करके और आधुनिकता और नवीनता लाने की आवश्यकता है वहां खर्चे में और शान शौकत में नवीनता लायी जा रही है, आलीशान भवन बनाये जा रहे हैं और उत्पादन गिरता जा रहा है, उसमें नवीनता और आधुनिकता नहीं आ रही है। उल्टी सोचने की दिशा चल पड़ी है। आज के खादी भवन और खादी मन्दिर इसके प्रतीक हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने खादी में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये। सचमुच में दुख होता है और इसलिए होता है कि देश में खादी को स्वराज्य की आर्थिक उन्नति और सादगी का प्रतीक माना गया है। अक्सर माननीय सदस्य इसलिए डरते हैं उस ओर के कि अगर वे कहेंगे तो नाराज हो जावेंगे। अगर कोई चोर चोरी करें तो नाराजगी नहीं, साधु के भेष में यदि चोर आता है तो भंयकर माना जाता है। खादी में आज यही स्थिति है। देश में, विभिन्न व्यापार में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, यह हम सब मान

(श्री रामकिशन)

रहे हैं, सुन रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन खादी आन्दोलन जो कि हमारे देश की आर्थिक प्रगति का एक बड़ा प्रतीक है यदि इसमें बुरा काम होता है, इसमें यदि भ्रष्टाचार होता है इससे लोगों को दुख होता है और सरकार के मंत्री लोग उन भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश करते हैं। वे यह नहीं समझते कि खादी का प्रश्न नहीं है, खादी देश के गृह उद्योग के रूप में है और इसलिये उसका इस रूप में महत्व है, नये नये लोगों को रोजगार देने का प्रश्न है। खादी में ट्रेनिंग देकर उसके उत्पादन को बढ़ा कर उसमें आधुनिकता लाने का प्रश्न है। अगर आप उस पर विचार नहीं करते तो यह सारा आन्दोलन दिखावा मात्र है और पाखण्ड के सिवाय कुछ नहीं रहेगा और आगे आने वाली संतति यह कहेगी कि हमारे उन लोगों ने इस देश की आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर दिया और देश गृह उद्योगों को एक भ्रष्टाचार के केन्द्र के रूप में खड़ा कर दिया, हमारे देश के गृह उद्योगों को मटियामेट करने की चेष्टा की।

दूसरा आरोप सरकार पर यह है, वैसे कल बहुत से आरोप सरकार पर लगाये गये भ्रष्टाचार के बारे में। मुझे उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, मैं कई बार यह दोहरा चुका हूं कि भ्रष्टाचार और सरकार इन दोनों ने एक साथ साथ जन्म लिया है और साथ साथ ही ये मरेंगे। भरतपुर खादी समिति को पांच लाख का अनुदान किया। उन को पचास हजार का हर साल घाटा हो रहा है और वह समिति कर्जे में जा रही है। उस हर साल होने वाले पचास हजार के घाटे में ये करते क्या हैं? जीप खरीदी जाती है, बड़े-बड़े मकान बनाये जाते हैं। कातने वालियों के वेतन में वृद्धि नहीं होती है, बुनाई वालों को अधिक पैसा नहीं मिलता है, उस हालत में भी पचास हजार का घाटा रहता है? तीन-चार व्यवस्थापक हैं और मैनेजर हैं, उन पर यह खर्च होता है और सारे अग्रवाल ही इसके सब कुछ बन गये हैं। खादी संगठन में भी जाति-पांति फैलाई जाती है और अर्थ का दुरुपयोग किया जाता है। ऊपर से कहा जाता है कि खादी का आन्दोलन कर रहे हैं, खादी आन्दोलन हमारी प्रगति का आन्दोलन है। नतीजा क्या हो रहा है, वह सब सामने है। शिकायतें आती हैं, खादी बोर्ड के सामने आयीं और उनकी कोई सुनायी नहीं, उनको सुलझाया नहीं जाता। बुजुर्ग मन्त्रीजी बैठे हैं, दयनीय स्थिति हो जाती है। जैसे भैरोंसिंहजी और सतीशचन्द्रजी कहा करते हैं। हमारा मन होता है कि बेचारों को बचालिया जाय, बूढ़े हैं। यह मन्त्रीजी के बस का रोग नहीं है। मन्त्री जी के हाथ में यह विभाग निश्चितरूप से ले लेना चाहिये और ऐसे आदमी को देना चाहिये जिसमें साहस हो, हिम्मत हो और जो कुशलता से फैसले कर सके। आज जो स्थिति है उसके लिए यही इलाज हो सकता है। न तो आज इनमें इतना साहस है और न ही यह इनके बसका काम है; ये इस विभाग को नहीं चला सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रावधान में जो व्यवस्थाएं की गई हैं खास तौर पर वह जिसमें छूट मिलने का है कि साल भर में पांच सौ से पांच हजार तक की मिलनी चाहिये, उनके बारे में आन्दोलन की स्थिति अगर नहीं होती तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होता, पर हालत यह है कि आज चारों तरफ

(श्री रामकिशन)

आवाजें आ रही हैं कि खादी कमीशन ने और बोर्ड ने ऐसे कामों के लिये पैसा ऐसे आदमियों को दे दिया है जिनका सम्बन्ध इनसे नहीं है। पांच-पांच सौ से पांच हजार तक करके आप देते रहे तो चार-पांच सालों में धीरे-धीरे आप यह स्थिति ला देंगे कि मकान भर रह जावेंगे इन संस्थाओं के, बाकी कपड़े, वस्त्र, फर्नीचर वगैरह तो बिक जावेंगे, नीलाम हो जावेंगे। साबुन के नाम पर आपने कर्जा दिया, चक्कियों के नाम पर कर्जा दिया, चक्ले बनाने के नाम कर्जा दिया, चमड़ा बनाने के नाम पर दिया, पर आज न चक्कियां बनती हैं, न चूल्हे बनते हैं, न चक्ले बनते हैं, न चमड़ा बनता है, न सामान बनता है। सारा पैसा लोगों की जेब में चला गया है। यह सारा पैसा इसलिये दिया जा रहा है कि जो राजनीति के मैदान में परास्त हो जाते हैं उन परास्त लोगों के लिये एक तरह के ये अनाथाश्रम बन गये हैं; खादी बोर्ड, खादी कमीशन, भारत सेवक समाज, साधु समाज आदि आदि। ये सारे संगठन ऐसे व्यक्तियों के अनाथाश्रम नहीं, एक तरह से आश्रयस्थल बन गये हैं। नतीजा इसका यह होता है कि वे प्रेरणा और स्फूर्ति की दृष्टि से काम करते हैं, न उद्योगों की दृष्टि से काम करते हैं। यह तो राजनैतिक भगोड़ों का आरामगाह बन गया है। वे यह समझते हैं कि चूंकि हम राजनीति से निकाल दिये गये हैं, इसलिये जो साधन मन्त्री के पास होने चाहिये वे हमें वहां से भगा दिये जाने के बाद भी मिल जाने चाहिये। मन्त्रियों की कार वाली सुविधाएं अगर हमें यहां मिल जावें तो हम भी जनता के बीच जाकर कह तो सकते हैं कि हम भी कार लेकर तो घूमते हैं।

इस विधेयक में हम देखते हैं रात-दिन वैसे तथ्य हमें मिलते हैं, उनकी जानकारी है हमें।

राजस्थान का, खादी उत्पादन करने वाले राज्यों में, हिन्दुस्तान में सबसे अच्छा स्थान है। ऐसा मालूम पड़ता है कि दूसरी योजना के अन्त तक जो खादी उत्पादन की गई वह तमाम देश के उत्पादन का १२ प्रतिशत है। पर इसके बावजूद भी हमें देखने को यह मिलता है कि यहां की ये संस्थाएं घाटे में गई, नुकसान में गई। हमारे यहां ये खादी की संस्थाएं घाटे में जा रही है। यह सोचने की चीज है।

मजदूरों को वेतन कम दिया जाता है। छोटे-छोटे मैनेजर को भी दूसरी तरफ दो ढाई सौ तक दे देते हैं, पर जो बुनकर हैं, कातने वाले हैं, छोटे व्यवस्थापक हैं, छोटे दूकानदार हैं, वहां आज भी उनको ५०) और ५५) रु० मिलता है, इसी में वे गुजर कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि खादी संस्थाओं ने अपनी आर्थिक स्थिति नहीं सुधारी तो इस खादी आन्दोलन में आज जो रुपया दिया जा रहा है वह सारा रुपया लेकर ये संस्थान डूब जावेंगे और इसका परिणाम यह होगा कि खादी खतम हो जावेगी। खादी खतम हो जावे तो हो जाय, इससे बहस नहीं, पर आज देश के जो छोटे उद्योग हैं; गृह उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं उन पर इसका बड़ा विपरीत असर पड़ने वाला है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसमें बहुत निष्पक्ष भाव से आप चलाने की कोशिश करें और खास तौर से कम से कम इन घोटालों को बन्द करदें।

(श्री रामकिशन)

दूसरी व्यवस्था इसमें यह की जा रही है कि वित्त सलाहकार उनके लिये रखे गये हैं। इनके लिये २५ हजार के आसपास खर्चा किया गया है। २५ हजार का आप प्रावधान रख रहे हैं इनके लिये, इसको मन्जूरी देने में हमें ऐतराज नहीं, पर फिजूलखर्ची इसमें जो होती है, उस पर ऐतराज है। आज जितनी फिजूलखर्चियां ये खादी कमीशन और बोर्ड हिन्दुस्तान में कर रहे हैं उनको और रोक दिया जावें तो आज जो खादी का उत्पादन देश में हो रहा है। आज १,२२ हजार लोग इससे धन्धा पाते हैं। पर इस फिजूलखर्ची के रोकने पर यह संख्या तीन चार लाख के आस पास पहुंचाई जा सकती है। काफी बड़ा हिस्सा इस पैसे का टीप-टाप में, दूकानों पर, फर्नीचर पर, शान-शौकत पर खर्च कर दिया जाता है। आप यह जान कर ताज्जुब करेंगे कि भरतपुर में एक खादी संस्थान बना। खादी कमीशन से उसने ग्रान्ट ली और उस ग्रान्ट से उसका एक बड़ा भवन बना दिया गया। १५) रुपये रोज बिक्री वहां नहीं होती, पर उसके उद्घाटन के लिये राज्यपाल को बुलाया गया क्योंकि वहां एक दूसरे नेता ने ढेबर भाई को बुलाया था उद्घाटन के लिये, तो इन्होंने राज्यपाल को बुलाया, ये पीछे क्यों रहते, पर इस उद्घाटन का खर्चा इतना हो गया कि उसकी पूर्ति खादी संस्थान में पांच साल तक नहीं होने वाली है। तो ये सारे काम काज ये इस तरह से करते हैं कि जिससे ग्राम-उद्योग का कोई महत्व नहीं रह गया है।

मेरी जानकारी है कि जैसे चौथी योजना में प्रावधान इसके लिये रखा गया है उसमें है लघु उद्योगों पर सरकार ११ करोड़ रुपये इन्वेस्ट करेगी, ऐसा रफ आइडिया चौथी योजना के द्वारा दिया गया है, तो इसकी सुचारु व्यवस्था के बारे में हमें सोचना चाहिये, नहीं तो इसकी भी यही हालत होने वाली है जो आज तक हुई है और जो हम देख रहे हैं। उसमें यह भी उल्लेख है कि उस इन्वेस्टमेन्ट के बाद हम उससे कितना उत्पादन कर सकेंगे। हमें इसका दूसरे देशों से मुकाबला करना चाहिये। ११ करोड़ रुपये में जापान सरीखा देश छोटे उद्योगों में इन्वेस्ट करके २१–२४ करोड़ का उत्पादन कर सकता है, स्केन्डिनेविया जैसा देश भी लगभग इतना ही उत्पादन कर सकता है यह माना है अर्थशास्त्रियों ने। पर योजना कमीशन ने इस पर विचार रखा है कि ११ करोड़ इन्वेस्ट करके १३ करोड़ का ही उत्पादन कर पावेंगे। योजना कमीशन ने फिर भी ठीक सोचा अगर सही रूप में खर्च किया जावे तो यह भी बुरा नहीं है। पर नतीजा हमारे सामने आ जावेगा। इन्होंने उत्पादन बढ़ाने पर इतना जोर नहीं दिया, इन्होंने तो जोर दिया है भवन बनाने पर, दिखावट बढ़ाने पर, पर्दे और शीशों पर बनिस्बत इसके कि दैनिक उत्पादन बढ़े, कत्तिनें बढ़ें, बुनकर बढ़े, उनकी मेहनत का पुरा फल उनको मिले, खादी का उत्पादन बढ़ें।

यह खादी चालाकी से भरे लोगों के द्वारा हिन्दुस्तान में नहीं चलने वाली है। यह सही होगा, किसी जमाने में जब यह स्वराज्य का प्रतीक रही हो, पर आज तो नहीं है आज के बदले हुये जमाने में आप बदली हुई टैक्निक से काम नहीं लेंगे तब तक डेवलप नहीं होगी। जैसे छोटी छोटी मशीनें जापान ने लगाई थी वैसा हमें भी करना होगा। कल एक माननीय सदस्य खादी

(श्री रामकिशन)

के साथ मिल का सूत मिलाने की बात का विरोध कर रहे थे। यह मिलावट सचमुच बुरी है जब कि खादी के नाम से दी जावे। पर मेरी राय इसमें दूसरी है हमें अगर इसके लिये कॉटेज इन्डस्ट्री के लेवल पर लाने के लिये छोटी छोटी मशीनों का उपयोग करना पड़े तो करना चाहिये, और इस तरह से मिल के कपड़े के मुकाबले में भी इसको लाना जरूरी है। आज पहले की तरह खादी और चर्खे को लेकर कोई शपथ खाई जावे, धर्म मानकर इसे चलाया जावे, मिशन समझ कर चलाया जावे, ऐसा करना है तो ऐसी चीज आज नहीं है। हम जानते हैं कि अगर इसको हम जो खादी पहिनने वाले हैं अगर उनकी बीबियां और बच्चे भी पहिनना शुरू कर दें आज की हालत में तो हमारा घर का खर्चा चलना ही असम्भव है क्योंकि आज खादी का कपडा फटता भी जल्दी है और खर्चा भी इसका ज्यादा आता है। तो खादी संस्थाओं को आज चर्खा-वर्खा छोड़कर रिसर्च करना चाहिये और इसे आर्थिक स्वावलम्बन की स्थिति में लाने की कोशिश करें। फिर भले ही इसमें चाहे मिल का सूत मिलावें, धागा मिलावें। कोई हर्ज नहीं है। मैं इसको दूसरी दृष्टि से देखता हूं। जब तक यह टिकाऊ नहीं होगी, मिल के सूत से इसका मुकाबला नहीं होगा तबतक यह स्वतन्त्र गृह -उद्योग के रूप में पनप नहीं सकेगा, कम्पीटीशन में ठहर नहीं सकेगा। हां जबतक शुद्ध खादी के नाम पर इसे बेचा जाता है, तब तक मिलावट करने वाले के साथ वही सख्ती का वर्ताव करना चाहिये जो मिलावट किसी चीज में करने वाले के साथ किया जाता है क्योंकि ऐसा करके तो वे धोखा देते हैं लोगों को अपनी आत्मा को और देश को भी।

पर इससे भिन्न इसके विकास की कार्य-प्रणाली आप नहीं अपनावेंगे तब तक इसके विकास की मुझे तो कोई सम्भावना नजर नहीं आती। केवल सरकार के संरक्षण पर रह कर यह अधिक दिन नहीं ठहर सकती। संरक्षण का भी एक सिद्धांत है पर कब तक ? प्रारम्भिक स्थिति में हरेक इन्डस्ट्री को संरक्षण दिया जाना तर्क की दृष्टि से उचित ठहराया जा सकता है, पर सदा के लिये सब कामों के लिये, संरक्षण नहीं दिया जा सकता है, यह सत्य है, और तथ्य है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि खादी मन्दिरों में काम करने वाले लोगों को आप और इधर उधर की ट्रेनिंग में नहीं भेजकर जापान की ट्रेनिंग के लिये भेजे कि किस तरह से वे लोग गृह उद्योगों को कुटीर उद्योगों को पनपाते हैं और उनमें किस तरह से, किस सीमा तक बिजली का प्रयोग करते हैं। छोटे करघों का उपयोग किया जाता है और किस तरह से वे केवल एक हजार की लागत पर तीन सौ-चार सौ रुपया माहवार की आमदनी इन कुटीर उद्योगों से, गृह उद्योगों से बना लेते हैं। तो इस प्रकार हम इस खादी का आर्थिक पहलू नहीं देखें तब तक खादी दान पर चलती रहेगी और दान लोग खाते रहेंगे, खादी को अपवित्र बनाते जावेंगे, घोटाले चलते रहेंगे। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसमें नई टैकनीक नई प्रणाली जब तक सरकार नहीं अपनायेगी तब तक खादी भण्डार की चमक दमक सेल्समैन से नहीं चल सकती। सेल्समैन को तो इसलिए रखा जाता है कि अगर औरतों को रख दिया जाएगा तो आकर्षण अपने आ

(श्री रामकिशन)

आकर्षित करता है। लेकिन यह औरतों को सेल्समैन की तरह रखना तो यूरोप में आज से पचासों साल पहले चालू हो गया था। यदि यह धीरे धीरे आकर्षण भी समाप्त हो गया तो फिर क्या होगा खादी का। वह भी बिकनी बन्द हो जाएगी और आपके खादी भण्डार बन्द हो जाएंगे। इसलिए भविष्य में इस व्यवसाय को चलाने के लिए सरकार के पास न कोई योजना है और न और कुछ है।

इसके अलावा मैं अध्यक्ष महोदय, दूसरी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। साबुन के मामले में लोगों को कर्जे दिये गये हैं। मैं जानकारी चाहूंगा खादी बोर्ड के सचिव से या सरकार की तरफ से कि जितनी भी सोसाइटीज साबुन के लिए बनीं क्या वे एक भी सोसाइटी ऐसी बता सकते हैं जो नियमित रूप से उत्पादन कर रही हो और जो कर्ज उन्होंने लिया हैं वह वापिस कर दिया हो। आम तौर से राजनैतिक कारणों से इन सोसाइटीज़ को ऋण दिये गये हैं। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं। बयाना में एक संस्था बनी उसका नाम था गांधी सेवा सदन। जब हमने इस संस्था का आडिट देखा और सारी रिपोर्ट देखी तो उसमें कुछ खेती के नाम कर्जा लिया गया है और उसमें एक आइटम था कि गांधी सेवा सदन ने दो बैल खरीदे खेती करने के लिए। उसके लिए रुपया दिखा दिया गया लेकिन एक बैल के लिए लिखा गया कि वह लाते समय रास्ते में ही मर गया और दूसरे के लिए यह लिखा दिया गया कि क्योंकि उसे मजदूर ला रहे थे वह रस्सा छुड़ाकर भाग गया इसी प्रकार साबुन का आइटम लिया जाये तो उसमें रुपया दिखाया गया है तो साबुन का बढ़ना दिखा दिया गया और सोडा के बढ़ने का दिखा दिया गया। नतीजा यह है कि जितना पैसा लिया उसमें से १० प्रतिशत का भी हिसाब नहीं दे पाये। २५ हजार रुपया खादी बोर्ड का बिल्कुल बरबाद हो गया और उनके खिलाफ कार्यवाही इसलिए नहीं की कि वह कांग्रेस के विशिष्ट व्यक्तियों के लिए प्रचार कर रहे थे। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है कि कोई किसी का प्रचार करें। हर संस्था अपने प्रचारक रखती है, सब अपने एजेन्ट रखते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मर्यादा और व्यवहार की बात जरूर करते हैं कि किस सीमा तक आप इसके लिए संरक्षण दें। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा लोकतंत्र बदनाम न हो। लोग कहते हैं कि जनता अशिक्षित है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो शिक्षित वर्ग है वह बदनाम कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस जाये-यह सरकार तो जायेगी, आज नहीं तो कल और ४-५ साल में तो चली ही जायेगी, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन आप काम ऐसा कर रहे हैं कि कहीं उसकी वजह से लोकतंत्र न चला जायें। आप तो डूबकर रहेंगे लेकिन हमें डुबकी के साथ मत ले जाना। आपके कर्म ऐसे हैं कि न तो आप बच सकते हो और बचाने वालों को भी आप साथ लेकर डूबने वाले हो। करौली के बारे में मुझे जानकारी है, अलवर के बारे में जानकारी है। मैं सारे केसेज़ को इसलिए नहीं लाना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्य बोलेंगे तो वे केवल करप्शन ही करप्शन पर ही बोलेंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि दो-तीन मिसालें भरतपुर और बयाना की मैंने दी हैं। मैं चाहता हूँ कि खादी

(श्री रामविशन)

बोर्ड उसकी जांच कर ले और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होगी तो हम समझेंगे कि हमारा कहना सुनना काफी है। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि यहां पर हम सरकार को सुनाने के लिए कहते हैं। हम तो अध्यक्ष महोदय, सदन की मार्फत जनता को सरकार की खराबियां बताने के लिए कहते हैं, जनमत जाग्रत करने के लिए कहते हैं। आप कॉटेज इन्डस्ट्री की रक्षा नहीं कर सकते कोई समझदार सरकार आयेगी तो इसकी रक्षा करेगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि जन संघ और स्वतंत्र पार्टी वाले इसको प्रोत्साहन नहीं देते। लेकिन मेरा मत है कि वे इसको जरूर प्रो... देंगे क्योंकि वे जानते हैं कि यदि छोटे उद्योग। नहीं पनपाया जायेगा तो फिर बड़े उद्योग कैसे पनपेंगे? इसको संरक्षण तो, जो सरकार आयेगी वह देगी लेकिन यह जो मौजूदा सरकार है वह इसे राजनैतिक कारणों से संरक्षण दे रही है। ऐसे लोगों को खादी कमीशन में और खादी भण्डारों पर रख दिया जाता है जिसका कोई मतलब नहीं। अगर वे बाजार में नौकरी करें तो ६० रुपये माहवार से ज्यादा नही मिल सकते। लेकिन खादी संस्थाओं के मैनेजर बना कर चार चार सौ और पांच पांच सौ रुपये कमाते हैं। यह भ्रष्टाचार नहीं है तो फिर क्या है? इसलिए मैं कहता हूँ कि जो बातें मैंने रखी हैं सरकार उनके ऊपर विचार करें और इस बिल पर दुबारा विचार किया जाये और सारे खादी कमीशन और खादी बोर्ड और जो अलग अलग विभाग बना रखे हैं और एक ही व्यक्ति तीन-तीन जगह से कहीं खादी कमीशन से पैसा ले आता है, कहीं खादी बोर्ड से ले आता है और कहीं राज्य सरकार से पैसा ले आता है और कहीं कोआॅपेरेटिव सोसाइटी से ले आता है और वह भी एक उद्योग के लिए जब तक इस सारी व्यवस्था को एक ही जगह संगठित नहीं किया जायेगा तब तक सरकार को कुछ नहीं मालूम पड़ेगा।

इतना ही कह कर मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' (अकलेरा सु०) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक पर मेरे से पूर्व कितने ही माननीय सदस्यों ने काफी विचार व्यक्त किये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गांधीजी ने स्वराज्य की प्राप्ति के लिए चर्खे को सुदर्शन चक्र माना और जब इसकी रफ्तार रिपु देखते थे तो वे घबराते थे। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि गांधीजी यह कहते थे कि खादी के द्वारा और चर्खों के द्वारा हम स्वराज्य प्राप्त करेंगे। इस खादी के पीछे महान इतिहास है और उस समय की बातें मुझे मालूम हैं कि बचपन में हमारे ऊपर से खादी ने कितना असर डाला था। कई बार यह कहते थे और इस खादी के बारे में महात्मा गांधी के विचारों को बड़े बड़े पुरुषों ने माना और चर्खे के पीछे काफी बलिदान हो गये। मुझको बचपन की बातें मालूम हैं। हम देखते थे कि कई जगह हमने चर्खे कताई की, प्रतियोगितायें होती थीं और इनाम बंटते थे उस समय गांधीजी ने कहा था कि खादी पहिनने का अधिकार उसी को होगा जो कम से कम दो पैसे भर सूत रोजाना कातकर बतायेगा, व्यापार चलाने के लिए नहीं है।

(श्री भैरवलाल "काला बादल")

अध्यक्ष महोदय, खादी के पीछे सरोजिनी नायडू, माता की अटूट' श्रद्धा थी। सरोजिनी माता की मुझे याद है।

जय, जय री भारत की देवी,
देवी सरोजनी माई।
लाज राख लई हिन्ददेश की,
घर घर चर्खा दियो चलाई ॥

इसके पीछे बड़ा इतिहास है। गांधीजी ने घर घर में चर्खा दिया था मगर आज सरोजिनी के वंशज नहीं रहे, गांधीजी के अन्य भक्त नहीं रहे इसलिए आज कई वैजीटेबिल लोगों ने खादी को अपना लिया। जो सक्रिय कांग्रेस के सदस्य हैं वे आज खादी नहीं पहिनते। केवल एक वर्दी रखते हैं और जयपुर में आते हैं तो उसको ट्रेन में बदल लेते हैं। मैं कहता हूं कि गांधी जी की खादी यदि चलनी है तो उसके लिए उसमें शुद्धता रखनी पड़ेगी और स्वार्थ साधने के लिए खादी का काम करना है तो यह घोषणा कर दी जाये कि यह गांधीजी की खादी नहीं है, सरोजिनी की खादी नहीं है, बल्कि यह तो नई सरकार की खादी है और नये लोगों की खादी है।

(१०. २६ म० ५०)

(रा० श्री नारायणसिंह उपाध्यक्ष, पदासीन)

शुद्ध खादी के नाम पर अगर बोर्ड बनाया जाये तो एक तरफ तो खादी की दुहाई दी जाये और बदनामी उठानी पड़े और कुछ चन्द लोग जो ईमानदार उस जमाने के मौजूद हैं उनको शर्म आती है। आज जो वैजीटेबल लोग हैं, जो खादी में मिलावट करते हैं वे खादी पहिन लें और अच्छे आदमियों को बदनाम करायें यह अच्छी चीज नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शुद्ध खादी के नाम पर आज ऐसा खादी बोर्ड नहीं चलाया जाना चाहिए। यह गांधीजी की खादी नहीं है, यह वैजीटेबिल लोगों की खादी रह गई है।

आपको, उपाध्यक्ष महोदय, और बताऊंगा कि हाडोती खादी संघ ज्वारां में लाखों का घोटाला था और आज भी वहां पर खादी बोर्ड के द्वारा चलाया जा रहा है, जो सर्वोदय से तनख्वाह लेते हैं, जो भारत सेवक समाज से अलग तनख्वाह लेते हैं। जो आदिम जाति या विमुक्त सेवा संघ से अलग तनख्वाह लेते हैं। आप देखिये कि चार-चार जगहों से तनख्वाह लेते हैं और खादी बोर्ड से भी तनख्वाह लेते हैं। आज भी इस तरह की चीजें चल रही हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे लोग गांधीजी के नाम को कलंकित नहीं करें, और खादी को न लजायें। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने १८ वर्ष तक खादी के लिये सूत काता है और चर्खा चलाया है। मैंने १८ साल तक दूकान से लेकर कपड़ा नहीं पहिना था। मेरी काते हुए सूत की खादी का चर्खा संघ में रकॉर्ड देख लें। मैं दो पैसे भर सूत की आंटी देता था तब दूसरे लोग खादी पहिनते थे। आज के लोगों का खादी में विश्वास नहीं रहा है। मैंने सोचा कि अब सब ने चर्खा छोड़ दिया तो मैंने भी चर्खे को खूंटी पर टांग दिया। लेकिन बीच में मुझे कुछ प्रेरणा हुई, उपर से आदेश हुआ कि कांग्रेस जनों को चर्खा चलाना चाहिए। मैं खादी संघ में

(श्री भैरवलाल "काला बादल")

गया और मैंने एक चर्खा मांगा। मैंने सोचा कि चर्खा कातना सब शुरू करेंगे तो मैं भी शुरू करूं, लेकिन वहां पर मुझे केवल दो चर्खे मिले और यह भी अनाड़ी खाती के घड़े हुए।

लाखों रुपया हमने अम्बर चर्खे पर खर्च किया और बड़े-बड़े घरों की बहिन बेटियां अम्बर चर्खे की ट्रेनिंग के लिए गईं। वह अम्बर चर्खा कहां गया ? अब एक भी नजर नहीं आता है, खादी बोर्ड वाले कहते थे कि जो ट्रेनिंग पायेंगे उन्हें वह चर्खा दे दिया जायगा। अब वह चर्खा नजर नहीं आता है, यर्वदा तक भी नजर नहीं आता है। कांग्रेस-जन जो पहले हाथ में चर्खा और तकली कातते हुए नजर आते थे—, स्वामी रामभजन जी को आपने देखा होगा वे हमेशा तकली कातते थे, वैसी तकली आज एक भी नजर नहीं आती है, चर्खा नजर नहीं आता। ऊपर से कहते हैं कि क्या बढ़िया खादी बनती है ? क्या बढ़िया मिल के सूत की खादी राजस्थान में पहनी जाती है। मैं कहता हूं कि राजस्थान की धोती हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में जाती थी, और अब बाहर से धोती आती है और हम पहिनते हैं। और फिर जो बोर्ड के सर्वेसर्वा हैं वे गांधी जी के अनन्य भक्त हरिभाऊजी हैं। अच्छा होता कि वे इस डिपार्टमेंट को दूसरों को देते। ताकि खादी के नाम पर बदनामी न होती। यों तो इस खादी को गांधीजी की खादी नहीं कही जाय और घोषणा कर दें कि यह तो मौजूदा सरकार की खादी है और मौजूदा लोगों की खादी है। गांधीजी की खादी उनके साथ ही फौत हो गई। अब भी कांग्रेस का यह नियम है कि कांग्रेस के सक्रिय सदस्य वही होंगे जो आदतन खद्दरधारी होंगे। कार्यकर्ता तो क्या पहनेंगे, जिनका रोजगार नहीं है वह क्या आदतन खादी पहनेंगे, लेकिन मिनिस्टर के यहां पर डील पर तो है देशी खादी टाट, लेकिन कोठी में है परदेशी पर्दा। "गद्दा रेशम पाट" आज खादी की जो दुहाई देते हैं वह दुनियां को दिखाने के लिए है। कोठियां में तो परदेशी पर्दे लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह शर्म की बात है हमारे लिए। इसलिए मैं कहदेना चाहता हूं कि खादी बोर्ड के खर्चे को कम कर दिया जाय।

हमारे यहां कैथून में इतने जुलाहे और बुनकर हैं कि वहां पर मिसरई यसोरिया या जाने क्या क्या कपड़ा इतना बढ़िया बनता है कि वहां पर सोसाइटी तो भले ही हो, लेकिन उस सोसाइटी को लोन नहीं दिया जाय, वहां के मजदूरों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाय और उन के हर काम में रोड़े अटकाये जांय और यहां पर खादी बोर्ड में कुछ लोग बैठे बैठे ऐशो आराम करते हैं। चमक दमक वाली खादी गांधीजी की खादी नहीं है। गांधीजी मोटी खादी पहिनने के लिए कहते थे। ढ़ाई सेर सूत कातकर एक जोड़ा धोती हमने पहनी है। ऐशो आराम करने वाले मोटा कपड़ा पहन नहीं सकते। मैं समझता हूं कि अपने स्वार्थ के खातिर इस खादी को चला रहे हैं। शुद्ध खादी चलाना अपराध नहीं है। इससे लोगों को रोजी रोटी मिलती है, मगर आपकी योजना थी कि गांव की बुढ़िया सूत कातेगी और उसको घर बैठे रोटी मिलेगी वह दूर हो गई, अम्बर चर्खा गायब

(श्री भैरवलाल "काला बादल")

गया है और दूसरे चर्खे गायब हो गये हैं। आज आप चर्खा लेने भण्डार में जायें तो वहां पर अनाड़ी खाती के हाथों के बने हुए चर्खे मिलेंगे। उनका चक्कर तक ठीक नहीं चलता है। मैं खादी भण्डार पर चर्खा खरीद ने गया तो वहां पर दो चर्खे खादी भण्डार में रखे थे। जहां लाखों रुपया खर्च हुआ वहां पर चर्खे का कोई उपयोग नहीं। अम्बर चर्खा गायब हो गया। यह तो पूछा जाय कि उन चर्खों का क्या हुआ स्कूलों में योजना थी और स्कूलों में चर्खे दिये गये थे और हरेक जगह बुनियादी शिक्षा का प्रोग्राम था—हमारे बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बाजार से दो चार आने की कूकड़ी लेकर उद्योग के दिन पेश कर देते हैं मास्टर के सामने। खादी की ओर ध्यान नहीं है और यह भी अपमान करते हैं कि राजस्थान के गांधी को यह डिपार्टमेंट दिया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में किस तरह से हमारे आदमियों ने गांधीजी के पद चिन्हों पर चलने वालों को बोर्ड का चैयरमैन रखा है बदनाम करने के लिए। मैं दा साहब से आग्रह करूंगा कि वे घोषणा कर दें कि अब यह गांधी की खादी नहीं है और नई सरकार की और नये कांग्रेसजनों की खादी है। पुराने कांग्रेस जनों की खादी नहीं है। पुराने कांग्रेसजनों की खादी नहीं। पुराने कांग्रेसजन हाथ से चर्खा चलाते थे, वे गांधी की खादी पहनने के अधिकारी थे। इसलिए लोग कम से कम यह जान जायें और गांधीजी की खादी बदनाम नहीं हो। आपकी नई कांग्रेस की बदनाम हो, पुरानी कांग्रेस के बदले और गांधीजी की पुरानी खादी की बदनामी को रोक दें। इस तरह से इन घोटालों की जांच करें और इस डिपार्टमेंट को आप छोड़ दें और किसी और के गले में यह माला पहना दें। इन शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि आपके प्रति मेरे मन में अटूट श्रद्धा है, मैं आपको शुरु से देख रहा हूं आप गांधी जी के अनन्य भक्त १८ साल मेरे को देखते हुए हो गये।

चर्खे के लिए कहा जाता है, इस चर्खे को देख कर रिपु घबरा जाते है। विदेशी दुश्मन उससे घबराते थे। आज हम खादी वाले घबराते हैं दूसरों की आलोचनाओं से। मैं समझता हूं कि गांधीजी की आत्मा क्या कहती होगी, दा साहब ! आपके जमाने में राजस्थान का खादी बोर्ड कितना बदनाम हुआ है। इसलिए इस डिपाटमेंट को कम से कम आप तो छोड़ दें और डांगी सहाब को रहने दें जिन्होंने कि गांधी जयन्ती के रोज मांस खिलाया। मुझे तो बड़ी शर्म आई यह सुन कर। यह इन्हीं को दें दें खादी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने ये विचार रखता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, खादी ग्रामोद्योग विधेयक पर जो संशोधन बिल रखा गया है ...

श्री दिनेशराय डांगी (उप मंत्री, सिंचाई) भैरोंसिंहजी एक कमेटी के मेम्बर है, वे नहीं बोले तो अच्छा होगा।

भैरोंसिंह : मैं कमेटी का मेम्बर हूं इसलिए उस कमेटी की हालात की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): आज तो वे भी खादी का कुर्ता पहन कर आये हैं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब पहले रियासतें कायम हुई थीं तो उनके कायम होने का कारण था और वह कारण और कोई नहीं केवल यह था कि देश की विदेशी आक्रमण से सुरक्षा की जाय। इसलिए अलग अलग राज्य कायम हुए और वे राज्य किसी प्रकार से बने रहें इस लिए अलग अलग जागीरें कायम हुईं। वह जमाना गया और अब नया जमाना आया तो नये जमाने में नयी प्रकार की रियासतें बनने लगी हैं। कहने के लिए जनता को रोजगार देने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करेंगे और जो यह खादी का नारा है ग्रामोद्योग के नाम पर उसको प्रचलित करने के लिये हर राज्य में अलग अलग इस प्रकार की रियासतें बन रही हैं। दुर्भाग्य से राजस्थान में भी दो रियासतें कायम हुई हैं, एक तो क्रय विक्रय संघ और दूसरी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। आज हम टाटा और बिड़ला को कितनी ही गालियां निकालें, वे पूंजीपति है, जनता का शोषण करते हैं, अधिक मुनाफा उठाते हैं और जितना अनुचित तरीके से लाभ उठाया जा सके वह लाभ उठाने में कोई संकोच नहीं करते हैं। उसी प्रकार के ये दो एम्पायर्स हमारे राजस्थान में भी क्रियेट किये गये। ये एम्पायर जिसमें राजा हमारे मंत्री महोदय हैं, अभी वो अपना राज्य अकेले तो कायम कर नहीं सकते इसलिए जिस प्रकार पहले रियासतों में राजा अपना राज्य कायम करने के लिए पहले जागीरें नियुक्त करते रहते थे उसी प्रकार खादी बोर्डों के राजा अलग अगल संस्थाएं बना कर अपने इस एम्पायर को टिकाये हुए हैं। अब यदि यह कहा जाय कि इस एम्पायर से जनता को लाभ हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, ग्रामोद्योग प्रचालित हो रहा है तो राजस्थान का यदि कोई वास्तविक चित्र देखे तो उसको अपने आप मालूम होगा कि कितने लोगों को उससे रोजगार मिला है और कितने ग्रामोद्योग पनपे हैं। और किस प्रकार खादी का प्रचार हुआ हैं।

अब यदि इस सारी स्थिति में संशोधन विधेयक को देखा जाय तो ऐसा लगता है कि अब तक खादी ग्रामोद्योग कानून में जो कमियां थीं और उन कमियों के कारण इसको चर्चा का विषय जनता बनाती थी, लोगों को चर्चा करने का अवसर मिलता था, उन सब चीजों की रोक-थाम किस प्रकार की जाय इसकी व्यवस्था इसके द्वारा की जा रही है। इस विधेयक से काम-काज में सुधार होगा या जितनी अनियमितताएं हो रही हैं वे रुक जायेंगी, इस प्रकार की स्थिति मुझे नहीं लगती। सन् ५५ में यह कानून बना उस समय राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई। उस समय से आज सन् ६४ तक खादी बोर्ड, खादी की जितनी संस्थाएं, ग्रामोद्योग संस्थाए, खादी बोर्ड से लोन और ग्रान्ट इन एड लेती रही हैं, खादी कमीशन और राज्य सरकार से लोन और ग्रान्ट इन एड लेते रहे हैं, मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि खादी कमीशन से लोन और ग्रान्ट इन एड ली जाय, चाहे राज्य सरकार से ली जाय, उसे लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है; यह आप भी स्वीकार करते हैं। और

(श्री भैरों सिंह)

यह प्रश्न यहां पर बजट अधिवेशन में मैंने उठाया था कि सरकार जो खर्चा और सब्सिडी लेती है उसको लेने का अधिकार सरकार को नहीं है। उसमें यह प्रश्न पैदा हुआ था कि खादी कमीशन से ऋण लेते हैं उसको खादी बोर्ड अदा नहीं कर पाया, तो उसकी लाएबिलिटी राज्य सरकार पर आती है, या नहीं उस समय मंत्रीजी ने कहा था कि लाएबिलिटी सरकार पर आती है। तो यह मानना पड़ेगा कि राज्य सरकार कितना ही ऋण दे उसकी अदायगी नहीं होती है, मिस-एप्रोप्रियेशन होता है, तो उसकी देनदारी राज्य सरकार पर आती है और जब इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर आती है तो कन्सोलिडेटेड फंड पर उसका प्रभाव पड़ता है और जब कंसोलिडेटेड फंड पर इसका प्रभाव पड़ता है तो खादी की अनियमिताओं की जिम्मेदारी राजस्थान की जनता, जो टैक्सेपेयर है, उन पर आती हैं। इसलिए हमको विचार करना होगा कि खादी के काम से जितनी अनियमिताएं होती हैं उनको किस प्रकार रोका जाय और किस प्रकार इसके लिए साधन जुटाए जांय और इसके साथ ही यह भी देखें कि जो साधन जुटाये हैं वे कितने उपयोगी हैं। मुझे दुःख है कि जब भी खादी की और खादी बोर्ड की अनियमितताओं की चर्चाएं हुई या होती हैं तभी हमारी सरकार मौन धारण कर लेती है और जनता की शंकाओं को दूर करने का साहस नहीं करती है। मैं आशा करता हूँ कि यह विधेयक भी आयेगा कि खादी संस्थाओं की जांच करने के लिए राज्य सरकार समिति नियुक्त करे और उसको यह अधिकार हो कि भिन्न भिन्न खादी संस्थाओं की जांच कर सके और फिज़ीकल वेरिफिकेशन कर सके और आडिट इन्स्टक्शन्स का अमल हुआ है या नहीं, ऐसी स्थिति पैदा कर सके। इस कानून में इस प्रकार की कमी है। यह कमी मैंने बजट अधिवेशन के समय खादी बोर्ड की जांच करने के लिए समिति नियुक्त कराने की चेष्टा की थी। मुख्यमंत्रीजी ने समिति नियुक्त करने की घोषणा तो कर दी और उसकी बैठक भी हुई। जब उसकी बैठक हुई तो सदस्यों ने यह पूछा कि आप यह बताइये कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर इश्यू किये या नहीं, तो सेक्रेटरी ने आर्डर की जगह मुख्य मंत्रीजी के भाषण की प्रतिलिपि रख दी जो अपर्याप्त थी। गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं था जिसकी बिना पर इन्क्वायरी की जा सके, कोई नोटिफिकेशन नहीं था। फिर प्रश्न पैदा हुआ कि न तो नोटिफिकेशन है न कानून में व्यवस्था है जिसके बिना पर अकाउन्ट्स चेक कर सकें या फिजीकल वेरिफिकेशन कर सकें इसलिए जब तक इसका क्लेरिफिकेशन नहीं होता तब तक आगे काम नहीं करना चाहिए। मुझे खेद है कि आज तक सरकार की ओर से उतर प्राप्त नहीं हुआ जब कि उतर तुरन्त देना चाहिए था। उसको दबा देते हैं और कोई जवाब नहीं आता। जैसी समिति बनी खत्म हो गई। मैं समझता हूं सरकार की मंशा नहीं है। मुझे लगता भी है, जिस समय सुखाड़ियाजी ने घोषणा समिति की की उस समय दा साहब ने त्यागपत्र दे दिया....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (खादी ग्रामोद्योग मंत्री) : त्याग पत्र उससे पहले दिया था।

श्री भैरोंसिंह : मैं जानता हूं कि राजस्थान में आप ऐसे मंत्री हैं जो समझते हैं कि किस समय त्यागपत्र देना चाहिए और किस

(श्री भैरोंसिंह)

समय वापिस लेना चाहिए। आप और तो किसी चीज में एक्सपर्ट हैं या नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आप उन मंत्रियों में हैं जो समय देखकर त्यागपत्र देते हैं और उसको वापिस ले लेते है। इस योग्यता के सिवाय मुझे कोई दूसरी योग्यता आप में नहीं दिखती। आपका त्यागपत्र बीमारी के कारण आया। आपने मुख्यमंत्रीजी को त्यागपत्र स्वास्थ्य के कारण दिया, लेकिन कोइन्सीडेंस ऐसा बनता है कि इधर तो आप का त्यागपत्र देना और इधर विधानसभा में आप पर आक्रमण होना, उससे बचने के लिए आपने त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र वापिस लेने के लिए आपको इस बात का आश्वासन दिया कि कमेटी बना दी तो क्या हुआ, काम कैसे करेगी. उसको हम देखेंगे। मैं समझता हूँ सुखाड़ियाजी ने जो वचन आपको दिया था वह उन्होंने निभाया........

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो सही बात हो वह कहिए। कमेटी की घोषणा हुई उससे पहले माननीय सदस्य जानते हैं कि उस समय कहा था कि मुझे आपति नहीं है। मैंने कहा था, मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप पोलिटीशियन की तरह स्टेटमेंट देते हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं पोलिटीशियन नहीं हूं, यह तो आप जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप पोलिटीशियन हैं और ऐसे हैं जिनकी विचित्रता भगवान ही देख सकते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of information Sir, जब खुद सम्माननीय मंत्री की राय थी कि इन्क्वायरी हो तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन्क्वायरी क्यों नहीं शुरू हुई। मंत्रीजी मौजूद हैं और मेम्बर मौजूद हैं, इसकी कार्यवाही क्यों नहीं शुरू हुई और जांच क्यों नहीं हुई, इसकी जानकारी सदन को दें।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर या नोटिफिकेशन समिति की नियुक्ति और जांच के बारे में नहीं है और इस एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है कि जिस प्रावधान के अन्तर्गत गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त समिति खादी बोर्ड के अन्तर्गत उसके अकाउन्ट्स को चेक कर सके और फिज़िकल वेरिफिकेशन कर सके, इसलिए उस समिति ने गवर्नमेंट को आवेदन किया था कि हमें अधिकार दिया जाय, यदि एक्ट में प्रावधान नहीं है तो उसमें संशोधन लाकर अधिकार दिया जाय। लेकिन अब तक सरकार ने उस पर कोई विचार नहीं किया। मैंने उद्योग सचिव को पत्र लिखा था, उसका जवाब मुझे सदन प्रारम्भ होने से दो दिन पहले मिला। जिसमें लिखा हुआ है 'सरकार अभी तक विचार कर रही है इस मामले पर'। वह विचार किया करे, मैं समझता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सवाल यह है कि सरकार तैयार है, और जैसा मंत्री महोदय ने अभी आपके सामने एक्सप्रेस किया

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सदन के सामने कि ये तो चाहते हैं कि इन्क्वायरी हो लेकिन वहां पर जो जवाब आपका अन्तिम आया है, उसको देखते हुए मंत्री महोदय यह बतलायें कि इन्क्वायरी कब शुरू होगी, क्या आपका इरादा उसको नहीं चलने देने का है ? क्योंकि सदन एक लर्ज में चलता जा रहा है कि इन्क्वायरी हो रही है, लेकिन इन्क्वायरी हो नहीं रही है। तो सरकार की क्या पोज़ीशन है, यह मालूम होना चाहिए कि वह इन्क्वायरी करवाना चाहती है या नहीं करवाना चाहती है, इस कमेटी को अधिकार देना चाहती है या नहीं देना चाहती अगर नहीं देना चाहती है तो उसको डिज़ोल्व किया जाय। सारे राजस्थान को इस लर्ज में रख रहे है कि इन्क्वायरी हो रही है। अब आपके बीच में क्या कोरेसपोन्डेन्स होती है वह तो जनता जानती नहीं है। सरकार तैयार हैं फिर कौन बीच में बाधा है, कौन बीच में अड़ा हुआ है ? मैं समझता हूं कि करप्शन और बेईमानी ही बीच में अड़ी हुई है, जो नहीं करने देती।

श्री भैरोसिंह : Exactly, you are hundred parcent correct.

अब १९५५-५६ से १९६२-६३ तक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने २ करोड़ ९७ लाख का लोन लिया, उसमें से १ करोड़ ९८ लाख का इन्होंने डिस्बर्समेंट किया। इतना लोन और डिसबर्समेंट किया, आज मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या अधिकार था कर्जा लेने का और क्या अधिकार था कर्जा देने का ? और अगर अधिकार नहीं था तो क्यों कर्जा लिया है और क्यों दिया है ? इसके लिए कौन दोषी है और उसको क्या दंड दिया जा सकता है ? आप अपनी जबान से कहिये कि हमने गलत ढंग से कर्जा लिया और गलत ढंग से कर्जा बांटा, हमें कानून अधिकार नहीं था, उसके उपरान्त भी कर्जा लिया और कर्जा बांटा और इसके लिए मैं दोषी हूं। आप यह कहिये और उसके बाद में आपको क्या दंड दिया जा सकता है—यह आप मुझ से पूछिये।

अब प्रश्न यह आता है कि अगर कोई चपरासी या कोई क्लर्क अपनी बियोन्ड दी पॉवर २) रुपये भी खर्च कर दे, दो रुपये का भी कर्ज ले तो उसका सस्पेन्शन निश्चित है, उसका डिस्मिसल निश्चित है। मैं राजस्थान के मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि यह इर्रेगुलेरिटी किसी और ने नहीं की, यह खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष, श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने की है। आपने कानून के विपरीत २ करोड़ ९७ लाख का कर्जा लिया है और आपने कानून के विपरीत १ करोड़ ९८ लाख का कर्जा डिस्बर्स किया है, इसलिए आपको क्यों नहीं बरखास्त किया जाय ? आज आप कहते हैं कि कानून में संशोधन कर दिया जाय; यह इस बात का कि नौ वर्ष तक भूल भुलैया में घूमते रहे थे और अब अक्ल काम करने लगी है। आपको किसने इन्जेक्शन लगाया, किसने आपको दवाई दी कि नौ वर्ष के बाद आपकी अक्ल काम करने लगी है ? अब आपको पता लगा है कि आप कर्जा नहीं ले सकते थे और डिस्बर्समेंट नहीं कर सकते थे। आज हमको कहते हैं कि नौ वर्ष तक जो गलतियां की हैं उनकी चर्चा मत करो और आगे के लिये अधिकार दे दो।

(श्री भैरोंसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, यह वह संस्था है, जिस संस्था के अन्दर ८४ लाख के युटीलाइज़ेशन सर्टीफिकेट नहीं हैं । १ लाख ६६ का जो डिस्बर्समेंट है उसमें से ८४ लाख के युटीलाइज़ेशन सर्टीफिकेट नहीं है । इन युटीलाइजेशन सर्टीफिकेटस में....

(मंत्री महोदय के अधिकारी दीर्घा की ओर जाने पर)

वे तो वहां चले गये, अब मैं क्या कहूं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : खड़े हैं ।

कई माननीय सदस्य : सुन रहे हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रथा गलत है । इस कारण देखिये, क्या हालत हो रही है हाउस की ? उनको (अधिकारियों को) भीतर बुला लायें ना, और बात कर लें ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : डिप्टी मिनिस्टर बैठे हैं वे नोट कर रहे हैं ।

श्री दिनेशराय डांगी (उप-मंत्री, खादी ग्रामोउद्योग) : प्रेम से सुनाइये, मैं सुन रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह : आप भले ही सुखाड़िया साहब की जगह बैठ जायं, लेकिन काम-काज से मतलब नहीं है । काम-काज की बात वही बतायेंगे । जवाब तो उनको ही देना है ।

श्री दिनेशराय डांगी : जवाब मैं दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इनको नहीं सुनाना चाहता हूं भले ही मिनिस्टर की जगह बैठे हों ।

(मंत्री महोदय के आने पर)

दा साहब, गम्भीरता से सुनें । १ करोड़ ६६ लाख का डिसबर्समेंट किया और ८४ लाख के युटीलाइज़ेशन सर्टीफिकेट पेश नहीं किये, यह तो आप मानते होंगे – सही है । सही है ना ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मंत्री राजस्व) : आप कहे जाइये ना !

श्री भैरोंसिंह : मैं इसलिये कह रहा हूं कि सारी बातों में 'हां–ना' करते जाते हैं । इसलिए मैं कह रहा हूं, 'हां या ना' कर दें ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एक-साथ जवाब दे दिया जायगा । इस तरह विवाद बढ़ जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : बीच में बोल रहे थे इसलिए कह रहा हूं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जिस बात में लगता है कि आपकी जानकारी के लिए वह वह कहा है ।

श्री भैरोंसिंह : मेरी जानकारी यह है, यह आपकी है या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बाद में कह दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : अभी कह दीजिये । स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो बाद में कह दीजिये ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बाद में कहूंगा ।

(श्री ज्वालाप्रसाद के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Shri Jwala Prasad.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सवाल यह है कि यहां जो कहा जा रहा है वह उनको मालूम है, वह सही है या गलत है, फिर भी बोलते नहीं तो हाउस एक लर्ज में रहता है और हाउस के समय को टैक्स किया जा रहा है । सवाल यह है कि 'हां' कह दीजिये या 'ना' कह दीजिये ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हर सवाल का जवाब एक दम दिया जाय, यह आवश्यक नहीं है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या आशयक नहीं है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कोई आवश्यक नहीं है कि इसी समय हर बात का जवाब दिया जाय ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : 'हां' कह दीजिये; जवाब भले ही मत दीजिये ।

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसा समझ कर चलता हूं कि आप किसी बात का जवाब नहीं दे पायेंगे । इस बात का जवाब देंगे कि ८४ लाख के युटीलाइज़ेशन सर्टीफिकेट अभी तक बोर्ड ने सब्मिट नहीं किये हैं, इस युटीलाइज़ेशन के मामले में अजमेर–मेरवाड़ा संघ भी शामिल है । इस अजमेर–मेरवाड़ा खादी संघ के आप अध्यक्ष हैं । आपको जो युटीलाइज़ेशन सर्टीफिकेट पेश करने चाहिए थे, वे युटीलाइज़ेशन सर्टीफिकेट पेश नहीं किये हैं आपने । आपको उस संस्था की मन्थली प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी चाहिए थी वह आज तक नहीं दी । आपने जिस लोन लेने के वक्त जो कन्डीशन्स के ऊपर दस्तखत किये हैं उसमें यह है कि मन्थली प्रोग्रेस रिपोर्ट बोर्ड को देंगे, लेकिन वह मन्थली प्रोग्रेस रिपोर्ट आज तक नहीं दी है । नहीं दी है तो आप खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष, अजमेर–मेरवाड़ा सभा या संघ जो भी है उसके अध्यक्ष हैं, यानी गलती करने वाले आप और उनका दुरुपयोग करने वाले आप और उनको राइट ऑफ करने का अधिकार लेने की आप चेष्टा कर रहे हैं, इस संशोधन विधेयक के द्वारा । यह कैसी विडम्बना है ? अजमेर–मेरवाड़ा खादी संघ के लिये आप कहेंगे, मैं अध्यक्ष नहीं रहा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष बना दिये गये हैं । लेकिन कारण आपको पता है कि क्यों बना दिये गये हैं और आपको भी पता

(श्री भैरोंसिंह)

है, मुझे भी पता है । वह रिपोर्ट भी मेरे पास है........

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपको पता है ?

श्री भैरों सिंह : अजमेर-मेरवाड़ा खादी संघ को आप भूल गये जिसके मंत्री बालकृष्ण गर्ग हैं, मुख्य संरक्षक--हजारीलाल गर्ग हैं। इसमें १९६२-६३ में ऊन खरीदी गई, यह आपको पता है। उस ऊन का नकली हिसाब बनाया गया, यह आपको पता है। उस नकली हिसाब को बनाकर ऊन को बींजने, कतवाने, बुनवाने और बिक्री करने का नकली हिसाब बनाया गया, यह आपको पता है और यही नकली नहीं बनाया गया, इसके आगे आप सुनिये। कम्बल का फर्जी हिसाब बनाया कि किस किस को बेचा। एक बेचा सहनाथ खालेड़ा को, एक बेचा भीखाराम को, एक बेचा मोहनलाल सोनी को, एक बेचा ओम प्रकाश को और एक बेचा गोपीलाल को, एक बेचा सोहनलाल साधू का और एक मफलर बेचा इब्राहीम को। ऊन खरीदो वह फर्जी, ऊन पिंजाई, कताई और बुनाई वह फर्जी। ऊन की बिक्री करी वह फर्जी। और जो कमीशन आया वह सारा का सारा खा गये। आप कहेंगे कौन खा गया ? आप पूछेंगे कौन खा गया ? खा वह गया जिसने रसीद पर दस्तखत किये। बहुत साहसपूर्वक कल आपने कह दिया था कि किसी संस्था, जिसका मैं अध्यक्ष हूं, अगर जरा सी या जबरदस्त अनियमितता या घोटाला होता है तो उसका जिम्मेवार मैं हूं। दा साहब, जिम्मेदारी तो आपके ऊपर आ गई। आप इससे बच नहीं सकते। बच नहीं सकते, क्योंकि आपके खिलाफ जांच हुई और उसके लिए अजीत भाई देसाई आये। उन्होंने ऊन के मामले की जांच की और अम्बर चर्खे के मामले की जांच की। उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि खादी के काम में ग्राम सेवा मंडल का साठ मन मिल का सूत खरीदना प्रमाणित हो गया। यह प्रमाणित हो गया कि फर्जी ऊन खरीदी गई थी। फर्जी बिक्री बताई गई थी, फर्जी पैसा लिया गया था। आप मानें या न मानें, उसके नतीजे में आपने यह कहा कि दंड देने की आवश्यकता नहीं है, मैं वालन्टियरिली खिसकना चाहता हूं, इसकी पर्मीशन दे दीजिये। आप निकल गये। आप कहें कि आज भी बन सकता हूं। तो आज तो आप मुख्य मंत्री भी बन सकते है। किसने रोका है ? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष हैं, सब कुछ बन सकते हैं....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरा मतलब यह था कि मुझे मजबूर नहीं किया, मैं खुद निकला हूं और मैं सही समझ कर निकला हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप बता दीजिये, अजीत भाई ने जांच की, उसका नतीजा क्या निकला ? अजमेर-मेरवाड़ा खादी संघ के खिलाफ नहीं निकला ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अन्तिम नतीजा यह है कि उनको प्रमाण-पत्र वापिस दे दिये।

श्री भैरोंसिंह : प्रमाण-पत्र वापिस देने का प्रश्न नहीं है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अगर कोई ऐसी बात होती तो उनको प्रमाण-पत्र हर्गिज नहीं देते ।

श्री भैरोंसिंह : यह कब लिया था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तारीख तो इसकी मुझे मालूम नहीं है । ४-६ महीने पहले ......

श्री भैरोंसिंह : ४-६ महीने पहले लिया गया था.......

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कोई चार्ज लगता है तो उसकी जांच होती है, उसकी छान-बीन होती है और उसके बाद में फैसला होता है ।

श्री भैरोंसिंह : फैसला आप बता रहे हैं । मैं आप से एक बात पूछना चाहता हूं वह बता दें कि अजीत भाई ने क्या इस बात को स्वीकार नहीं किया कि उन की खरीद फर्जी बताई गई, उसकी बुनाई और बेचना आदि सब फर्जी दिखाये गये । मील का सूत खरीदा गया और ब्यावर के व्योपारियों से खरीदा गया, उसके केश मीमो भी देखे गये और उसके बाद वे उस नतीजे पर पहुँचे कि खादी उद्योग ने यह खराब काम किया है, गड़बड़ियां की हैं । अम्बर चर्खे में भी गड़बड़ी की है । यह सब सिद्ध होने के बाद ही प्रमाण-पत्र छीना जाने का तय किया और यह कहा कि इसका प्रमाण-पत्र छीन । जावे जब खादी बोर्ड में इस प्रकार की अनियमितताए और गड़बड़ियें होती हों तो जो इसमें सेक्रेट्री और अध्यक्ष होते हैं उनका स्वभाविक फ हो जाता है कि वे त्याग-पत्र दें । सरकार रीइन्सटेट करने की कोशिश करे तो भी आगे जा कर दिक्कत आ सकती है । आपकी तो सेहत ही खराब है, उस कारण से आपने त्यागपत्र दे दिया, मगर मैं यह पूछना चाहता हूँ कि बालकृष्णजी ने क्यों इस्तीफा दिया ? आपने इस्तीफा इसलिये दे दिया कि उसके अध्यक्ष दा सहाब मसूदाजी को बना दें ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं कई दिनों से कह रहा था कि मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाए । सेहत की खराबी के कारण वहां इस्तीफा नहीं दिया था । सेहत की खराबी के कारण तो मैंने यहां से त्याग-पत्र दिया था ।

श्री भैरोंसिंह : आपने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन मंत्री महोदय ने क्यों दिया ! उनकी सेहत तो बहुत अच्छी थी । उनको एका-उन्ट का बहुत अच्छा ज्ञान है । हिसाब-किताब कितने ही ऊंचे नीचे आप उनसे बनवाना चाहें बनवालें ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं साफ जवाब देना चाहता हूं कि इन्क्वायरी के समय उसकी सफाई में जो बातें कही जाती हैं वे सब बातें इन्क्वायरी के समय उनके सामने रखी गई, उसका नेट रिज़ल्ट यह है कि प्रमाण-पत्र समिति में यह मामला गया उन्होंने रिपोर्ट भी देखी और संस्था की अनियमितताए, घोटाले भी देखे । सब देखने के बाद यह तय पाया कि यह बात गलत है ?

श्री भैरोंसिंह : यह आप कह रहे हैं !

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह मैं इसलिये आपकी जानकारी के लिये कहता हूं कि आप

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

यह समय ले रहे हैं वह बच जाए। हम किसी पर चार्ज लगाते हैं और उसको सस्पेन्ड करते हैं और जब चार्ज लगा कर, इन्क्वायरी करके बरी करते हैं तो उसको तनख्वाह वगैरह सब देते हैं। इसलिये जब प्रमाण-पत्र वापिस दिया गया तो फिर क्या बात रह जाती है ?

श्री भैरोंसिंह : जिस समय संस्था को री-इन्स्टेट किया गया उससे पहले आपने त्यागपत्र दिया था या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह मैं देख कर बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : उनको संस्था से कोई दुश्मनी नहीं थी। मौअत्तिल तो किया संस्था के हरिभाऊजी उपाध्याय को और बालकृष्ण गर्ग को। संस्था से उनको कोई दुश्मनी नहीं थी। यही तो मेरा चार्ज है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जहां तक मेरी जिम्मेदारी का प्रश्न है, मैं तो कई दिनों से कह रहा था कि मेरा त्याग-पत्र स्वीकार किया जाए। लेकिन जब यह प्रश्न आया तो बालकृष्ण ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। जब उनका इस्तीफा हुआ तो मैंने महसूस किया कि वे सेक्रेट्री थे उनकी जिम्मेदारी है और मैं उसका चैअरमेन था इसलिये मैंने भी बाल-कृष्ण के साथ अपना इस्तीफा दे दिया। जब मैं किसी का अध्यक्ष हूं तो यह मेरा नैतिक फर्ज होता है इसलिये मैंने अपना इस्तीफा दिया और मैं एग्ज़ेम्पल सेट करना चाहता था कि किसी पर आरोप हो, मगर फिर भी जैसा कल सतीशचन्द्रजी ने लालबहादुरजी का जिक्र किया, मैंने खुद ने अपने आप महसूस किया कि मुझे अध्यक्ष नहीं रहना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी तारीफ तो नहीं करना चाहता।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तारीफ मत करिये, लेकिन सही स्थिति को तो समझ लीजिये। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : उन पर आरोप सिद्ध हुए हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए, यही तो बात है।

श्री भैरोंसिंह : अजीत भाई के सामने उन्होंने स्वीकार किया कि खादी में मील का सूत मिलाया गया है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह आप मिला रहे हैं। बालकृष्ण का उसमें कोई हाथ नहीं था। जांच करने के बाद यह साबित नहीं हुआ। इसके लिये एक प्रस्ताव भी पास किया गया था कि बालकृष्ण गर्ग इसमें निर्दोष हैं, अनियमिततताएं हुई हैं और जो अधिकारी हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है और नैतिकता के नाते मेरी और बालकृष्ण की जिम्मेदारी थी देखने की। इसलिये उसने और मैंने दोनों ने इस्तीफा दिया।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन एक बात स्पष्ट नहीं की। नैतिक जिम्मेदारी कौन सी थी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : संस्था में किसी ने भी गड़बड़ी की हो, करने वालों में मैं नहीं हूं, आप नहीं हों, बालकृष्ण नहीं हो तो भी किसी ने भी बुरा काम किया हो तो भी उसको चेक करने की हमारी जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी हमारी थी। कहीं न कहीं तो हमारी असावधानी से ही गड़बड़ी हुई है, उसको तो हमें मानना चाहिये। इस बात को मान कर मैंने भी इस्तीफा दिया और उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उनको प्रोवोक कर रहे हैं। कुम्भारामजी के लिये जल्दी से जल्दी जगह खाली हो जावे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुझे बड़ी खुशी होगी उनके लिये जगह खाली करने में।

श्री भैरोंसिंह : अजमेर-मेरवाड़ा में खादी ग्राम सेवा मण्डल से नैतिक जिम्मेदारी के कारण आपने त्याग-पत्र दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अजमेर ग्राम सेवा मण्डल से त्याग पत्र दिया, लेकिन खादी बोर्ड जिसमें लाखों का घाटाला है, वहां के बारे में क्यों त्याग-पत्र देंगे? वहां नैतिकता कहां गई? अगर आप कहना चाहते हैं तो श्री निरंजन-नाथ आचार्य बैठे हैं, वे भी संस्था के अध्यक्ष हैं। आपके पीछे श्री लड्ढा साहब भी बैठे हैं वे भी संस्था के अध्यक्ष और मंत्री हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): मैं अभी किसी का नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह : मैं यहां पर यों ही खाली हाथों नहीं आया हूं, मेरे पास रिपोर्ट है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह रिपोर्ट पुरानी है। यह रिपोर्ट पुरानी है, मुझे १। साल इस्तीफा दिये हुआ है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : मुझे २॥ साल, ३ साल हुए हैं।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय के सदन से बाहर जाने पर)

श्री भैरोंसिंह : वे तो भाग रहे हैं। वहां संस्थाओं में गड़बड़ियां होती हैं। एक तो साबित हुआ है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस आधार पर कि चूंकि हम वहां पर नहीं रहते हैं, उनका कार्य ठीक तरह से नहीं देख सकते इसलिये गड़बड़ियां हो सकती हैं।

श्री भैरोंसिंह : दोनों मंत्री जिन्होंने त्याग-पत्र दिये हैं वे यह बता दें कि क्या वे त्याग-पत्र देने से पहले अपनी अपनी संस्थाओं के हिसाब साफ करके आये हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई हिसाब ही जिम्मे नहीं है, सब हिसाब साफ है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं तो शिक्षण संस्था का था, उसमें खादी-वादी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : संस्था को ही साफ करके आ गये हो तो मुझे पता नहीं, पर संस्थाओं के हिसाब साफ करके नहीं आये हैं। उन्होंने युटि-लाइजेशन सर्टिफिकेट आज भी नहीं दिये हैं,

(श्री भैरोंसिंह)

उनके हिसाब में आज भी घोटाले हैं। तो नैतिक दृष्टि से थोड़ी भी जिम्मेदारी लेकर चलें तो ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय थोड़ी सी जिम्मेदारी से काम लें, यदि नैतिक दृष्टि से, विकसित रूप में लें तो उनको यहां बैठने की आवश्यकता नहीं है। आपकी एक संस्था और है। शिवकुमारजी अजमेर के हैं आप जानते हैं, वे इस संस्था के मंत्री या सदस्य हैं। उन्होंने एक सस्था बनाई, रजिस्ट्रार कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ ने उनको हटा दिया, तो उन्होंने नई सोसाइटी बना ली और उस संस्था की ६ हजार की केपिटल को हजम कर गये, एसेट्स को अपने में मिला लिया और खादी बोर्ड के सामने गलत हिसाब दिखा कर पहली बार १६ हजार का लोन ले लिया, दुबारा ३० हजार का लोन ले लिया और फिर ५० हजार का लोन लिया। ये सारे लोन्स उस संस्था को दिये जिसमें एम्बेज़लमेंट प्रूव हो गया, दूसरी संस्था के केपिटल को और एसेट्स को गैर कानूनी ढंग से लेकर उन पर कब्जा कर लिया। वे शिवकुमारजी आपके अजमेर के हैं, उन्होंने आपके इलेक्शन में काम किया है, आपको जिताने में उनका हाथ रहा है। इलेक्शन में वह मशीनरी काम में आती है, उसके लिये ३० हजार और ५० हजार के लोन सेंक्शन किये। केकड़ी की संस्थाओं को लोन दिये हैं उन डेट्स को, और इलेक्शन की डेट्स को टेली कर लीजिये तो आपको पता चल जायगा कि इलेक्शन के दिनों में लोन्स इन्हें दिये गये हैं जो एक संस्था के एसेट्स को और केपिटल को हजम कर जाय, रजिस्ट्रार कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ तड़प-तड़प कर मर गया पर उस संस्था का चार्ज नहीं दिया, उस संस्था के नाम से लोन-सब्सिडी ले ली।

आपके इलेक्शन में काम करे उसको लोन दिये जायं, यह डा साहब, किसी तरह उचित नहीं हो सकता। आप प्रमाण चाहें तो मैं प्रस्तुत कर सकता हूं। शिवकुमारजी को ७० हजार रुपया लोन में और कुछ रुपया सब्सिडी में दिया गया और वह रुपया डा साहब की जानकारी में दिया गया। डा साहब को यह मालूम था कि यह वही आदमी है जिसने एक संस्था की केपिटल को और एसेट्स को हजम कर लिया, जिसने एम्बेज़लमेंट किया, जिसने गलत अकाउन्ट्स बता कर लोन लिये। मैं वे कागज मथुरादासजी माथुर को प्रस्तुत कर देना चाहता हूं कि एक ही दिन का अपोइन्टमेन्ट है और साल भर बाद की एक ही दिन की बर्खास्तगी एक ही कलम से, एक स्याही से उसी दिन, एक ही दिन की गई है। एक ही दिन में अपॉइन्टमेंट किया और उस दिन बर्खास्तगी कर दी है। यह दिखाते हुए कि एक साल बाद बर्खास्तगी की गई और सब रुपया हजम कर गये। मैं हाउस की टेबिल पर तो नहीं रखना चाहता उन कागजात को, पर आप देख लें कि एक ही स्याही से, एक ही कलम, एक ही दिन में अपोइन्टमेंट और एक ही दिन में बर्खास्तगी दिखाई गई है। नियुक्ति हुई एक दिन और बर्खास्तगी भी उसी दिन साल भर बाद दिखाते हुए की गई; रुपया उठाया गया, पेमेन्ट किया गया, यह सब एक ही कलम से, एक स्याही से।

कितना रुपया आया, कितना रुपया खर्च हुआ, कोई हिसाब नहीं। अब प्रश्न यह आता

Page No. 77

(श्री भैरोंसिंह)

है कि जो कुछ लोन लिये गये हैं उनका भुगतान क्यों नहीं होता ? १९६२-६३ में रिकवरी होनी चाहिये थी ६५ लाख की, वह न होकर केवल ४४ लाख की रिकवरी हुई और २१ लाख रुपया बकाया है ? किस कारण से बकाया है ? क्यों नहीं वसूल किया गया ? जिनमें बकाया है, उनको फिर लोन क्यों दिये गये ? कोई भी किसी प्रकार से खाता रहे, किसी भी प्रकार से कोई गोलमाल करता रहे, इसकी कोई चिन्ता नहीं। कोई युटिलाइज करे या न करे, इसकी कोई चिन्ता नहीं। कोई एम्बेज़लमेंट करता है तो उसकी कोई चिन्ता नहीं, प्रोग्रेस रिपोर्ट दे या नहीं दे इसकी कोई चिन्ता नहीं, पर चिन्ता केवल एक इस बात की है कि कांग्रेस के इन प्रचारकों को जिन्दा रखना है तो कानून तोड़कर भी, जनता का धन इनको देना पड़े तो देना चाहिये और इसका स्पष्ट नतीजा आज हमारे सामने यह है कि जहां ६५ लाख की वसूली होनी चाहिये थी वहां केवल ४४ लाख की वसूली हो पाई है, २१ लाख की वसूली बकाया है। गरीब लोगों में किसी प्रकार की बकाया रहती है तो उन गरीब लोगों पर कुर्की ले जाकर उनसे वसूली की जाती है। पर इन महन्तों को खुली छूट दी जाती है, इन महन्तों के कारण गरीब जनता पर पैसे का भार पड़ता है और पड़ रहा है, उसकी इनको कोई चिन्ता नहीं। अगर चिन्ता है तो क्यों नहीं २१ लाख रुपया वसूल किया गया और जिन लोगों ने नहीं दिया उनको फिर क्यों लोन दिया गया ?

इसमें एक सब्सिडी का मद है। वह मद ऐसा है कि पैसा भगवान् के घर से आया है। एक कहावत है कि पैसा देगा तो छप्पर फाड़के देगा। तो इस मद में छप्पर फाड़कर पैसा आता है। उसके रिटर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं, री पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं, मिल गया वह हजम। किस काम में खर्च किया ? मकान बनाने में, मकानों की पुताई करने में, मकानों की सफाई कराने में। डा साहब अच्छी तरह से जानते हैं अजमेर में और हरमाड़ा में कितने मकान बने, कितनों की सफाई हुई, कितनों की पुताई हुई, किसका पैसा लगा, सफाई-मरम्मत किसके पैसों से हुई, इन डिटेल्स में आप चाहें तो जाऊं, पर मैं आवश्यकता नहीं समझता।

अब इस हिसाब में एक बहुत बड़ा घोटाला देखा। इनकी एक प्रगति का विवरण निकलता है। ६१-६२ का प्रगति का विवरण मेरे हाथ लगा है। इसमें लिखा है जो कुछ ऋण और सहायता प्राप्त हुई उसका इसमें उल्लेख है, जो खादी ग्रामोद्योग कमीशन से प्राप्त हुई आर्थिक सहायता और उसका विवरण है। ६१-६२ में ४१,६४,८८४) रुपये का ऋण आया और अनुदान आया है १६ लाख का। इस प्रकार प्रगति रिपोर्ट में बताया है। पर राजस्थान सरकार के ए. जी. द्वारा....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री) : शिवकुमार जी वाली संस्था का कहते हैं या और किसी का ?

श्री भैरोंसिंह : यह अजमेर वाली नहीं है, पूरे राजस्थान की है। ४१ लाख का ऋण मिला और अनुदान १६ लाख का मिला यह, इस प्रगति की रिपोर्ट में दिया गया है। पर मैंने इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की आडिट

Page No. 78

(श्री भैरोंसिंह)

रिपोर्ट देखी तो उसके देखने से और ही बात सामने आती है। उसमें बताया गया कि ६८ लाख का ऋण मिला और २८ लाख का अनुदान मिला। यह इतना रुपया कहां गया ? यह गड़बड़ी क्यों हुई ? या तो ऑडिट को गलत फीगर्स दिये गये या आपने अपनी रिपोर्ट गलत छापी। इसमें एक घोटाला और है। इसमें प्रोवीज़न है कि जो लोन या सब्सिडी से मिले वह डिस्बर्स कर दें और डिस्बर्स करने से जो बचे वह रुपया, बैलेंस का रुपया रिफन्ड करना चाहिये। जितना रिफन्ड करना चाहिये था वह नहीं किया। १५.२७ लाख रुपया न रिफंड किया गया, न बेलेंस में है और न किसी को पे किया गया। इसका रुपया कहां है ? मैं नहीं कहता कि सब रुपया कहां चला गया, पर वह रुपया किसे दिया गया ? बेलेंस दिखा नहीं सकते क्योंकि नेक्स्ट ईयर में कैरी आन रहना चाहिये, किसको देने के लिये रखा, किसको दिया गया। एंड ऑफ दी ईयर में अपने विभाग की रकम को यदि हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट सरेंडर नहीं करता है तो पब्लिक एकाउन्टस कमेटी उसकी खाल खींच लेती है। जो रुपया बचता है उसको फौरन सरेंडर किया जाय ताकि हमारी सरकार ब्याज से बचे।

मैं पूछना चाहता हूं कि रिफंड करने के बाद में जो रकम बचती है जो डिस्ट्रिब्यूट नहीं हुई उस रकम को आपने रिफंड क्यों नहीं करवाया, यह किसकी जिम्मेदारी है ? आपने इसमें व्यवस्था की है कि एक अकाउंटस ऑफिसर रहेगा जो एडवाइज़ करेगा। इसकी क्या जरूरत है ? एडवाइज़ करने की आवश्यकता नहीं है। अकाउंटस डिपार्टमेंट [illegible]

का एक फुलफ्लेज्ड आदमी होगा, who will be responsible to the Board and to the Government both. अगर खाली आप खादी बोर्ड का एडवाइज़र बनाकर रखेंगे तो इसका मतलब वह आपकी डाइरेक्शन्स से ही काम करेगा। यदि वह सरकार के प्रति भी रेस्पोन्सीबल होगा तो वह आदमी जो जनरल फाइनेन्शियल एण्ड अकाउंटस रूल्स खादी बोर्ड वगैरह जितने भी कानून बने हुए हैं उन सबका पालन करेगा और यदि वह आपके अंडर में रहेगा तो जो आदमी इस करप्ट संस्था में आएगा वह खुद भी करप्ट हो जायगा। वह ट्रांसफरेबल पोस्ट हो। सरकार किसी भी आदमी को ले ले। आप खुद वित्त मंत्री रहे हैं, आपको क्या एडवाइस करेगा, आपके पास तो बहुत बड़े २ आदमी हैं। [illegible]

दूसरी बात यह है कि आप संशोधन ला रहे हैं कि १०० रु० तक राइट ऑफ किया जा सकता है। आज तक किसी भी ऑटोनोमस बॉडी को, जिसमें सरकार के लोन्स और सब्सिडी हों, जो सरकार के कर्जे और सब्सिडी पर चलती है, गवर्नमेंट की मनी को राइट ऑफ करने का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन हमारी राजस्थान सरकार उसके नीचे चलने वाली एक संस्था को अपनी रकम को राइट ऑफ करने की जिम्मेदारी दे रही है। रकम खादी बोर्ड की नहीं है, खादी कमीशन की नहीं है, राजस्थान सरकार की है जो भी रकम राइट ऑफ होगी उसकी लाइबिलिटी राजस्थान सरकार पर आयेगी और राजस्थान की दो करोड़ टैक्स पेयर जनता को इसके लिए भुगतना पड़ेगा। मैं सरकार [illegible]

(श्री भैरोंसिंह)

से कहना चाहता हूं कि राइट ऑफ किस बात का ?

पिछले दिनों गुड़ खांडसारी के लोन के मामले में जिन किसानों ने आपका मनी आर्डर भेजे उनको रुपया पहुंचा ? लोग कहते हैं कि हमारे पास रसीद आ गई, लेकिन खाते में नहीं आई । उनको नोटिस दे दिया । इन्सपेक्टर पैसा लेकर भाग गया । क्यों नहीं उसको पकड़ा गया ? जो भी आइटम्स राइट आफ ऑफ करना चाहेंगे, आप राइट ऑफ करेंगे इसमें मधुमक्खी पालन, प्रदर्शनियां, हाथ का कागज, रेशा उद्योग, साबुन इत्यादि के नाम से बड़े सेंटर्स हैं । अच्छी भाषा के अन्दर ये नाम लिखे गए हैं और यदि कोई देखेगा तो ऐसा पता लगता है कि राजस्थान में ग्रामोद्योगों की कमी नहीं है, आपने राजस्थान में साबुन के लिए रुपया कितना दिया ? दस लाख रुपए और आप हिसाब देते हैं कि १८ लाख रुपये का साबुन हमने पैदा कर दिया । मैं इस विधान सभा में बैठने वाले सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि कोई बता दे कि किसी ने भी ग्रामोद्योग के साबुन से अपने कपड़े धोये ? इससे धुलाई तो गरीब जनता की हुई और राजस्थान में साबुन का ग्रामोद्योग चलता हुआ बता दिया । एक भी बता दे कि मधुमक्खी पालन पर जो हम पैसा दे रहे हैं उसका शहद किसी ने खाया है ? नहीं खाया । आपने प्रदर्शनियों के अन्दर जो पैसा दिया उसमें ८ हजार रुपए लेकर आदमी चला गया, जिसका अकाउंट पेश नहीं किया । हाथ के कागज का केन्द्र केवल सांगानेर में चलता है, बरसों से चलता आ रहा है, उसमें भी घोटाला । आज जो वास्तव में मैन्यूफैक्चरर्स हैं उनको कुछ नहीं मिलता और बाकी के जो बड़े बड़े महल बनाए गए हैं वे अपना खूब उल्लू सीधा करते हैं; खाते हैं, पीते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है । कैसे खाते हैं इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं ।

खादी बोर्ड के सदस्य हैं :

सर्व श्री हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुल भाई भट्ट, रामेश्वरलाल अग्रवाल, भोगीलाल पंडिया, ओमदत्त शास्त्री, जवाहरलाल जैन, बालकृष्ण गर्ग, चिरंजीलाल ।

ये कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनका ठिकाना नहीं है, ये सब फेडेरेशन बनाकर बैठे हैं । श्री गोकुलभाई भट्ट का भीलवाड़ा में, श्री भोगीलाल पांडिया का राजस्थान सेवा संघ, उदयपुर, श्री रामेश्वरलाल अग्रवाल का राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग, श्री ओमदत्त का राजस्थान खादी विकास मंडल जयपुर, श्री बालकृष्ण गर्ग का अजमेर ग्राम सेवा मंडल, श्री जवाहरलाल जैन का राजस्थान खादी विकास ग्रामोद्योग, श्री चिरंजीलाल......

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : श्री चिरंजीलाल सदस्य नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह : अब नहीं हैं, पहले तो थे ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : श्री जवाहरलाल थे, चिरंजीलाल नहीं थे ।

Page No. 80

श्री भैरोंसिंह : ये करते क्या हैं ? ये जितनी भी संस्थाएं हैं और जो खादी ग्रामद्योग बोर्ड के मेम्बर्स हैं वे उन संस्थाओं के नाम लाखों रुपए कर्जे व सब्सिडी लेकर खा गए। इसका मतलब खादी विकास से नहीं है, इसका मतलब ग्रामोद्योग विकास से नहीं है, इसका मतलब स्वयं के विकास से है, गरीब जनता का शोषण करने से मतलब है। ये संस्थाएं गरीब जनता का पैसा खाकर और खादी के नाम पर जनता को ठगती हैं। लाखों रुपए बकाया हैं। जरा वे लोग अपनी शक्ल देखें। जैसे हमारे सतीशचन्द्रजी कहा करते हैं कि कई दवाई बनाने वाले दो शक्लें दिखाते हैं, एक दवा लेने से पहले बिल्कुल पतला और फिर दवा खाने के बाद बिल्कुल पहलवान। इस तरह से ये नेता भी हैं।

श्री जयनारायण खालोदिया (निवाई) : लेकिन दा साहब तो पहलवान नहीं हुए।

श्री भैरोंसिंह : उसका दूसरा कारण है। आप पतलेपन को निभाकर चलते हैं। डाइटिंग करके अपने को पतला रखना चाहते हैं। आप समझ गए हैं कि मोटा होने से लोग चोर कहेंगे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपकी प्रतिभा को तो दाद ही देनी पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने क्या किया दा साहब जिसके मंत्री हैं ? माननीय मथुरादासजी बैठे हैं। वे इस चीज़ को जानते होंगे कि इतनी गड़बड़ी दूसरे डिपार्टमेन्ट में हो जाय तो बख्सने वाले नहीं, इतनी गड़बड़ी और कहीं की जाय तो बख्सने वाले नहीं। बकाया की वसूली नहीं करना, रेगुलर अकाउन्ट्स मेन्टेन नहीं करना, कितना रिकवरी करना न है इसके अकाउन्ट्स मेन्टेन नहीं, कितना रुपया कहां गया इसका कुछ पता नहीं, संस्थायें किस प्रकार रुपये का दुरुपयोग करती है इसका कोई चैक नहीं। आप कहते हैं बोर्डमें काम करता हूं, अध्यक्ष हूं।

इस एक्ट को पढ़ लीजिये आप और पढ़ कर मुझे बता दीजिये कि गवर्नमेन्ट को या बोर्ड को जो नियम बनाने थे वे कौन कौन से नियम आज तक आपने बनाये ? सिवाय प्रोवीडेन्ट फन्ड नियम बनाने के आपने कौन से नियम बनाये ? सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि सेक्शन ६,७,८,६ व १ के अन्तर्गत सेवा नियम बनाने चाहिये, कार्य-कारिणी के और दूसरी समितियों के नियम बनाये जाने चाहिये थे, सेक्शन २१ (१) के अन्तर्गत सेक्रेटरी और अन्य पदाधिकारियों के लिए और कर्मचारियों के लिए नियम बनाने चाहिये थे, सेक्शन २६ में बजट है, ३० में बजट की मंजूरी, ३१ में अनुपूरक कार्यक्रम और बजट, ३२ में है वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, ३३ में है आगे की रिपोर्ट, आंकड़े और विवरण-पत्र तैयार करना, ३४ में हिसाब-किताब और ऑडिट, ३५ में राज्य सरकार द्वारा निदेश। ३७ में संचालन के नियम हैं, ३८ में अन्य नियम बनाने की शक्ति है। इस चीज में सिवाय एक चीज़ के कि प्रावीडेन्ट फन्ड के आपने नियम बनाये, बाकी सारे एक्ट को चाट कर रख दिया दुनिया का पैसा खाकर। इ पसा खाने को

(श्री न [illegible] सिंह)

बात, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लोन लिया, रुपया बांटा आपने गलत कार्यवाही की और राजस्थान का लाखों रुपया खाया। गैर कानूनी रूप से लोगों को रुपया बांटा। कानून के अन्तर्गत जो कार्यवाही आपको करनी चाहिये थी नहीं की। समिति को क्या पॉवर्स हैं, बोर्ड को और उसकी एग्जीक्यूटिव को क्या पॉवर्स हैं, सेक्रेटरी के क्या पॉवर्स हैं. ये आपने अब तक प्रेस्क्राइब नहीं किये, सर्विसेज के क्या नियम हैं, यह आपने अब तक प्रेस्क्राइब नहीं किये, खर्च किस प्रकार किया जा सकता है, यह कहीं प्रेस्क्राइब नहीं किया है। भ्रष्टाचार हो रहा है और आप महन्त बने बैठे हैं। ऐसे महन्तों की आज आवश्यकता नहीं है। आज का जमाना अब ऐसे महन्तों को टॉलरेट करने वाला नहीं है। इसलिए दा साहब मैं निवेदन करूंगा कि लोग कहते हैं कि आप त्याग कर दें, मैं कहता हूं कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाय। लाखों रुपयों का दुरुपयोग खादी को खादी बना कर खा गये, खादी से पेट भर लिया, खादी के साथ अन्याय किया, खादी पहिनने वालों के साथ अन्याय किया और ग्रामोद्योग के साथ भी अन्याय किया और गरीब जनता का पैसा लेकर उसका दुरुपयोग कर, उसके साथ अन्याय किया और अब आप कहते हो कि कानून में संशोधन कर दो। किस बात का राइट, ऑफ करने का? १४ से १६ मेम्बर बनने का! किस की जरूरत पड़ गयी! आज प्रदर्शनियां होती हैं। उपाध्यक्ष महोदय उनके जो सेन्टर्स हैं दा साहब से पूछना चाहता हूं। एक सेन्टर पर लाखों का उधार दे दिया। प्रोवीज़न नहीं था रूल्स में कहीं नहीं लिखा कि सेल्समैन उधार दे सकता है, उन्होंने लाखों रुपयों का प्रोडक्शन से उधार दे दिया। जिसने केश मीमो कटा, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? उधार खाते! मोर—कबूतर के नाम पर उधार खाओ। सब के नाम पर उधार खाओ। एक काम यह शुरू कर दें कि खादी ग्रामोद्योग के नाम पर कबूतर पालेंगे, मुर्गी पालेंगे। लोगों को रोजगार देना है, मुर्गी उड़ाओ कबूतर उडाओ और जनता का पैसा लुटाओ। दा साहब यह व्यवस्था है आपकी। इस प्रकार की वसूली है आपकी? सब उधार खाते, मैं खादी का विरोधी नहीं हूं। खादी स्वयं पहनता हूं और दूसरों को पहनने खादी के लिए कहता हूं और जैसा रामकिशनजी ने कहा, खादी के नाम पर पड़ने वाली गालियां भी खाता हूं। यह सब होने पर भी खादी बोर्ड में आपको क्या इन्ट्रेस्ट है? कुछ लोग नाराज हो जाएंगे तो हो जायेंगे। खादी बोर्ड के अध्यक्ष मत रहो और उसकी जगह आई. ए. एस को रख दो, यह मेरा सुझाव है। खादी बोर्ड के अकाउन्ट्स का ऑडिट चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट न करके जिस प्रकार दूसरे ऑडिट की व्यवस्था है राज्य में उसी प्रकार ए. जी. को इसके लिए अधिकार दे दिया जाय कि वह एक एक संस्था के डाक्युमेंट का ऑडिट ही न करे, एक एक वाउचर का आडिट ही न करे, किन्तु पूरा फिज़िकल रूप से ऑडिट करे, उसका वेरीफिकेशन करे और इस विधान सभा को बताए कि कितना दुरुपयोग हुआ है और जो बोर्ड के ये सेक्रेटरी हैं, जिनकी लीला या तारीफ कल सतीशचन्द्रजी ने अपने भाषण में चर्चा करते हुए की, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं वे कागजात लेकर लाया हूं और एन्टीकरप्शन की रिपोर्ट लाया हूं जिससे

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकट होगा कि वे कितने दोषी हैं। मैं इससे अधिक जिक्र नहीं करना चाहूंगा। मैं यही कहूंगा कि चेयरमेन को हटाया जाय, नहीं हटाया जाय, यह समझ कर कि ओटोनमस बोर्ड है इसकी इज्जत रहनी चाहिए तो ए. जी. की मार्फत सारा का सारा ऑडिट होना चाहिए और सेक्रेटरी को हटा कर किसी आई. ए. एस. आफिसर लगा देना चाहिए तब जाकर यह महन्ताई और ठगी बनाये बैठे हैं और लोगों का पैसा खींचा जा रहा है, वह बन्द होगा वर्ना हम कितने ही चिल्लाते रहें आप पर असर नहीं होगा। आप में असर पैदा हो या न हो, लेकिन जनता में अब चेतना आ गई है अपने आप सही रूप से दुरुस्त हो जांय, नहीं तो और भी कदम उठाया जायगा जिससे दिमाग सही रूप में आ जायगा। मैं इस विषय में संशोधन रखने वाला था, आगे रखने वाला हूं जिससे इस बोर्ड के कार्य सही रूप से हो सके और पैसे की भी बचत हो सके। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी समझ में सभी पक्ष से काफी वाद-विवाद हो चुका है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : पांच मिनट बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Only five minutes.

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान खादी संघ तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक पर जो सदन में बहस के द्वारा तथ्य हमारे सामने आये, उनसे हमारा सिर लज्जा से नीचे हो जाता है। खादी के प्रारम्भकर्त्ता महात्मा गांधी थे और उनका उद्देश्य इसके पीछे यह भी था कि इससे नैतिक बल हमारे देश वासियों का बढ़ेगा। उन्होंने एक विचार रखा था कि जो चर्खा काते और खादी बनावे, वही खादी पहिने और जो खादी पहिने वह चरखा काते और खादी बुने। तो उस समय खादी नैतिकता और देश भक्ति की प्रतीक थी। देश के लोग खादी को बड़ी श्रद्धा से देखते थे और खादी पहिनने वाले की बड़ी कद्र करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आज यह खादी एक स्वार्थसाधन की वस्तु बन गई है। यह एक ऐसे व्यापार की वस्तु बन गई है, जो एक तरह से भ्रष्टाचार की प्रतीक बन गया है।

अभी जैसे कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि इस खादी के पीछे हर संस्था में घोटाले हैं। मैं तो यह समझता था कि टोंक में ही साधारण से घोटाले होंगे। वे भी अगर देखे जावें तो कम नहीं हैं। वहां सभी को पता है कि प्रोडक्शन कितना होता है और बतलाया कितना जाता है। जितना बताया जाता है उसका चौथाई हिस्सा भी नहीं होता। फर्जी आंकड़े बताये जाते हैं। कमीशन का पैसा भी इसी तरह से ये साफ करते हैं। इस तरह से एक-डेढ़ लाख रुपया लेकर वे कार्यकर्त्ता हड़प जाते हैं। वहां की कार्यकारिणी के सदस्यों ने भी आपत्ति की। इत्तफाक से एक दो व्यक्ति अच्छे निकल गये। बाकी ने दर गुजर कर दिया इनको। कई बार ऐसा वाकया हुआ है कि जयपुर से खादी टोंक गई, उस पर २५ परसेन्ट कमीशन ले लिया टोंक से वही खादी कोटा ले गये, उस पर २५ परसेन्ट कमीशन फिर ले लिया, और वही वापिस

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

जयपुर पहुंच गई और तब २५ परसेन्ट कमीशन उस पर और ले लिया। तो इस तरह से इस खादी के व्यवसाय को आज ये लोग अपनी स्वार्थ वृत्ति और बेईमानी का पनपाने के लिये करने लग गये हैं।

खादी सादगी का प्रतीक माना जाता था गांधीजी के जमाने में, पर जयपुर में आज तड़क-भड़क के अगर कोई स्थान हैं तो दा ही है। एक तो सिनेमाघर और दूसरे खादी घर। 'सादे रहो और ऊंचे विचार रखो' को आज कोई महत्व नहीं दिया जाता। आज तो इस खादी में महल की भावन पैदा हो गई है।

(समय-समाप्ति,सूचक घंटी)

मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ यह नीति हमारे लिये अच्छी नहीं है। दुर्भाग्य या सोभाग्य से मैं भी खादी पहनने वालों में से रहा हूँ, आदतन खादी पहिनता हूं पर खादी को आज जो पैसा सरकार दान के रूप में देती है, जो पैसा सरकार एक्साइज़ के रूप में मिल के कपड़ों से वसूल करती है वह दान ग्रहण करने से हमारी भावनाओं में खराबी और पाप पैदा हो गया है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिये नम्र निवेदन है कि खादी संस्थाओं को अपने पैरों पर, अपने आप खड़ा होने दिया जावे, इसे कोई सहायता न दी जावे क्योंकि इस सहायता से तो पाप का भागी ही बनाना है और इसके मुख्य भागीदार चेयरमैन स्वय हो सकते हैं।

जो बातें सामने आई हैं वे साधारण नहीं हैं। इन संस्थाओं में पोलेटरल सिक्योरिटी की व्यवस्था की जानी चाहिये और जिम्मेदारी इन पर डालनी चाहिये। खादी घोटालों के लिये व्यक्तिगत तौर पर चेयरमैन और सचिव को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये और यह देखा जाना चाहिये कि जनता की गाढी कमाई का पैसा, जो सरकार टैक्सों के द्वारा वसूल करके इनके दान के रूप में देती है उसे ये लुटेरे लूट कर अपनी जेबों में नहीं रख रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और इस तरह की जिम्मेदारी न डाली जावे और इस तरह की पोलेटरल सिक्योरिटी की व्यवस्था न कर दी जावे तब तक सहायता न दी जावे इन संस्थाओं को।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय, उत्तर देंगे। मैं मन्त्री (उपमन्त्री) महोदय से निवेदन करूंगा कि वे संक्षेप में कहें तो ठीक रहेगा।

आप कितना समय लेना चाहेंगे ।

श्री दिनेशराय डांगी (उप मन्त्री, खाद एव ग्रामोद्योग) : आधा घंटा तो कम से कम।

श्री उपाध्यक्ष : तो आधे घंटे में आप फरमा दें।

श्री दिनेशराय डांगी : उपाध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

Page No. 84

(श्री दिनेशराय डांगी)

(संशोधन विधेयक, १९६४ सदन में पेश किया गया है, उसको पेश करने के पश्चात् सदन में कई तरह का वाद विवाद बड़ी मधुर और तीक्ष्ण भाषा में, तो कहीं शीतल और न जाने किस किस प्रकार से, जिसके दिल में जैसे आया, प्रहार किया गया। इसके लिये मैं सबका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं।

सबसे प्रथम श्री सतीशचन्द्रजी अग्रवाल जिन्होंने खादी के बारे में काफी प्रकाश डालने की कोशिश की, खादी से उनकी बहुत हमदर्दी है, यह खुशी की बात है। शायद पहले कभी खद्दरधारी रहे हों। आपने खादी के बारे में बहुत कुछ उसकी पवित्रता के बारे में बतलाया, कुछ उसके ऊपर शायद आपने ही छींटे कसे हों, उसके धब्बों के बारे में बताया। सब मिलाकर उनका खादी के बारे में स्टेटमेंट कांट्राडिक्टरी सा लगा। जिसने खादी की महत्ता देखी न हो, उनको उसका आभास नहीं सकता।

खास करके उन्होंने लोन्स रिकवरी के लिये कहा, ड्यूज के लिये कहा।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सदन का ध्यान आपकी मार्फत इस ओर आकर्षित करूंगा कि आज तक बोर्ड के अन्तर्गत जो ड्यूज़ थे उनका ६४ प्रतिशत रिकवर हो चुका है और राजस्थान की और जो संस्थाएं हैं उनके अन्दर इस संस्था का इस माने में पांचवां नम्बर है।

आगे खास करके आपने एक किसी हाई कोर्ट के जजमेन्ट के बारे में प्रकाश डाला। आपने ही नहीं, और भी माननीय सदस्यों ने जो दिल में था सामने लाकर रख दिया। करौली ग्राम सेवा मण्डल, जिसकी ब्रान्च अलवर में चल रही है, उसके बारे में जिक्र चला और सबकी बात से यह मालूम पड़ा कि वे यह चाहते हैं कि किसी प्रकार से सेक्रेटरी श्री चिरन्जीलालजी शर्मा को हटा दिया जावे। यह कानूनी मसला है। अगर इसमें हटाने की नौबत आती तो सरकार शायद आपको इस प्रकार का मोका नहीं देती। वैसे हमारे खादी कमीशन के डिप्टी डाइरेक्टर हैं उन्होंने भी एन्क्वायरी की है और पाया है कि चिरन्जीलालजी शर्मा के प्रति इस प्रकार का आरोप सिद्ध नहीं है।

इसी प्रकार से एक डिफेमेशन का केस सुधाकर शास्त्री बनाम श्री रामसिंह का है। उसका काफी जिक्र किया गया। उसमें भी जहां तक मैंने देखा है यह पाया है कि चिरन्जीलालजी शर्मा के नाम से व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं है, चेयरमैन की हैसियत से हैं। पर चेयरमैन ऑनरेरी भी होते हैं, पर उन्होंने तो उससे इस्तीफा भी दिया था। उनके पास इसकी किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं थी। अब जहां तक वहां के अधिकारियों को रखने हटाने का सवाल है हमारी कई संस्थाओं में गड़बड़ियां होती हैं, शिकायतें आती हैं तो उनको हटाना भी पड़ता है, सस्पेण्ड भी करना पड़ता है। कई तरह के स्टेप्स लेने पड़ते हैं हमें कानून के अन्दर। हो सकता है कि शायद उनमें वे अधिकारी या आदमी किसी जनसंघ के आदमी हों जिसकी वजह से उनको दर्द हो और उसके प्रति वफादारी पेश करना चाहते हों।

इसके अलावा चिरन्जीलालजी शर्मा के

(श्री दिनेशराय डांगी)

प्रति व्यक्तिगत कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाये न ऐसे कोई बात है। लोकवाणी के सम्पादक को भी पाब्लिक इन्टरेस्ट में मान कर बरी किया गया है। प्रेस कमेटी के अनुसार भी पत्रकारों को जहां तक ४४६ आर. पी. सी. के एग्जेम्पशन ६ का प्रिविलेज है तो उसके अन्तर्गत लेकर बरी किया गया है अन्यथा तो ऐसे भी एक्सट्रेक्ट हैं जिनसे सिद्ध होता है कि उन्होंने डिफेमेशन किया है और यह प्रूव होता है तो स्पेशल प्रिविलेज जो उनको दी गई है उसके अन्तर्गत उनको बरी किया गया है।

आपने आगे गांधी सेवा सदन, बयाना का जिक्र किया उसके लिए हमने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज नया बना दिया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नशीराबाद) : The a point of information, Sir, खादी में सूत मिल का मिला या नहीं? आपकी तरफ से वह बेचा गया या नहीं ? चिरन्जीलाल जी को रहने दीजिये। इसके बारे में कोर्ट का क्या फैसला है, यह बताइये आप।

श्री दिनेशराय डांगी : आपने आरोप चिरन्जीलालजी पर लगाये हैं........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : छोडिये चिरन्जीलालजी को, चिरन्जीलाल हे, चलता रहे, आप भी रहें। आप तो यह बताइये खादी में मिल का सूत मिला या नहीं ? यह कोर्ट की में मिल का सूत दूकान से फाइन्डिन्ग है। खादी बिक गया जो हमको मिला। उसका क्या ज... ...का ? अगर है तो आप इसका क्या ... करना चाहते हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैं यह नहीं कह सकता कि ... मिला या नहीं मिल का। पर गांठ ... नहीं गई।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप कहते हैं कि बेची नहीं गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जिस खादी के बारे में शक हुआ था उसी वक्त वह गांठ सील कर दी गई और वह बेची नहीं गई।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कितनी खादी के अन्दर सूत मिल का मिलाया गया या नहीं मिलाया गया, केवल उसी गांठ के अन्दर की खादी में ही मिलाया गया, बाकी में नहीं मिलाया गया, नहीं बेचा गया, क्या इसका आपको अहलाम हो गया जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि नहीं बेचा गया। न जाने कितने मनों बेच दिया होगा। वह तो एक गांठ सामने आ गई और आपने पकड़ ली। इसके पहले मालूम नहीं कितना बेच दिया होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं 'कि बालकृष्ण गर्ग के हाथ का पत्र लिखा हुआ है....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री) : अजीत भाई ने इसकी जांच की है। संयोग से वे मुझे आज ही यहां मिल गये। मैंने उनसे पूछा कि क्या यह शक है कि और कोई गांठ नहीं बेची गई। तो उन्होंने खुद कहा कि सारी एन्क्वायरी मैंने की है। चिरन्जीलाल का, किसी का हाथ नहीं है इसमें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कहां की, किसकी बात आप कह रहे है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय . करौली की बात में कहता हूं। अजीत भाई ने जांच की है।

श्री भैरोंसिंह : एन्टी-करप्शन की रिपोर्ट की बात क्यों नहीं कहते आप ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : करौली की बात मैं कह रहा हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : एन्टी करप्शन की रिपोर्ट को आप विश्वस्त क्यों नहीं समझते ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अजीत भाई जैसे कमीशन के सदस्य ने खुद ने एन्क्वायरी की है। इत्तफाक से वे आज ही मिल गये मुझे। मैंने उनसे पूछा है और उस पर कह रहा हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : एन्टी-करप्शन विभाग जो आपका सरकारी विभाग है, उसको क्यों नहीं विश्वस्त माना जावे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अजीत भाई जैसे व्यक्ति अगर कुछ कहें तो उसके आधार पर तो मानना चाहिये। और के बारे में क्रिटिसिज्म हो, उस पर विचार हो, पर फेक्ट्स के बारे में चर्चा करने की बात मैं कह रहा हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : दा साहब, मैं तो आपकी और आपके विभाग की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिये पूछना चाहता हूं कि वह गांठ अजीतभाई ने पकड़ ली, बरपा हुई वे लखनऊ से। तो एक ही गांठ पकड़ ली और उस एक ही गांठ में मिला आपको सूत। और क्या नहीं मिला, क्या मिला। इसके लिये जो एन्टी करप्शन विभाग की पुलिस एन्क्वायरी करती है काफी समय और रुपया व्यय करती है कि मिल के सूत का मिला कपड़ा बेचते हैं। गोलमाल की गई, कई बार गड़बड़ियां हुई। पर ये कहते हैं गांठ और नहीं निकली। सूत हमको मिल का और नहीं मिला। हमें तो आप यह विश्वास दिलाइये कि जो हम खादी का कपड़ा इन दूकानों से खरीदते हैं वह खादी ही खरीदते हैं, शुद्ध खरीदते हैं या क्या ? यह इतमीनान दिलाइये, हमें और बात से मतलब नहीं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने कभी यह नहीं कहा है कि किसी संस्था की शिकायत नहीं हुई या घोटाला नहीं पाया गया। जिसकी शिकायत आई उसके लिए जांच की गई और जो भी दोषी पाया गया उसको बराबर सजा दी गई। अब आप कहते हैं कि पहले कोई माल निकल गया अब निकल गया तो निकल गया। जो पकड़ाई में आये उसके लिए कार्यवाही की गई और इसमें जिसकी असावधानी थी उनके खिलाफ कार्यवाही की गई।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : इसके लिए पेनल क्लॉज क्यों नहीं व रखा जाता है और एक्ट में इसको क्यों नहीं इन्कोर्पोरेट किया गया कि इस तरह से जो एडलट्रेशन करता है उसको सजा दी जावेगी; जैसे फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उसके लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : खाद्य का भी तो एक अलग से एडल्ट्रेशन एक्ट है, तो इसी तरह से खादी के लिए भी बना दिया जावे तो अच्छा रहेगा। अब इसमें १४ से १६ मेम्बर्स बनाये जायें तो इसकी विशेष आवश्यकता नहीं है।

श्री दिनेशराय डांगी : बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने खादी के लिए अच्छी अच्छी बातें रखीं और खास करके शो केसेज़ के बारे में उन्होंने कहा। और उन्होंने यह भी कहा कि जब बाजार में जाते हैं अच्छा नहीं लगता। मेरा ख्याल है कि जहां तक खादी की दूकानों को सजाने की बात है तो यह आप बात है कि जहां खूबसूरती और सुन्दरता के साथ किसी चीज को सजाते है तो ग्राहक उसके लिए ज्यादा मिलते हैं और इसीलिए उन चीजों का ज्यादा एडवारटाइजमेन्ट किया जाता है। उसी हिसाब से हमारा सेल भी ज्यादा बढ़ता है और इससे हमारे प्रोडक्शन में भी हमारे फायदा होता है और सेल में भी फायदा होता है। इसलिए इसमें ऐसी बात नहीं है कि खादीघरों को सजाया जाये या नहीं।

खास करके मिलावट के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है। जहां तक मिलावट का सवाल है यह तो एक मोरेलिटी की बात है। हम बराबर कोशिश करते हैं कि खादी में मिलवट न हो। लेकिन जहां जहां इस तरह के केसेज पकड़े गये है उनको सजा दी गई। यहां तक कि उनकी सर्विसेज़ को टर्मीनेट किया गया हैं और उनका सस्पेन्शन भी किया गया है। इसलिए यह कहना कि मिलावट होती रहती है और ऑफिसर्स और दूसरे लोग कुछ तवज्जोह नहीं लेते है इस तरह की बात कभी मेरे सामने नहीं आई।

एक चीज बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने राइट-ऑफ के लिए कहा। भैरोंसिंह जी ने भी कहा कि राइट-ऑफ करने की जो पॉवर्स दी गई हैं इससे न जाने क्या क्या घोटाले हो जायेगे। मेरा ख्याल है कि जितने भी हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स हैं राइट-ऑफ करने की पॉवर्स सभी को हैं हां, यह बात दूसरी है कि कहीं थोड़ी है और कहीं ज़्यादा है। उसको देखते हुए.......

श्री भैरोंसिंह : कौन से हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट को राइट-ऑफ करने की पॉवर्स हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अगर मान लीजिए कि नल चोरी हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट लिखानी पड़ती है, पुलिस उसकी जांच करती है और अगर वह अनट्रेसेबल है तो फिर कहीं जाकर राइट-ऑफ होता है। अगर राइट-ऑफ ही करना है तो उसके कारण मालूम होने चाहिए। यह राइट-ऑफ का क्लॉज़ बिलकुल ड्रॉप होना चाहिए। नहीं तो हर एक आदमी ५०० रु० का राइट-ऑफ कर देगा।

श्री दिनेशराय डांगी : राइट-ऑफ की पॉवर्स 'सब्जेक्ट टू दी कन्डीशन्स' होती हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वहां के लोग पकड़े जायें जो चोरी करते हैं मेज और कुर्सी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

अपने घरों पर रख दें और पुलिस उसकी जांच करे। अगर वह चीज पुलिस को नहीं मिले तो अनट्रेसेबल हुई।

श्री दिनेशराय डांगी : अनट्रेसेबल कोई चीज होती है उसी को राइट-ऑफ किया जाता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह तो इन्वेस्टीगेशन के बाद होता है। आपको कोई अधिकार नहीं है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ऐसी मनमानी करने कोई चीज नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आखिर राइट-ऑफ करने का क्राइटेरिया क्या बनाया?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको कारण बताने होंगे कि किन कारणों से राइट ऑफ करेंगे।

श्री दिनेशराय डांगी : कोई भी चीज राइट-ऑफ क्या दी जाये, ऐसा किसी कानून की किताब में नहीं है। मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है। इसके अलावा कई चीजें डेस्ट्राय करने की कन्डीशन्स में होती हैं या किसी एक्ट ऑफ फ्रॉड से खराब हो गयी उसी को राइट-ऑफ करेंगे?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जो चीज खराब हो गयी है रिजेक्ट होती है। आपने रिजेक्ट और राइट-ऑफ एक ही बात समझ ली।

श्री दिनेशराय डांगी : कई तरह की अमाउन्ट जो बैंक डेट में भी आ जाती है उस अमाउन्ट को भी राइट-आफ करना पड़ता है। अगर उसमें गलती पाई जायेगी तो उसकी कम्पलेन्ट भी होगी और दावा भी होगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रोवीज़न को रखने के पीछे दो खास बातें हैं, जैसे फर्स्ट क्लास हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट होते हैं....

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : Point of Order, Sir, इस विभाग के मन्त्री महोदय बैठे हैं और उप-मन्त्री जी भी बैठे है और यह माना कि सभी उत्तरदायी हैं, लेकिन एक बार जो उप-मन्त्री है उन्होंने अपना भाषण देना आरम्भ कर दिया तो अब आप किस प्रकार से बोल सकते हैं?

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्लेरीफिकेशन कर सकते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यही अर्ज कर रहा था कि जिस प्रकार से हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट को राइट-ऑफ करने की पॉवर्स है जी. एफ. आर. के तहत हैं, क्योंकि जी. एफ. आर. टैकनीकली यहां लागू नहीं होता है इसलिए इसके अन्दर अगर हम प्रोवीजन नहीं करते हैं तो राइट-ऑफ के पॉवर्स बोर्ड को नहीं होते हैं। इसलिए यह प्रोवीजन लागू करके subject to the Couditions as may be prescribed by the Board or

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

Government' यह प्रोवीज़न किया है । तो इसके तहत वे सारे जो जी. एफ. आर. में हैं वे रूल्स में आयेंगी और उसके बाद में जो भी रुपया राइट-ऑफ किया जायेगा वह इन्हीं सभी के ऊपर किया जायेगा कि जिसके आधार पर अभी हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट राइट-ऑफ करने के पॉवर्स रखते हैं और करते हैं । इस-लिए कोई यह नई चीज या ऐसे चीज जो बहुत सहूलियत देती है या ऐसे चान्सेज़ पैदा हो जायेंगे कि जिसको चाहेंगे उसको ही राइट-ऑफ कर देंगे, यह प्रश्न पैदा नहीं होता । सारी कन्डीशन्स जिस प्रकार से होंगी और कोई विशेष परिस्थिति होगी और सारी रेमेडीज़ फेल हो जाती होंगी तभी राइट-ऑफ करने का स्टैप लिया जा सकेगा ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, उप-मन्त्री महोदय ने यह एक्सप्लेनेशन तो दिया, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं एक्ट में ही इसका समावेश क्यों नहीं कर लिया गया ? आज आपका कहना कोई महत्व नहीं रखता जब कि आप एक संशोधन ला रहे हैं और उसमें इसको जोड़ रहे हैं और खाली यह कह देना कि हमारी मन्शा यह है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक्ट में जो चीजें आनी चाहिए वे इसमें आ गई और जो रूल्स के अन्दर प्रेस्क्राइब होनी चाहिये वे इसमें ही आयेंगी ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : जो आपके मन के विचार हैं उनको स्पष्ट रूप से कानून के जरिये सामने लाना चाहिए । आप सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं । ३ करोड़ का हमारे यहां का कर्जा लिया है और उस पर लीपा-पोती करना चाहते हैं । कहा जाता है कि हम नियम बनाने जा रहे है । अभी तो हमारे सामने कोई नियम नहीं हैं ।

(३.०० म० प०)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्षजी, जो नियम बनेंगे इसके पास हो जाने के बाद इसके अन्तर्गत वे नियम भी विधान सभा के आयेंगे और जो बात कही जाती है वह भी इस आधार पर कही जाती है कि जिस प्रकार की व्यवस्था आगे करना चाहते हैं तो सदन में बिला वजह जो आगे चलकर नहीं करना चाहते हैं वह नहीं कही जाती है । इसलिए नियम सदन के सामने आयेंगे, उस वक्त भी देखा जा सकता है कि जो कुछ भी कहा जाता है वह होता है कि नहीं ।

श्री दिनेशराय डांगी : यहां पर कुछ बात-चीत प्रोडक्शन के बारे में भी हुई । वाद-विवाद में ज्यादातर यह कहा गया है कि खादी ग्रामोद्योग वाले प्रोडक्शन में उन्नति तो है नहीं, इसलिए मैं जानकारी के लिए सदन के समक्ष आंकड़े रखूंगा कि सन् ५६ से ६२ तक कितनी प्रोग्रेस इसके अन्दर हुई है । खादी संस्थाओं के द्वारा १,६२ लाख की प्रोडक्शन ६३-६४ में की गई जब कि ५६-५७ में ६१ हजार का हुआ....

श्री भैरोंसिंह : यह तो कई बार सुन चुका हूं ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : बजट के आंकड़े हैं, सदन का टाइम वेस्ट कर रहे हैं ।

Page No. 90

श्री दिनेशराय डांगी : कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ ६३-६४ में जो करीब १००० के हैं उस पर १ करोड़ ६३ लाख रुपया है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : कोलेटरल सिक्योरिटी का सवाल है, इसको छोड़ दिया।

श्री दिनेशराय डांगी : एम्प्लॉइज़ जो काम करते हैं कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ और खादी संघ में ये १,१५ हजार के हैं। कुल १३६ संस्थाएं हैं। उनके व सोसाइटीज़ के अन्दर काम करते हैं। इस प्रकार दो करोड़ रुपयों के पीछे इतने वर्कर्स हमारे पास हैं जिनको काम दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह आप इसका शोषण कर रहे हैं। इनके ऊपर लेबर लॉज़ लागू नहीं हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपका यही उद्देश्य रहा है कि किसी तरह से यह करें।

एक मुफ्त स्कीम चालू की हैं, मुफ्त बुनाई स्कीम। पहले ८० परसेन्ट पेमेन्ट करते हैं और अब सेन्ट परसेन्ट पेमेंट किया जायगा। यह मुफ्त बुनाई स्कीम ६-४-६४ को लागू हुई है। उससे बुनकरों की मजदूरी बढ़ेगी। इसलिए जो माननीय सदस्य ने आब्जेक्शन उठाया है वह ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से आप विधेयक से ही सम्बन्धित रहें और विधेयक के विषय पर ही प्रकाश डालें।

श्री भैरोंसिंह : यह ट्रेनिंग पीरियड है। दा साहब भाषण देंगे।

श्री दिनेशराय डांगी: अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने खास कर एक्ट के एमेंडमेंट के सेक्शन ४ के बारे में जिक्र किया है जिसमें सदस्यों की संख्या १४ से १६ की गई है........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैं अजमेर से नहीं, नसीराबाद से आया हूँ।

श्री दिनेशराय डांगी : Sorry; नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आॅब्जेक्शन किया है कि मेम्बर्स की संख्या १४ से १६ बढ़ायी है, इसका अर्थ यह नहीं है कि जो पुराने मेम्बर्स हैं, जो आपकी नजर में बुरे हों, मैं नहीं कह सकता हूं कि किस तरह के हैं, वह कार्य से मालूम पड़ता है। जो मेम्बर्स बढ़ाये जायं वे ऐसे आदमी लिये जायं जिससे बोर्ड को नुकसान न हो। हम हमेशा इस तरह के आदमी लेने की कोशिश करेंगे जो कि विलेज इन्डस्ट्रीज़ को डेवलप करें, उसकी प्रोग्रेस को बाद में सोचें और खादी संस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा तरक्की दे सकें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कभी यह बात नहीं कहा। मैंने सिर्फ यह कहा कि काम, १४ से १६ मेम्बर्स लिये गये तो किस तरह से ठीक हो जायेगा? संख्या १८ क्यों नहीं हुई; २० क्यों नहीं हुई। इस एक्ट में जो एमेंडमेंट लाते हैं उसके जो आॅब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स हैं उनमें यह नहीं लिखा है। उसके अन्दर इसका कोई जिक्र नहीं है कि क्यों जरूरत पड़ी? आपको जरूरत पड़ी तो १४ से १६ कर रहे हैं, तो दो आदमी कौन से ऐसी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

निगाह में हैं जिनको आप उसमें लेना चाहते हैं और एक्ट में इसके लिए एमेंडमेंट क्यों करना चाहते हैं? १६ आदमी क्या करेंगे और १४ आदमी क्या नहीं कर सकते हैं ? १८ क्यों नहीं बढ़ायें जब कि गिनती बढ़ा रहे हैं तो ?

एक माननीय सदस्य : इसका कारण साफ है कि केबीनेट रिशफल होगी तो उसमें दो को ड्रॉप किया जायगा, तो उन दो को कैसे एकोमोडेट किया जाय, उसके लिए व्यवस्था की जा रही है।

श्री दिनेशराय डांगी : मुझे इतना ही कहना है कि संख्या निर्धारित करनी पड़ती है ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह हो गई थी।

श्री दिनेशराय डांगी : जहां तक १४, १६, १८ और २० की संख्या का सम्बन्ध है तो राजस्थान इतना लम्बा-चौड़ा है कि १४ आदमी काम नहीं सम्हाल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जिलों से आदमी आते हैं उनसे चुनकर लिये जाते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): तब तो २६ होनी चाहिए संख्या।

श्री दिनेशराय डांगी : अलग-अलग जिम्मेदारी डाली जा सकती है। ज्यादा हुए तो बुरा नहीं किया। हो सकता है कि एम० एल० ए० को चान्स मिले।

श्री जयनारायण सालोदिया : १४ से १६ ही क्यों करते हैं, २६ क्यों नहीं करते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं उसको साफ कर दूं कि कल यह कहा गया था कि बड़े बड़े मठाधिपति वहां बैठ गये हैं। उस पर अलग से बहस में नहीं पड़ता हूं, बल्कि इतना ही कह देना चाहता हूँ कि मठाधिपति हैं। तब भी जब फाइनेन्स की मांगों पर विचार किया जाता है तो वह फाइनेन्स कमेटी में विचार किया जाता है और फाइनेन्स कमेटी का अगर कोई सदस्य है और उस मीटिंग में उस संस्था के बारे में विचार किया जाता है जिसका उससे सम्बन्ध है किसी प्रकार का तो वह उसमें उपस्थित नहीं रहता है। तो यह जो शक किया जाता है वह इससे दूर हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): वे दूसरी बात कह रहे थे। वे तो २६ जिलों की बात कह रहे थे और आप फाइनेन्स कमेटी की बात कर रहे हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री) : यह महसूस किया गया कि बोर्ड को और स्ट्रेन्थन किया जाय और बोर्ड के भिन्न भिन्न प्रकार के जो वर्क हो रहे हैं उनमें प्रतिनिधित्व कायदे से तो नहीं है लेकिन बोर्ड में उनको रखा जाय। पंचायती राज्य में पंचायतों का कोई प्रतिनिधि बोर्ड में नहीं था जो पंचायतों के दृष्टिकोण से बोर्ड को ध्यान दिलाये। अभी एक जगह खाली हुई थी तो अभी पंचायत समिति की प्रधान बहिन चन्द्रकान्ता को लिया है। एक स्त्री भी हो इसलिए दो की संख्या बढ़ाई गई है। इसमें भी इन्डिपेन्डेन्ट लोग रहेंगे जिससे आपको

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

यह सन्तोष हो कि मठाधिपतियों की संस्था नहीं है। जिनका संस्थाओं से सम्बन्ध नहीं हैं ऐसे भी व्यक्ति हैं। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए दो स्थान और बढ़ाने की कल्पना है, उसमें एम०एल०ए० भी हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : श्री ज्वालाप्रसाद जी ने इस एमेंडमेंट के बारे में एक प्रश्न रखा था, यह ठीक है कि चर्खा संघ की लाइन पर खादी बोर्ड चलता था, लेकिन जब ए० जी० ने इसके लिए एडवाइज किया कि इसमें एमेंडमेंट किया जाय यानी फाइनेन्शियल एडवाइज़र भी रखा जाय, तो उनके चेक-अप के बाद हमने इस बात को महसूस किया कि इसमें एमेंडमेंट किया जाय, इसलिए इस संबंध में जैसा होना चाहिए था वैसा उसी सम्बन्ध में एमेंडमेंट हो रहा है।

मैं खास कर फाइनेन्शियल एडवाइज़र के पॉवर्स के बारे में कुछ बात कहूंगा। आपने प्ली इस बात का रखा कि चेयरमैन एक तरह से ट्यूटोरियल हैड रहेगा। सेक्रेटरी बोर्ड का है वे उसी आधार पर एपोइन्ट किये जा सकते हैं जिसके अन्दर फाइनेन्शियल एडवाइज़र का। दोनों के अपोइन्टमेंट के सम्बन्ध में एक ही जैसी शर्तें हैं, तो माननीय सदस्य को किसी प्रकार ऑब्जेक्शन नहीं होगा। चेयरमैन बोर्ड का जहां लिखा हुआ है तो चेयरमैन तो मिनिस्टर होगा, that includes the government. आप खुद चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से एपोइन्टमेंट होना चाहिए तो वास्तव में वह ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की तरफ से एपोइन्टमेंट होता है। उसमें वास्तव में कुछ ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए।

खादी की युटिलिटी के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, तो मैं कहना चाहता हूं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरे अर्ज करने की लैंग्वेज पर गौर करें। जब आप कहते हैं और मानते हैं कि चेयरमैन मिनिस्टर है तो वह गवर्नमेंट है तो मिनिस्टर के होने से मिनिस्टर प्रेस्क्राइब कर दें कन्डीशन। बोर्ड और चेयरमैन जहां कि एन्टी-करप्शन की एन्क्वायरी का प्रश्न आता है तब तक वह मिनिस्टर की हैसियत से बोर्ड के चेयरमैन को ऑर्डर करता है और चेयरमैन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है, इसलिए वह एक नहीं है। मेरी अर्ज यह है कि फाइनेन्शियल एडवाइज़र और सेक्रेटरी की पोस्टें बिल्कुल अलग २ हों। एक एडमिनिस्ट्रेटिव हैड है और यह हिसाब को देखने वाला है, उस हिसाब की बाद में जाकर रिपोर्ट करने वाला है। यह सेक्रेटरी के मातहत नहीं होना चाहिए। ये अन्डर रूल्स फाइनेन्शियल एडवाइज़र को पॉवर्स देने चाहिए जिससे जो पैसा खर्च करता हैं उसके बारे में सही हिसाब आये और संस्थाओं में जाकर चैक करे। उसके पीछे यह लाजिमी है कि प्रेस्क्राइब्ड रूल्स के मातहत वह स्वतन्त्र रूप से काम करे। ऐसी मेरी मान्यता थी।

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने यही बताया है कि सक्रेटरी और वह बराबर के ऑफिसर्स हैं। वह काफी काम जानने वाला आदमी होता है और ईमानदार आदमी होता है।

Page No. 93

(श्री दिनेशराय डांगी)

इस प्रकार के कोई गड़बड़-घोटाले की मैं आशा नहीं करता, इसलिये मेरे ख्याल से...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अपोइन्टमेंट्स का नहीं है, प्रेसक्राइब्ड रूल्स होने चाहिये।

श्री दिनेशराय डांगी : बाई लॉज़ बाद में बनते रहेंगे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कौन बनायेगा?

श्री दिनेशराय डांगी : बोर्ड बनायेगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह कह रहा हूं कि गवर्नमेंट के फाइनेन्शियल रूल्स के मातहत काम करना चाहिये, गवर्नमेंट के रूल्स लागू होने चाहिये ।

श्री दिनेशराय डांगी : गवर्नमेंट के रूल्स तो मानेंगे ही । स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स मानती है, इसलिये लोकल सोसाइटीज़ भी स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स मानेंगी।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : सदन में बोर्ड के प्रति आरोप लगाये हैं, जो कुछ गड़बड़, घोटाले और गबन वहां पर हैं उनको प्रोटेक्ट करने में उसका हाथ है, ऐसी हालत में फाइनेन्शियल एडवाइज़र बोर्ड की ओर से मुकर्रर होता है तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इसलिये गबन और गड़बड़-घोटाले रोकने के लिये स्वतंत्र व्यक्ति हो। उसका अपोइन्टमेंट बोर्ड के द्वारा न होकर सरकार के द्वारा हो, उस पर नियंत्रण सरकार करे। यदि ऐसा होगा तो बोर्ड के काम में गड़बड़ नहीं होगी और पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान नहीं होगा, इसलिये स्वतंत्र व्यक्ति होना जरूरी है । इस संबंध में उप-मंत्रीजी ने अपने विचार व्यक्त नहीं किये ।

श्री दिनेशराय डांगी : किस बारे में ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : फाइनेन्शियल एडवाइज़र मुकर्रर करने की व्यवस्था की जा रही है, उसकी नियुक्ति बोर्ड न करके स्टेट गवर्नमेंट करे ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वह आॅलरेडी है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहे ताकि स्वतंत्र रूप से काम कर सके, बोर्ड के मातहत न रहे ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं निवेदन करता चाहता हूं कि जब तक बोर्ड का चेयरमैन गवर्नमेंट का मिनिस्टर है तब तक इसे करने की आवश्यकता नहीं है । यह ठीक है कि मिनिस्टर चेयरमैन न हो कर नॉन ऑफिशियल होगा तब आपकी शंकाएं वाजिब हैं । अभी तो इसकी जरूरत नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि फाइनेन्शियल एड-वाइज़र को सेक्रेटरी के बराबर पॉवर्स दिये हैं । वह सेक्रेटरी का मातहत नहीं होगा, इसलिये आप जो इन्डिपेन्डेन्स चाहते हैं वह रखी गई है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : कोलेटरल सिक्योरिटी का क्या होगा ? जो संस्थाएं ऋण लेती हैं वे वापिस नहीं देती हैं तो राइट ऑफ

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

करने की नौबत आती है; इसके बजाय बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स पर जिम्मेदारी लगी रहे कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इस पर काफी सोच रहे हैं। मेम्बर्स पर, इन्डिविज्युअल्स पर रेस्पोन्सिबिलिटी डालनी चाहिये, ऐसा विचार है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में बहस के दौरान यह बताया कि जो फाइनेन्स दी जायगी, ड्यूटीज़ दी जायंगी उसके लिये लिखा है, 'as may be prescribed, जो प्रेसक्राइब्ड की जाय। उनका कहना था कि बोर्ड न करे गवर्नमेन्ट करे, तो 'as may be defined' 'प्रेसक्राइब्ड' को 'डिफाइन' किया गया है जनरल क्लॉज़ेज़ एक्ट में। 'Prescribed' means prescribed by Rules and the Rules which are framed by the Government." इसलिये जो प्रेस्क्राइब्ड की जायगी वह बाई दी गवर्नमेन्ट इटसेल्फ की जायगी। बोर्ड के चेयरमैन या और किसी के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड करने का प्रश्न नहीं रहेगा।

अब सैकन्ड बात रहती है : 'or as may be delegated to him by the Board or the 'Chairman...'

डेलीगेशन की बात नहीं आती। यदि गवर्नमेन्ट द्वारा नहीं आती तो प्रेसक्राइब्ड बाई दी गवर्नमेन्ट है। सेकन्ड में यह लगाया है कि बोर्ड जो फंक्शन्स डेलीगेट करना चाहें तो उसको कर सकेगा, यह क्लॉज़ इसलिये अलग लगाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रेस्क्राइब्ड होगा, उसके अलावा कोई बात होगी तो ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रेस्क्राइब गवर्नमेन्ट करदे, उसके ओवर एंड एबव यदि बोर्ड किसी फंक्शन को डेलीगेट करना चाहे तो उसके लिये क्लॉज़ रखा गया है। यह रखा जाय या नहीं, क्लॉज़ बाई क्लॉज़ अमेन्डमेन्ट होगा तब विचार किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : I think, we can now take it up, और कोई बात हो तो।

श्री दिनेशराय डांगी : इसके पश्चात् श्री कृष्णकुमारजी गोयल ने एडल्टरेशन के लिये काफी कहा है खास करके ऑयल और सोप के बारे में। उसके बारे में मुझे यह बताना है कि इस तरह की बोर्ड के पास शिकायत नहीं आई है, जहां के बारे में आपने रेफरेंस दिया है। फिर भी यदि आप शिकायत पेश करेंगे संस्था का नाम लिख कर तो जो कानूनी कार्यवाही होनी चाहिये उसके अनुसार एक्शन लेंगे।

सी. एम. ने जो कमेटी का एश्योरेंस दिया था वह कमेटी बनी, जिसके भैरोंसिंहजी मेम्बर हैं। कहां तक संतुष्ट है, उसके बारे में वे खुद जान सकते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : कमेटी का फोर्मेशन गजट में प्रकाशित हुआ या नहीं और उसमें क्या प्रोग्रेस हुई, उसके बारे में थोड़ा बताइये।

Page No. 95

श्री दिनेशराय डांगी : इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है कि गजट में प्रकाशित हुआ या नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सदन के सामने इस तरह की सूचना आनी चाहिये।

श्री दिनेशराय डांगी : चीफ मिनिस्टर साहब के आॅर्डर्स हुए हैं तो मान कर चलें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सी. एम. ने जो यहां घोषणा की थी उसके आधार पर यह कायम की गई है।

श्री दिनेशराय डांगी : इसके अलावा और भी कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। मुझे एक बात क्लेरिफाई करनी है, खास कर मानसिंहजी महार के बारे में। पता नहीं किसने सिखा कर भेजा, कौन से मास्टर के यहां सीखा। उनको यहां तक पता नहीं कि मैंने किस सेन्ट्रल मिनिस्टर को पार्टी दी थी। जो कुछ रिपोर्ट उन्होंने असेम्बली के सदस्य के नाते दी है, वह सही नहीं है। जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी के लीडर, कितने ही एम. एल. एज़. वहां मौजूद थे। मानसिंहजी व उनके स्वतन्त्र पार्टी के मेम्बर मौजूद थे, उनको पता नहीं कि कांग्रेस पार्टी के सेक्रेट्री वहां थे जो जिम्मेदार हैं। और भी सेन्ट्रल मिनिस्टर और स्टेट के मिनिस्टर्स थे। इतने आदमियों की बात को सुना होता तो अच्छा रहता। अदरवाइज़ इतनी झूठ बात कहना, यह प्रिविलेज़ का प्रश्न है। मैं प्रिविलेज मोशन मूव करूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने मांस और मदिरा सर्व कराई। जहां तक मांस सर्व करने का प्रश्न है, उस पर कोई बात नहीं है; वेजीटेरियन और नाॅन-वेजीटेरियन खाना होता है। लेकिन जहां तक मदिरा सर्व करने का प्रश्न है, ऐसा आरोप लगाना मेरी मानहानि है और डिफेमेशन का सवाल है, इसलिए मैं प्रिविलेज मोशन मूव करूंगा। आशा है, आप उसे स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मेरा मोशन है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत विधेयक को जनमत जानने के लिये और प्रवर समिति को सौंपने के लिये आये है, उन्हें पारित किया जाय?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दोनों मोशन्स अलग अलग हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन जनमत जानने के लिए, प्रस्तुत विधेयक में आये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति में सौंपने के लिए आये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

Page No. 96

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : प्रवर समिति के प्रस्ताव को तो शायद स्वीकार कर लेंगे, दा साहब ।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन गिर गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ से लगा कर ६ तक स्वीकार किये जायं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लेना चाहिए, अभी जैसा सम्माननीय मंत्री ने कहा है, साफ करने की और जरूरत है । जहां और लगा है, उसकी फर्दर लैंगुवेज़ साफ कर दी जाय, यह आपकी मन्शा है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मन्शा का सवाल नहीं है । अगर माननीय सदस्यों के अमेंडमेंट हों तो मेरा मतलब है कि अमेंडमेंट को लेकर बहस की जा सकती है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सरकार को ऐसी बात नजर आती है तो वे रख सकते हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : In the light of your own statement, if the Government moves an amendment is there any objection to it or you are taking advantage because no amendment has been moved. Therefore, you will look into it. आपने तब यह डाल दिया । अब यह है कि कोई अमेंडमेंट नहीं है, इसलिए एक धक्का देकर वहां डाल दिया और वहां से धक्का देकर यहां डाल दिया । आप साफ तौर से स्पष्टीकरण करें कि 'और' का मतलब यह है additional duty to that adviser..

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Sir, it will be taken clause by clause.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

अब क्लॉज़ ४ ।

(विराम)

यद्यपि अमेंडमेंट्स इसमें है नहीं परन्तु प्रश्न उठाया गया है........

श्री दिनेशराय डांगी : कौन से क्लॉज़ पर है ?

श्री उपाध्यक्ष : Whatever amendments मैं इस विवाद को उस तक सीमित रखना चाहता हूं कि जो इस संशोधन विधेयक में, 'as may be prescribed or as may be delegated to him by the Board or

(श्री उपाध्यक्ष)

the Chairman,,...इस विषय में कोई परिवर्तन करना हो तो उस विषय में बात करें ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इस सिलसिले में, उपाध्यक्ष महोदय, जो एक्स्प्लेनेशन चीफ व्हिप और उप-मन्त्री लड्ढा साहब ने दिया है, अगर वह मन्शा थी तो इसकी भाषा को उस तरह कर लिया जाय । इस भाषा में गलतफहमी रहती है कि 'or' के बाद 'as may be delegated' रहने से और उससे पहले 'प्रेस्क्राइब्ड' रहने से यह अर्थ रहता है कि यह प्रेस्क्राइब करें । 'or' की जगह अगर "and" लग जाता है तो मामला साफ हो जाता है । इसी भाषा को आप चाहते हैं तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : इस छोटे से क्लॉज़ के ऊपर माननीय सदस्यों का इतना एतराज है तो हमें इसमें एतराज नहीं है कि इससे डिलीट कर दिया जाय इन शब्दों से :

"Or as may be delegated to him by the Board or the Chairman."

These words may be deleted. We have no objection.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय उप-मन्त्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४, यथा-संशोधित, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४, यथा-संशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

खण्ड ५ और ६, प्रश्न यह है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन से ?

श्री उपाध्यक्ष : ५ और ६; ७ अलग है।

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ५ और ६ विधेयक के अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ५ और ६ विधेयक के अंग बनें ।

क्लॉज़ ७ ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) : नहीं मूव करेंगी आप ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीन) : कर रही हूं । आपने कैसे कह दिया कि नहीं कर रही हूं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या कहें संक्षेप में ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : एक मिनट । उपाध्यक्ष महोदय, मैं अमेंडमेंट रखती हूं कि, "In the proposed new section 27-A:Delete part A-"

प्रस्तावित सेक्शन २७-ए में पार्ट (ए) डिलीट किया जाय ।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

इस संशोधन के द्वारा बोर्ड को लेन–देन के अख्तयारात दिये जा रहे है; इसमें ग्रान्ट, सब्सिडी देने का सवाल है, लेकिन खादी बोर्ड को लेन–देन की क्या जरूरत पड़ती है ? मैं समझती हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि नये अख्तयारात इसको और दिलाये जायं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन पेश किया है, यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट है। यह कर्ज जिनको देंगे और किस रुपये का कर्ज देंगे–यह साफ होना चाहिए। कौन लेने वाला है और कौन देने वाला है, यह सबको मालूम होना चाहिए, और साथ ही किन शर्तों पर देंगे क्योंकि इसमें राजस्थान गवर्नमेन्ट भी शामिल है। पहले जो चल रहा था वह साफ था कि बोर्ड मैनेजमेन्ट करे रुपये का। वह साफ था, इसलिए अब भी साफ हो जाय क्योंकि इसके अन्दर लाएबिलटी राजस्थान गवर्नमेन्ट के ऊपर आती हैं, क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का, कमीशन का लोन है, वह लोन के अन्दर गारन्टी है। अब इसके जरिये जो लोन देंगे वह लोन किनको देंगे, वह साफ होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को भी लोन देने में शामिल कर रहे हैं। अब जो लोन मिलता है वह देते है तो किन संस्थाओं को देते हैं सर्टेन काम के लिए? हमें मालूम होना चाहिए कि लोन किन शर्तों के ऊपर कैसे दिया जायगा ? मैं आपको मिसाल देकर आगाह करना चाहता हूं। मठाधीशों के बारे में हमारे सम्माननीय मंत्री ने मान लिया है कि मठाधीशों को लोन ज्यादा मिलता है। अब सरकार का कायदा है कि लोन उसी को मिलेगा जो लोन वापिस देने की ताकत रखता है, जो repay कर सकता है, उसी को कमीशन से कन्डीशन्स की देख-रेख पर लोन मिलता है। आज साधारण जनता के आदमी को मकान के लिए लोन दिया जाता है तो वह भी स्टेजेज़ में दिया जाता है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इतना मकान बना लिया तभी लोन दिया जाता है। आज स्थिति इस प्रकार की है कि आज संस्थाओं के पास पैसा नहीं है। उन संस्थाओं के अन्दर करीब ३५ लाख का कर्जा है। अगर ये फीगर्स मुझे गलत दिये हों तो आप करेक्ट कर लें। लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है कि लोन वापिस दे सकें। वह पैसा उन्होंने दूसरी संस्थाओं को ट्रान्सफर कर रखा है, वहां से पैसा हटा नहीं सकते। आप इसकी जांच कीजिये। मैं दावे के साथ पांच-छः के लिए कह सकता हूं कि वे संस्थायें केवल लोन लेने के लिए खोल रखी हैं और लोन ले लिया और दूसरी संस्थाओं के नाम ट्रान्सफर कर दिया, बंगला बना लिया है, मकान खरीदा है और वह अपने नाम पर खरीदा है। अगर आप दावे के साथ कह दें कि ऐसा नहीं है तो मैं एक एक बात को सुबूत कर सकता हूँ। इसलिए लोन देने का सवाल है उसमें कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहिए जैसे इन्डस्ट्रियल लोन देते हैं, स्माल स्केल इन्डस्ट्री के लिए लोन देते हैं, और दूसरी तरह के लोन देते हैं। इसलिए इस लेन-देन के अधिकार के बारे में सारी बातें सदन में साफ होनी चाहिए।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मुझे तो संक्षेप में बोलने की आज्ञा दी थी और आप इतनी देर बोले हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने तो सपोर्ट किया है। यह बात साफ हो जाय। किसी संस्था की स्थिति ऐसी नहीं है कि इतना रुपया वे चुका सकें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): उपाध्यक्ष महोदय, लोन दें और वह वापिस नहीं आवे, यह सम्भावना है। इसलिए यह व्यवस्था होनी चाहिए कि निश्चित रूप से वापिस आ जाय। जैसे एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए रैवेन्यू डिपार्टमेंट से लोन देते हैं और डेवलपमेंट वर्क के लिए डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लोन देता है, इसकी तरह ही निश्चित सिक्योरिटी के आधार पर लोन दिया जाय। इसकी व्यवस्था अपनी ओर से कर दें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, अब तक जो प्रथा चली आ रही थी, इस आधार पर सहायता दी जा रही थी। पहले कानून बना उसमें अनुदान शब्द है, सहायता है. इनके मातहत इन्वेस्टमेंट करने के लिए रुपया दिया जाता था।

अब यह महसूस किया जाता है कि अब वह अनुदान व सेवा-भाव न रह कर लोन के रूप में दिया जावे। यह सही तरीका होगा। इसके लिये एक्ट में लोन देने का प्रोवीज़न नहीं था और अब वह अधिकार लिया जाता है कि संस्थाओं को लोन दिया जावे। इसी तरह से खादी कमीशन संस्थाओं को अलग देता है और बोर्ड के द्वारा भी देते हैं। उसको खुद, खादी कमीशन, इस बात को मानता है कि वह एक लोन दिया है। बोर्ड को लोन लेने और देने की सत्ता की जरूरत थी और वह इसमें मांगी गई है।

अब इस बात पर विचार किया जा रहा है कि जब यह किसी प्रकार का लोन है तो इस लोन की सेफ्टी किस प्रकार रहे। इस पर विचार हो रहा है और यह आवश्यक बात है। वसूली के मामलों में कई संस्थाओं की हालत चिन्ता जनक है, लेकिन इसके लिये सरकार ड्रास्टिक पॉवर्स काम में ले रही है कि यह रुपया पी. डी. आर. के मार्फत वसूल किया जावे। लोन की वसूली के लिये तो सिविल सूट करना पड़ता है, लेकिन इसमें लोन को पी. डी. आर. की मार्फत वसूल करने का प्रोवीज़न है। तो आप देखेंगे कि लोग इसके लिये चिन्तित हैं कि जो लोन दिना जावे वह सुरक्षित रहे और पी.डी. आर. से वसूल होगा। इसलिये यह सुरक्षित है। कहीं कहीं जहां हाइपोथेटिक लोन लिये जाते हैं, वे चल रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या ये लोन भी इन्डस्ट्रियल लोन की तरह से दिये जावेंगे?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : किसी भी व्यक्ति को ये लोन शादी, विवाह और मोसर के लिये नहीं दिये जावेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ये इन्डस्ट्रियल लोन की तरह से दिये जावेंगे या नहीं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): इसके लिये खादी कमीशन का एक

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पेटर्न है और सेट रूल्स हैं उनके तहत लोन दिया जावेगा। माननीय सदस्य को यह नहीं समझना चाहिये कि यह नया अधिकार ले रहे हैं। नये सिरे से कोई बात हो रही हो ऐसी बात नहीं है। अब तक सब्सिडी और लोन दोनों लेते थे। लोन का शब्द क्लॉज़ में नहीं होने से यह एड किया है।

श्री उपाध्यक्ष : Would you like to withdraw ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : I beg permission to withdraw my amendment

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्या ने जो क्लॉज़ ७ पर संशोधन रखा है उसे विद्ड्रॉ करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

विद्ड्रॉ करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक की क्लॉज़ ७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ८ प्रस्तुत विधेयक अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

क्लॉज ९

(विराम)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज ९ में अपना अमेन्डमेंट प्रस्तुत करती हूं।

In the proposed new Section 34-B, substitute the word "one" for the word "five" occuring in lines 2 and 3.

यानी इस क्लॉज़ के अनुसार बोर्ड को ५००) रु० महावार और ५ हजार रुपये सालाना तक लोसेज़ को राइट ऑफ करने का हक दिया गया है। यह इतनी बड़ी रकम को राइट ऑफ करने का हक दिया गया है यह बहुत बड़ा है? इसलिये मेरा इस अमेन्डमेंट के जरिये यह सुझाव है कि ५००) रु० की जगह १००) रु० और पांच हजार की जगह एक हजार कर दिये जावें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हर डिपार्टमेंट को राइट ऑफ करने का अधिकार है और वही अधिकार हमने वहां पर दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि..

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) यह राइट ऑफ करने के अधिकार आप क्यों देना चाहते हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): क्या गवर्नमेंट को कानून में स्टेन्डिंग पॉवर्स हैं कि पार्टी कुलरली ५००) रुपये को राइट ऑफ कर सकते हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी बात नहीं है। हमने ५००) रु० लिख दिया है तो इसको मुनासिब समझ कर ही रखा है। हमने ५००) रु० की सीमा रखी है, ५००) रु० से ज्यादा नहीं। इससे कम हो सकते हैं; ४००) रु० भी हो सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मान-नीय सदस्या ने जो क्लॉज़ ६ पर संशोधन रखा है उसे विदड्रॉ करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ प्रस्तुत विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, टाइटल, प्रीएम्बल इत्यादि प्रस्तुत विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, टाइटल, प्रीएम्बल आदि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री दिनेशराय डांगी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पास किया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री उपाध्यक्ष : I shall request the hon. Member to be brief because there is much business to be transacted.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बिल और एक बिल कल तक के लिये है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें अधिक समय नहीं लगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६४ के सम्बन्ध में कल से विचार-विमर्श चल रहा है। इस विचार-विमर्श के दौरान में मैं समझता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : फिर भी आप कुछ संक्षेप में ही कहें। सूत्रबद्ध वाक्यों में रहे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ज्यादा बोलने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि जब इतना कुछ बोलने पर भी दा साहब पर कुछ असर नहीं पड़ा तो....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दा साहब पर असर नहीं पड़ता तो अमेन्डमेंट नहीं आते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने कई बार समाचार पत्रों में समाचार पढ़े हैं कि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कुछ गृह-कलह के कारण अमुक गृहिणी ने आत्म हत्या कर ली, कुछ उसकी सासू ने उसे कह दिया तो वह कुए में जाकर गिर पड़ी। अपनी लाज बचाने के लिये चितौड़ की अनेक बालाओं ने जौहर भी कर दिया था। तो जो सुलक्षणा नारी होती है, जो चरित्रवान स्त्री होती यदि उस पर किसी प्रकार का लांछन लगाया जाता है तो वह कुए में जाकर गिर पड़ती है या आग से जलकर मर जाती है।

श्री उपाध्याय : आप कुए में पड़ कर मरना और जौहर करना बराबर समझते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वैसे ये दोनों अलग हैं। मैंने दोनों आॅल्टरनेटिव दिये हैं, दोनों में से जिसको पसन्द करें, करती हैं। किसी भी सुलक्षणा नारी पर यदि उसके चरित्र के बारे में कुछ कह दें तो वह आत्म हत्या अपने स्वाभिमानमें कर देती है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि यहां पर एक सास नहीं पति, सदन के सदस्य पति रूप हैं, वे दा साहब पर आरोप लगा रहे हैं कि चरित्र भ्रष्ट हैं, उसमें घोटाले हैं, यह घर लुटा रही है, इस घर में दूसरों का आना-जाना है, मगर उन पर कोई असर नहीं होता है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप बता दें कि किसी भी माननीय सदस्य ने यह कहा है क्या कि दा साहब ने रुपया खाया है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : ज्वाला-प्रसादजी ने कहा है।

श्री हरिभाऊ : अगर वे यह कह दें कि मैंने खाया है तो मेरा इस्तीफा मैं अभी देने को तैयार हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तेल पी लीजिये तो भी वह तो शरीर में पहुंचता है और यो लगावें तो भी शरीर में पहुंचता है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे तत्वावधान में गड़बड़ी होती है उसकी जिम्मेदारी मेरी हो सकती है, लेकिन हंसने की बात नहीं है। आपने हंस कर इशारा किया है। माननीय सदस्य नसीराबाद से आने वाले हैं उन्होंने जब मैं वित्त मंत्री था जरा सा भी आरोप मुझ पर लगाया था तो मैंने उसी दिन तुरन्त इस्तीफा दे दिया। अगर कोई आरोप मेरे प्रति लगाते हैं तो मैं उस स्टेन्डर्ड का व्यक्ति नहीं हूं। अगर मुझ पर आरोप हों तो इस्तीफा मेरा अभी लें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): अभी आज तक मैंने कोई ऐसी बात नही कही। पहले मैंने १३११)रु० के बारे में कहा था और स्वयं सुखाड़िया साहब ने उसको माना।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस तरह इशारों से रुपया लेना बड़ी बात नहीं है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यदि इशारे से रुपया लेता तो मैं खुद भी मालदार बन जाता। मैं ऐसी संस्थाओं में रहा हूं जहां मैं हजारों और लाखों रुपये पैदा कर सकता था। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई एक भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि 'दा

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

साहब' ने पैसा खाया ह । एक भी व्यक्ति यह कह दे कि दा साहब ने अनुचित रूप से पैसा कमाया तो मैं अभी अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं । मैं यह मानता हूं कि ज्वालाप्रसादजी भी कोई ऐसा आरोप नहीं लगा रहे हैं कि 'दा साहब' ने पैसा लिया । संस्था में कोई गड़बड़ी रही हो । अगर ज्वालाप्रसादजी यह आरोप लगाते हैं कि मैंने पैसा खाया है तो मैं यहीं अभी इस्तीफा देने को तैयार हूं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा आरोप था, उसका जवाब मुख्य मंत्री महोदय ने उस समय दिया था उसमें यह कहा था कि १,३३६ रुपया लेने का आरोप कोई वित्त मंत्री पर नहीं लग सकता । गांठे बंधती थीं उनके सेल्स टैक्स का मामला था, ६ लाख के स्थान पर दो लाख का एस्टीमेट कर के राजीनामा किया था । वह सेल्स टैक्स आज भी ६ लाख रुपया आता है पर दो लाख में राजीनामा किया । ६ लाख की बजाय २ लाख में कम्प्रोमाइज़ किया ।

श्री उपाध्यक्ष : विषयान्तर न जायं । This is out of point -

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Sir, this is the only point.

मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत पुरानी मिसाल है । मुख्य मन्त्रीजी ने जवाब दिया था मुझे भी याद आता है, जिस समय दा साहब वित्त मंत्री थे । १४०० रु० की रिश्वत का आरोप वित्त मंत्री के लिये नहीं लगाया जा सकता, जिस समय हमने मुख्य मंत्री का यह उत्तर सुना था तो हमने समझा कि १४०० रु० तक की रिश्वत की तो छूट है, १४०० की तो बात ही नहीं की जा सकती ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं फिर चैलेंज करता हूं कि, उस समय मेरे ऊपर रिश्वत का आरोप नहीं था । मुझ पर कोई व्यक्तिगत रिश्वत का आरोप लगाये तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरे नहीं थे, आपके जरूर थे ये शब्द ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप पर व्यक्तिगत रिश्वत का आरोप है या नहीं, आपने पैसा खाया या नहीं ....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे ऊपर अगर कोई यह आक्षेप करे तो मैं दावा करता हूं कि मैं सार्वजनिक जीवन से अलग हो जाऊंगा । मैं फिर कहता हूं कि मेरे चरित्र के सम्बन्ध में जवाब-तलब करने वाला आदमी इस विधान सभा में नहीं है । हां, काम के बारे में कहिये मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे बड़ी खुशी होगी, काम के बारे में मैं सुनता हूं और विचार करता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसा है दा साहब कि ताश खेलते हैं तो कई के पास तो रंग के पत्ते होते हैं पर किसी के पास रंग के पत्ते नहीं होते, इक्का तो दूर रहा गुलाम भी नहीं होता, तो भी समां बांध देते है कि इक्का बादशाह और सब रंग के पत्ते उनके पास हैं। आप उन ताश के खेलने वालों में से हैं कि

Page No. 104

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आप नहीं हो तो भी कह सकते हैं कि मेरे पास इक्का है, आप यह भी कह सकते हैं कि मेरे पास ६ इक्के हैं जब कि ताश में ४ ही इक्के होते हैं। आपने कहा ज्वालाप्रसादजी कह दें तो इसी वक्त इस्तीफा दे देता हूं, यह कह कर आपने उनको ठंडा कर दिया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नहीं, आपके लिए भी कहता हूं। जितना प्रेम मेरा उनके साथ में है उतना ही आपके साथ भी है, आप ही कह दीजिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यही मैं कह रहा हूं। आपने प्रेम की बात सीख ली है, प्रेम का प्रलाप करते रहते हैं, यही खादी की संस्थाओं का सत्यानाश कर रहा है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने जो आप लोगों का स्नेह कमाया है यही मेरी कमाई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने उदाहरण किया कि दा साहब कि तेल पीते हैं तो शरीर में जाता है और तेल की मालिश करते हैं तो वह तेल शरीर में जाता है। आपने जो संघ से इस्तीफा दिया तो आपने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में जिन सचिव ने गड़बड़-घोटाले किये उसका सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर आप उसके क्यों अध्यक्ष बने हुए हैं? या तो आप खड़े होकर कह दीजिए कि खादी बोर्ड में कोई गड़बड़ घोटाला नहीं, मिल का सूत नहीं मिलाया जाता, या इस्तीफा दीजिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अनियमितताओं के कारण अभी तक किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है। सवाल अनियमितताओं का नहीं, सवाल एम्बेज़लमेंट का है। बोर्ड के पदाधिकारियों ने, बोर्ड के सदस्यों ने यदि एम्बेज़लमेंट किया हो तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी मेरी है। थोड़ा इस बात का भेद रखिए कि मेरी जिम्मेदारी कहां है। मेरी नैतिक जिम्मेदारी का सवाल अगर आ जाय बोर्ड से इस्तीफा देने के सम्बन्ध में तो मैं एक मिनट की भी देरी नहीं करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और पदाधिकारियों ने गड़बड़ियां की हैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बोर्ड की इतनी ज्यादा हालत खराब हो कि मैं नहीं सम्भाल सकता होऊं तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। मैंने एक बार कह दिया, आप बार बार क्यों तशरीह करवाना चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके अन्दर में चलने वाली संस्थाओं में गबन का, मिसएप्रोप्रियेशन का केस साबित कर दूं आपके पदाधिकारी के द्वारा किये गये का, तब तो आप इस्तीफा दे देंगे? यह आपने कहा?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह नहीं कह रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यही कहा है, दा साहब बदलते नहीं हैं।

नीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वार्तालाप की क्या आवश्यकता है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :

आपने कहा कि आपके अन्दर में चलने वाली संस्था में कोई अनियमितता हो सकती है, पर यदि मिस-एप्रोप्रियेशन हो, गड़बड़ घोटाला हो, तो आप इस्तीफा देने को तैयार हैं।

मैंने हाई कोर्ट के जजमेन्ट की बात रखी थी। एक चार्ज है -

"There are ghotalas in the institution.........Secretary and Chairman of the institution have misappropriated the money of the institution."

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (जहाजाबाद) : दा साहब, अपने शब्द वापिस ले लो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब वापिस नहीं ले सकते हैं।

It follows, therefore, that item No. 3 of the chargesheet relates to the first paragraph of news letter Ex. P. 2 in which the allegation is that the complainant made an attempt to earn money improperly by mixing mill made yarn in pure khadi. So far as admixture of the mill made yarn in the khadi is concerned, it has been proved by overwhelming evidence on the record that this was so and Ram Singh also admitted that allegation to be correct. Even Mr. Datt has not denied before me that mill made yarn was surreptitiously mixed in the preparation of pure khadi. The sloe question for consideration is whether the other imputation about the attempt to misappropriate the money of the institution is correct

और हाई कोर्ट कहता है, मिसएप्रोप्रियेशन के बारे में, चिरंजीलाल चेयरमैन और रामसिंह सेक्रेटरी थे, अब सुनिये हाई कोर्ट क्या कहता है :

On that point, the learned Additional Sessions Judge has discussed the eviedence on the record and has given his reasons for holding that to a certain extent the responsibility for the misappropriation and the irregularities was that of complainant Ram Singh and it is hardly necessary to refer to the evidence on the basis of which that inference was arrived at in court below. It would be enough to mention one instance. In his own statement in the trial court, the complainant Ram Singh admitted that he had borrowed Rs. 8.915 for the Karauli Gram Seva

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Mandal and that he thereafter gave it on loan to others in his personal name as well as in the name of one Mohan Lal. The complainant also admited that he did not disclose the precise position in his report Ex. D. L. when an objection was taken by the concerned authorities. Further the complainant admitted that he did not answer the other objection that while he was collecting 12 per cent. interest himself, he was giving interest at 6 per cent to the creditors. The only justification which the complainant gave in the trial Courtfor this misconduct was that he had done also this with the consent of the depositors. This could hardly be a proper justification because when the loan had been collected for the benefit of the institution, it could not have been used otherwise even with the consent of the depositors. Moreover, in his earlier written explanation, the camplainant did not disclose that there was any such consent. This single instance is enough to justify the imputation about the misappropriation of the money belonging to the institution."

और क्या चाहिए आपको ? अब दीजिये इस्तीफा। आज एक मेम्बर बढ़ गये और फिर एक कम हो जायगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपकी जानकारी के लिए मैं निवेदन करूं कि जिस संस्था का आप जिक्र कर रहे हैं उसका सीधा सम्बन्ध कमीशन से है, बोर्ड से नहीं है। बोर्ड के मार्फत इस संस्था का काम नहीं हो रहा है। इन्क्वायरी भी कमीशन द्वारा हुई थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाउस को जब मैंने पढ़ कर सुनाया तो हाउस ने एप्री-येशट करके तालियां बजाईं। इससे साफ है। और जब आप बोलते हैं तो कोई नहीं बजाता। आप अब क्यों बदल रहे हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं बोर्ड का चेयरमैन हूं, कमीशन का चेयरमैन नहीं हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने कहा की आपकी तरफ से तालियां नहीं बजतीं तो परसरामजी ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। दा साहब ऐसा बदलना ठीक नहीं है। आप इस कैबिनेट में सबसे बुड्ढे हैं। मैं नहीं समझता कि आपको इस खादी बोर्ड से चिपकने में क्या इन्ट्रेस्ट है, चिरन्जीलाल को सेक्रेटरी बनाने में क्या इन्ट्रेस्ट है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कोई इन्ट्रेस्ट नहीं है। यह व्यक्तिगत काम की बात है, न्याय की बात है, न्याय होना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो आपके कहने की जरूरत नहीं है कि आप कितने कामी हैं, आपका काम से इन्ट्रेस्ट है, यह बात भी आज राष्ट्रदूत में आई है खादी संस्थाओं के बारे में, वहां के कार्यकर्ताओं में चरित्रहीनता फैली हुई है, व्यभिचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। रोज पढ़ते हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

स्थिति जो पैदा हो रही है, इस सारी स्थिति पर गंभीरता से विचार किया जाय। एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट इन्क्वायरी की, ४५ पेजेज़ की रिपोर्ट लिखी और आपने एक ही कलम चलाकर मामला खत्म कर दिया। यह कोई तरीका नहीं है। राजस्थान के अधिकारियों के खिलाफ इन्क्वायरी करने के लिए कमिश्नर ऑफ डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज़ हैं, आपको सारा मैटर उसको भेजना चाहिए था। आप एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट को प्रोसीक्यूशन की इजाजत दीजिए क्योंकि धारा २१ के तहत पब्लिक सर्वेन्ट्स के लिये इजाजत सरकार से लेनी पड़ती है। मामला कोर्ट में जाय, केस चलेगा, वहां से बरी हो जायं, तो हम स्वीकार करेंगे। आप प्रोसीक्यूशन से क्यों डरते हैं? कोर्ट में मामला चला जायेगा, हमेशा के लिए बात साफ हो जायगी। एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट में डेढ़ साल इन्क्वायरी चली, ५४ पेजेज़ की रिपोर्ट चली। खुद चिरंजीलाल शर्मा ने माना है, वह आपको खिलाए, आप उसको खिलाओ, हमारा कोई सरोकार नहीं; लेकिन यह जनता का पैसा है इसलिए यह सदन ताल्लुक रखता है। टैक्स पेयर का पैसा ऐसी संस्थाओं को दिया जाय और उसका दुरुपयोग हो, तो उसकी जांच होनी चाहिए।

मेरे पास तो एक बात नहीं, अनेक बातें हैं। आप कल कह रहे थे कि आप व्यक्तिगत बात कहेंगे। जिस बंगले में खादी बोर्ड का सेक्रेटरी रहता है उसमें उसको यह अधिकार नहीं था कि बिजली पानी का बिल ले लें। उसने कैसे लिया? उसका खुद का स्टेटमेंट है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : फेक्ट्स के मामले हैं, आपकी अलग जानकारी हो सकती है, लेकिन जहां तक आश्वासन का सम्बन्ध है, अगर कोई भी गड़बड़ है, गलती है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिये, कार्यवाही करनी चाहिये और उस पर अगर दण्ड लागू है तो देना चाहिए और दिया जायगा।

दूसरी बात मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यह सवाल कई दिनों से इस बोर्ड में ही नहीं सारे भारतवर्ष के बोर्डों और कमीशन में भी चल रहा है कि जो रुपयों के घोटालों की शिकायतें होती हैं इसका कोई ऐसा तरीका बना लें जैसे सब पर चेक हो जाय तो तीन महीने पहले से ही बोर्ड और कमीशन के चेयरमैन के बीच में बात-चीत चल रही है और ढेबर भाई द्वारा यह तय हो गया है कि तीन आदमियों की ऐसी कमेटी बनाई जाय जिसमें एक तो कमीशन का सदस्य रहेगा ढेबर भाई की तरफ से जिनको वह नोमीनेट करेगा, दो राजस्थान के होंगे जो इन्डिपेन्डेट होंगे, जिनका खादी संस्थाओं से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। उनमें से एक ऐसा होगा जिसको जुडीशियल अनुभव हो; जैसे रिटायर्ड जज। इस तरह से तीन आदमियों की कमेटी बनाना करीब २ तय हो चुका है, जो इन सब मामलों....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर): ऐसी कमेटी से कोई काम नहीं चलेगा। यदि करना चाहते हैं तो राजस्थान के हाई कोर्ट के किसी जज को अपोइन्ट आप कमेटी अपोइंट कर लें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उसके लिए इजाजत लेनी पड़ती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत कर सकते हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने रिटायर्ड हाईकोर्ट जज का नाम चाहा था, लेकिन जब बताया गया कि दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी तब उस नाम को छोड़ कर दूसरा नाम सोचा है, जो मैं समझता हूं आप सबको पसंद आएगा।

श्री भैरोंसिंह : किसी रिटायर्ड जज को नियुक्त करिए।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नाम है, ऐसा है कि आप भी कहेंगे कि ठीक है।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन सबसे बढ़िया रहेगा हाई कोर्ट जज को अपोइंट करना ताकि लोगों की मिसअण्डरस्टेंडिंग दूर हो जाए। इस कमेटी से क्या होगा? खादी बोर्ड की संस्थाओं में कितनी शुद्धता है, इसका पता लगना चाहिए।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसको मैं देख लूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस समय नाथद्वारा का मामला आया तो सुखाड़ियाजी ने अनाउन्स कर दिया था और उसके बाद सारा मसला चलता रहा कि यह जज हो, कौनसा जज हो। आप खड़े होकर कहिए कि मैं प्रतिष्ठित हाई कोर्ट के जज को नियुक्त कराने के लिए तैयार हूं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सवाल किसी इन्डीवीजुअल केस में जांच का नहीं है। सवाल यह है कि स्टेंडिंग मशीनरी ऐसी बना लें जिससे आए दिन के जो झगड़े होते रहते हैं, शिकायतें होती रहती हैं, वे उसीके पास जायं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी हाई कोर्ट जज की नियुक्ति के सम्बन्ध में कहा गया। हमने तो सालों पहले ओवरसीज बैंक के कमीशन का केस देखा जिसमें भंडारी को नियुक्त किया था। उस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की ओर से आपत्ति आई कि इस तरह से हाईकोर्ट जज को नियुक्त किया जाना नहीं, यह इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि एक उदाहरण हमारे सामने है और अभी उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट से चिट्ठी ... है, जहां से लिखा हुआ आया है कि इस प्रकार से ठीक नहीं है। इसलिए जस्टिस भंडारी ने भी ... लेकिन ... सरकार की तरफ से है तो ... इस समय यह ... हाई कोर्ट जज को नियुक्त किया जाय, सम्भव नहीं है।

(४०० म० प०)

श्री भैरोंसिंह : आप इतना तो कह दीजिये कि इसकी जांच के लिए हाई कोर्ट जज द्वारा जांच की जाय इसके लिए भारत सरकार को निवेदन किया जायेगा।

श्री ... : इतना कह दीजिये, उतना कह दीजिये, यह प्रश्न नहीं

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय) [illegible] है। [illegible] यह मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है इन्क्वायरी कमीशन करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, विशेष कारण है जो मैंने आपके सामने बताये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : [illegible] हाईकोर्ट के जज [illegible] की [illegible]?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एतराज नहीं है, लेकिन जो दिक्कत और परिस्थिति है वह निवेदन कर दी गयी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक बार कह दीजिये कि लिखूंगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : लिखने का प्रश्न नहीं आता है। हम सारी परिस्थितियां [illegible] के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है, अगर उसके कार्य को हम देखें तो हमारे लिये लिखने की परिस्थिति [illegible] नहीं है और लिखने से भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यहां नयी कमेटी की बात फिर चलती है। मैं यह जानना चाहूंगा, जिसकी सफाई चाहिये, कि यह जो कमेटी बनाई है उसको इन्क्वायरी ऐक्ट के तहत कब तक पावर्स दे देंगे जो कि मिनिस्टर आश्वासन दिया था?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपने शिकायत की, [illegible] यह तो उनके और आपके बीच का सवाल है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : [illegible] साल [illegible] गयी [illegible] जिनको [illegible] किये हुए [illegible] यह कमेटी [illegible] इन्क्वायरी शुरू कर देगी?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : [illegible] हमारे सारे भारतवर्ष के हर राज्य में स्थिति पैदा हो गयी है, उसके लिए यह फार्मूला बना है, उसको [illegible] मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि उस फॉर्मूले को सामने लाने दीजिये, जो शिकायतें हैं आपकी, बोर्ड या संस्थाओं में गड़बड़ियां मालूम हैं और मैं भी मानता हूं, इसीलिए कमेटी बनायी है। खादी संस्था वाले ही इसमें आ जायेंगे और पक्षपात करेंगे यह नहीं मानना चाहिये। खादी संस्था से सम्बन्धित व्यक्ति इसमें नहीं होंगे और तटस्थ व्यक्ति होंगे। खादी कमीशन का नोमिनी होगा।

श्री भैरोसिंह : जिस खादी कमीशन के लिए सेन्ट्रल अकाउन्टस कमेटी ने लिखा कि ३५ लाख रुपयों का हिसाब नहीं है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने आपको जानकारी दी है। यह रूप रेखा है और इसकी परख हो जाय। मैं सारी चीज हाउस में रख दूंगा, इतना मान कर चलिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुख्य मंत्री ने घोषणा की उसका तो विरोध नहीं है आपका?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बिल्कुल नहीं है। अगर आप अकेले भी [illegible] तो

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। मुझे सदन के हर एक सदस्य पर विश्वास है। मैं दिल से चाहता हूं कि गड़बड़ी रोकी जाय, जितनी आप चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I presume....

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): लोगों को यह शंका है कि मुख्य मंत्रीजी ने जो अश्वासन दिया उससे बैक आउट हो गये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नहीं। मेरी व्यक्तिगत राय है, आप चाहें तो उससे भी अच्छा फॉर्मुला इसमें काम में लाया जाय जिससे काफी परेशानी से बचा जा सकता है। उससे अच्छा और स्थाई फार्मुला है।

श्री भैरोंसिंह : स्थाई मत बनाइये। स्थाई रूप से गड़बड़ियां होती जावेंगी और स्थाई रूप से आयोग बिठाते जावेंगे?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप इससे अधिक अश्वासन की किसी मंत्री या चेयरमैन से उम्मीद नहीं कर सकते।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस सदन की सेंक्टिटी रहनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ये यहां पर एलान किया कि यह कमेटी काम करेगी। यह कमेटी कहती है हमें अधिकार नहीं है, हमें कोई कागजात देखने का अधिकार नहीं है। यहां पर बात उठती है तो कन्सर्न्ड मंत्री कहते हैं कि उससे अच्छी चीज दे रहे हैं और वह पॉवर मांगेगे तो अच्छी चीज़ आ जावेगी। उससे हमें कोई वास्ता नहीं। सदन में यह अन्डरटेकिंग चीफ मिनिस्टर की ओर से दी गई कि वह कमेटी काम करेगी। क्या पर्टीक्यूलर घोटालों को दूर किया? जैसे सम्मानीय सदस्य ने चार्ज लगाया, मैं उस प्रकार का लांछन नहीं लगा रहा हूं। गड़बड़ी गवर्नमेन्ट ने तो नहीं की। उन लोगों को बचाने के लिए या गवर्नमेन्ट को बचाने के लिए या संस्था को बचाने के लिए कौनसी तारीख को वह कमेटी काम कर लेगी? उस कमेटी को डिज़ोल्व कर दिया तो एलान कर दीजिये। जानकारी नहीं है तो इन्कार करिये। आप पॉवर नहीं देना चाहते तो आप कहिये पॉवर नहीं देना चाहते।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कमेटी डिज़ोल्व नहीं हुई है। कहां अटक गयी है इसको खास तौर से देख लूंगा और मुख्य मंत्रीजी ने आश्वाशन दिया वह कायम रहेगा,

श्री उपाध्यक्ष : जांच की प्रक्रिया जैसी भी हो, जांच की कार्यवाही जैसी भी हो, माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए, उसी प्रकार का कदम सरकार जरूर उठायेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। कल तक यह बहस चलेगी।

श्री राधाकृष्ण गोयल : दोनों बिल कल पूर्ण हो जावेंगे और अधिक समय नहीं लगेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दा साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष ; I think the hon. Member would not allow others to talk when he is in possession of the floor.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये दा साहब से पूछना चाहता हूं

आपको गवर्नमेन्ट पर्पज के लिए टेलीफोन करने का अधिकार है। और प्राइवेट काम के लिए टेलीफोन करे और गवर्नमैन्ट से पेमेन्ट करा लें, मिस यूज़ किया हो, मान लीजिये इस तरह की चीज़ हो जाय और उसको रिकवरी से वापिस जमा करायें तो आप मानेंगे कि करप्शन है, एन्टी-करप्शन से जांच हो और यह कहें कि ऐसा हो गया, जांच हो जाय, यह मालूम हो जाय कि प्राइवेट कॉल थी, मान लीजिये प्राइवेट कॉल हो और उसको गवर्नमेन्ट कॉल मान लिया हो और फिर मालूम हो कि उसको गलती से गवर्नमेन्ट कॉल मान लिया गया है, तो यह काबिल सज़ा तो है न ? क्या उस आदमी को सजा नहीं मिलनी चाहिये ? क्या उसने मिस यूज़ नहीं किया ? क्या उसने सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं किया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जरूर किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सजा मिलनी चाहिए न ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्या मिलनी चाहिए और क्या नहीं मिलनी चाहिये, यह अलग प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब सुनिये।

उनका अपोइन्मेन्ट हुआ खादी बोर्ड में। यह उनके बयान में है। मैं उनके बयान को पढ़ रहा हूँ। "मेरा अपोइन्टमेंट हुआ तो राज्य प्रमुख के आर्डर में मेरे फ्री अकोमोडेशन का हवाला नही था।" अब क्या हुआ, फ्री अकोमोडेशन भी रख लिया, बिजली, पानी का बिल उनको पे करना चाहिए था, पर उनको भी उन्होंने खादी बोर्ड से पेमेन्ट करा दिया। और उसके बाद जांच हुई और मामला उठा तो मामला उठने के बाद का साहब, बाद में उन्होंने क्या किया ? अपने बयान में वे कहते हैं.......

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं कहता हूं, उदाहरण जितने आप मन में आये, दें। पर मैं यह साफ कह दूं कि कोर्ट में डिफेमेशन का केश चला था, उसमें ये बरी हुए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको दा साहब, मालूम होना चाहिए, यह उनका बयान है जिसमें उन्होंने स्वयं ने एडमिशन किया है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तमाम चार्जेज़ में वे बरी हुए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको दा साहब यह मालूम नहीं है बरी वे होते हैं जो मुलजिम होते हैं। यहां तो मुलजिम सुधाकर शास्त्री थे, ये नहीं थे ; इसलिए बरी नहीं हुए वे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : डिफेमेशन केस में सुधाकर शास्त्री को डाउट के बेनिफिट का लाभ दिया गया है। उनके जो चार्जेज़ थे लोकवाणी में सेक्रेटरी के खिलाफ उन सबसे वे बरी हुए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बरी होने के बाद भी सुधाकर शास्त्री के बारे में कह सकते हैं एक्विटल तो उनका हुआ न। ये तो बरी नहीं हुए थे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : डिफेमेशन का [illegible] कि लोकहित [illegible] नहीं किया, नहीं तो उनको [illegible] सजा [illegible] मिलने [illegible] माने यह नहीं कि उनका पक्ष ठीक था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनके लिए गवर्नर का आॅर्डर हुआ, फ्री एकोमोडेशन उसमें नहीं था, पर फ्री एकोमोडेशन लिया, यही नहीं बिजली और पानी के बिल भी खादी बोर्ड से पेमेन्ट करा दिये। मामला चला और पता चला तो रुपये जमा करा दिये। यह फेक्ट है, जिसकी जांच आपको न करानी पड़े इसलिए नयात की सर्टीफाइड कॉपी में से मैंने आपको सुनाया है वह। आपने, दा साहब, कहा था कि टेलीफोन का रुपया, प्राइवेट कॉल का रुपया, सरकार के लगा दिया गया और जब मालूम पड़े तो वापिस जमा करा दिया, पर तब यह जमा कराना अपराध से मुक्त नहीं कर सकता। आपने यह माना कि आपने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं, इसलिए मैंने स्वीकार कर लिया। पर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या यह बिजली, पानी का पैसा बाद में जमा कराना अपराध नहीं है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : और यह जान बूझ कर किया या गलती से किया? कई चीजें इसमें हैं, उन सबकी गहराई में जायेंगे तो पता लगेगा। मैं भी भूलें कर सकता हूं। पर यह सब देखने के बाद ही निर्णय करना होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक आदमी कहने मर्डर कर दे या खुद कर दे, तो दा साहब, आपको मालूम होना चाहिए, दोनों अपराधी हैं। सवाल इस बात का है कि जो आफिशियल्स के उन्होंने आपकी इजाज़त से कीं। आपके कहने से कीं, आपकी स्वीकृति से कीं कहिए, नहीं कीं? आपके कहने से गलत तौर से नहीं रहे उस मकान में, आपके कहने से, आपकी परमिशन से, आपकी स्वीकृति से।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुझे याद नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं याद दिलाता हूँ आपको।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह आखिरी थर्ड रीडिंग है; फिर वही सारी बातें आप दोहरा रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं समाप्त ही कर रहा हूँ। एक सेन्टेन्स में समाप्त कर दूंगा।

श्री एक माननीय सदस्य : यह थर्ड रीडिंग है, आपने लम्बा-चौड़ा मामला बना दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं जल्दी ही एक सेन्टेन्स पढ़कर समाप्त करता हूं। पहले तो आप सो रहे थे। पहले एतराज करते।

तो सत्यवादी कहलाने वाले दा साहब, मैं आपको यह बता दूं कि यह सब कुछ आपकी इजाजत से किया गया था। आपको याद नहीं है, तो मैं आपको याद दिला देता हूं। कहते हैं ये अपने बयान में कोर्ट में कि यह जबानी चेयरमैन की इजाजत से तय हुआ था। आपकी इजाजत से, आपकी स्वीकृति से, आपसे मिलकर यह घोटाला किया गया था।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरी इजाजत से किया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी हां। आपकी स्वीकृति से, आपकी जबानी स्वीकृति से। इन सारी अनियमितताओं के लिए दा साहब आप जिम्मेदार हैं, आप खादी बोर्ड के इन्चार्ज चेयरमैन हैं, आप मिनिस्टर भी हैं इसके। खादी बोर्ड में होने वाली सारी अनियमितताओं के लिए, सारे घोटालों के लिए आप जिम्मेदार हैं, इन सबके लिए जवाबदार आप हैं, अगर आप समझते हैं तो। पर आप उन सबको, अपने मातहतों को, जो ऐसे कारनामे करते हैं, सबक देने को तैयार नहीं। आप उनके कारनामों के लिए इन्क्वायरी कराने कराने को तैयार नहीं, हाईकोर्ट के जजमेन्ट के खिलाफ अपील करने को तैयार नहीं। इसमें जो एस्पर्शन्स निकलते है उनको अमेन्ड करने को तैयार नहीं। आप उन पर केस चलाने की सैंक्शन देने को तैयार नहीं, दिल्ली चिट्ठी लिखने को तैयार नहीं कि आप नहीं तो वहां से कोई इन्क्वायेरी बिठा दे।

ज्वालाप्रसादजी ने कहा कि अपने पर एलीगेशन लगाने पर इन्क्वायरी कमेटी बिठाने की घोषणा सुखाड़ियाजी ने की। आप पर इन घोटालों का चार्ज लगाया जा रहा है, आप भी दा साहब अपने को बेदाग साबित करने के लिये कर दीजिये घोषणा इस असेम्बली में। पर आप घोषणा करने को तैयार नहीं, आप नोटिफिकेशन निकालने को तैयार नहीं। मुख्यमन्त्रीजी के कहने के बाद भी आप तैयार नहीं। जांच के मामले उन पर हैं, इन्क्वायरी के मामले उन पर हो, घोषणा वे करें, यह सारा काम सुखाड़ियाजी का। खादी के नाम पर घोटाले करें, खावें-पीवें और खिलावें, यह काम आपका है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, दा साहब थर्ड रीडिंग की बात करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं आपको खादी संस्थाओं के बारे में ज्यादा विचार करना चाहिये। पर अफसोस तो मुझे यह है कि आपने बीड़ा उठा लिया है कांग्रेस की जड़ें ही खोद कर फेंक देने का। कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने का आपने बीड़ा उठा लिया है।

कुम्भारामजी जीत कर आये तो आप आज से ही उनकी 'हां में हां' मिलाने लग गये, कहने लगे आप सलामत रहें। आप उनकी चिलम भरने लग गये। आप जानते हैं कि सुखाड़ियाजी के बाद ये ही मुख्यमन्त्री बनने वाले हैं। उनके मक्खन लगाना शुरू कर दिया। लोगों के पास गये। अन्दर ही अन्दर अब आप सुखाड़ियाजी की जड़ें काटने लगे हैं। मै इतना निवेदन करना चाहता हूं कि दा साहब, इन खादी की संस्थाओं के पीछे, जैसा नसीराबाद से आने वाले माननीय

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सदस्यों ने कहा, हिन्दुस्तान का इतिहास छिपा हुआ है। इसके साथ गरीबों को जिन्दगी का सवाल जुड़ा हुआ है। ऐसी पवित्र खादी के नाम पर आप इन घोटालों को चलने दें। इनको बन्द करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन सारी चीजों से आप अपने को अछूता साबित करना चाहते हैं, अपने को इनसे अलग करना चाहते हैं, इनको ठीक करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं तो आपको इसी समय, इसी सदन के प्रांगण में यह घोषणा कर देनी चाहिये कि खादी के सम्बन्ध में हुए सारे घोटालों के मामलों की जांच करवाऊंगा और किसी कमीशन का सवाल नहीं, किसी और से नहीं, हाईकोर्ट के जज से करवाई जावेगी। इस पर किसी को क्या आपत्ति होगी? सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भी आप यह लिख देंगे, यह कहिये। दूसरी बातें सेन्ट्रल क्या करेगी, क्या नहीं, ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं। उनमें जाने की जरूरत नहीं। आप स्वयं सीनियर मन्त्री हैं, डिप्टी लीडर हैं। सुखाड़ियाजी की अनुपस्थिति में आप ही सीनियर मिनिस्टर हैं। पर अफसोस है आपको डिप्टी मिनिस्टर साहब गाइड कर रहे हैं। आप उनके कहने में न आवें। इसलिये दा साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप अपनी बुद्धि से काम लें, लड्ढा साहब से गाइड न हों। सदन में आप खड़े होकर कह दें, आप गांधी जी के सही अनुयायी हैं, सत्य में आपकी बड़ी आस्था है, कहिये कि आप इसकी जांच करवाएंगे। आपका भी अखबारों में नाम आवेगा। किसी ने कुछ किया हो या न किया हो, आप इसकी परवाह न करें। आप शान के साथ, हिम्मत के साथ कह दें कि मैं मेरी भी जांच करवाऊंगा जैसे सुखाड़ियाजी ने कहा हिम्मत के साथ, आप भी वैसी ही हिम्मत के साथ कह दें। आप भी कम नहीं हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, डिप्टी लीडर हैं। अपना नाम पत्रों में शान से निकलवाइये। आपका नाम दिल्ली के टाइम्स ऑफ इन्डिया में निकलेगा। खड़े होकर कह दीजिये, डर किसी का नहीं है। कह दीजिये कि मैं जांच करवाऊंगा हाई कोर्ट के जज से। सदन के सदस्यों की सब शंकाओं का आप पूरा समाधान एलान कर दीजिये। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब बातों को सोचने और समझने के बाद, कल और आज की बहस के बाद निस्पक्षता से शायद इस मूड में आप आये हैं लोकतन्त्रीय पद्धति में विश्वास कायम करने के लिये सदन की मांग को, सदन के सदस्यों की भावनाओं को आदर देते हुए आप इस बात की तुरन्त घोषणा करेंगे।

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़ा होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order please order ! प्रश्न यह है कि....

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट बोलूंगा। घड़ी से आप देख लीजिये। पांच से छः मिनट नहीं लूंगा। वयोवृद्ध सर्वोदयी नेता....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !! माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। अब समय नहीं है। आपने प्रश्नोत्तर में काफी भाग ले लिया है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : सिर्फ पांच मिनट, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : क्षमा करें ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि इन घोटालों को रोकने की व्यवस्था करनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक पारित किया जावे ।

(मत-दान के पश्चात्)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Noes have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I put the question again । प्रश्न यह है प्रस्तुत विधेयक पारित किया जाय ।

(मत-दान के पश्चात्)

श्री गिरधारीलाल व्यास आदि : Ayes have it. Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Noes have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Then you want Division ?

(विभाजन घण्टी के पश्चात्)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये अनाउंस कर दें इन्क्वायरी करने के बारे में । हम विदड्रॉ कर सकते हैं । हाई कोर्ट के जज की घोषणा ये अभी करदें, हम अभी विदड्रॉ करते कोई डिवीज़न की तब जरूरत नहीं होगी ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : खादी का विरोध नहीं है, खादी बोर्ड का भी नहीं; पर गबन करने वालों के विरोधी है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिर से प्रश्न रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पारित किया जाये ?

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष वाले 'हां' की गैलरी में और 'ना' पक्ष वाले 'ना' गैलरी में जायें ।

(विभाजन के पश्चात्)

Order ! नतीजा इस प्रकार है ।

'हां' पक्ष ४८, 'ना' पक्ष २६।

'हां' पक्ष जीता ।

विधेयक पारित हुआ ।

[विभाजन सूचियों के अनुसार]

'हां' और 'ना' पक्ष के माननीय सदस्य :

हाँ पक्ष :

श्री अमृतलाल
श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
श्री भीमसेन
श्री भीमसिंह
श्री चन्दनमल वैद
श्री चतुर्भुज उपाध्याय
श्री छोटूराम

(श्री उपाध्यक्ष)
श्री दौलतराम सारण
श्री देवेन्द्रकुमार मीणा
श्री देवीलाल मीणा
श्री धर्माराम आर्य
श्री दिनेशराय डागी
श्री गणेशलाल
श्री गंगासिंह परिहार (हिंडौली)
श्री गणपतिलाल वर्मा
श्री गिरधारीलाल व्यास
श्री गोकुलचन्द
श्री गोविंदसिंह (पिड़ावा)
श्री हरिभाऊ उपाध्याय
श्री हरिराम घारू (सिवाना)
श्री हरिश्चन्द्र
श्री हरलाल
श्री जगनसिंह
श्री जेठमल बरवड़
श्री जुझारसिंह
श्री ज्वालाप्रसाद
श्रीमती कमला बेनीवाल
श्री कानाभाई नुवाल
श्री केशरीसिंह जोजावर
श्री किशनसिंह बाटड़
श्री मजलिस खां
श्री मनफूलसिंह
श्री मोहनराज
श्री नाथूराम (बागीडोरा)
श्रीमती निर्मलादेवी
श्री परसराम मदेरणा
श्री फूलचन्द जैन
डा० पोहूमल ईसरदास
श्रीमती प्रभा मिश्रा
श्री रघुनाथ विश्नोई
श्री रामचन्द्र
श्री रामप्रसाद लड्ढा
श्री रावतराम
श्री रूपाराम पंवार
श्री सांवलिया राम
श्री शंकरलाल जाट
श्री कुम्भाराम आर्य
श्री स्वरूपनारायण पुरोहित

"ना" पक्ष

श्री ए० जब्बार
श्री भैरोंसिंह शेखावत
श्री चौथमल वर्मा
श्री डूंगाराम राजोरिया
श्री फतेहसिंह
श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल)
वैद्य श्री गोविंदसहाय
श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)
श्री जयनारायण सालोदिया
ठाकुर श्री जीवराजसिंह
श्री कृष्णकुमार गोयल
श्री लक्ष्मीचन्द
राजा श्री मानसिंह (डीग)
श्री मावा
श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
श्री मुरलीधर व्यास
मास्टर श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़)

Page No. 117

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री राधाकृष्ण गोयल
श्री रामसिंह
श्री सम्पतिलाल बोहरा
श्री श्रवणलाल
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
श्री उदयलाल वर्दिया
रावत श्री उम्मेदसिंह
श्री उमरावसिंह ढाबरिया
श्री विठ्ठल]

राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली, विधेयक, १९६४

(विचार-विमर्श)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, राजस्थान पब्लिक प्रेमिसेज़ (एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज़्ड ऑक्यूमेन्ट्स) बिल, १९६४ ।

(विचार-विमर्श)

श्री परसराम मदेरणा : (उप-मंत्री, सामान्य प्रशान): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थानि पब्लिक प्रेमिसेज़ (एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज़्ड ऑक्युपेन्ट्स) बिल, १९६४, को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव तो पेश कर देता हूं मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रति-वेदित राजस्थान पब्लिक प्रेमिसेज़ (एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज़्ड अक्यूपेन्ट्स) बिल, १९६४, को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय !

श्री उपाध्यक्ष : If you move the motion, then you will have to speak to day.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कल के लिए रख दें ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप यह मानते हैं कि आपका प्रस्ताव अभी नहीं आया है और आप कल प्रस्ताव रखेंगे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Even if the motion is moved it does not make any difference. I can speak tomorrow.

श्री उपाध्यक्ष : Anybody else Shri Durgalal Bardar

(अनुपस्थित)

Shri Ramanand Agarwal.

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आज एडजोर्न कर दिया जाय । मैं चीफ व्हिप ऑफ दी पार्टी से निवेदन करूंगा कि कल एक बिल है केवल । उस पर विचार करके पारित कर देंगे ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन शर्त एक ही है कि जो कल का एजेण्डा है वह कल समय पर पूरा हो जाय । इस बात के लिए सभी सहयोग देंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You can rest assured that our cooperation will be with you.

Page No. 118

श्री उपाध्यक्ष : The co-operation from opposition is recorded.

मै समझता हूं कि सभी की यह मान्यता है कि अब सदन की बैठक स्थगित की जाय।

(सब ओर से 'हां' की आवाजें)

सदन की बैठक कल दिनांक २१ अक्टूबर के ११ बजे तक स्थगित की जाती है। तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. ४ बजकर ३५ मिनट पर दिनांक २१ अक्टूबर, १९६४ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

परिशिष्ट १

(समय-भाव के कारण जो प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

लक्ष्मणगढ़–मंडावर वाया गाढ़ी सवाई-राम सड़क पर डामर

४७६. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि लक्ष्मणगढ़–मन्डावर वाया गाढ़ी सवाई रामसड़क बन चुकी है ? अगर हां, तो किस तारीख को काम पूरा हुआ ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस पर अभी तक डामर डालना शुरू नहीं हुआ है ? अगर हां, तो क्यों तथा कब तक यह कार्य शुरू होगा ?

उत्तर

(१) लक्ष्मनगढ़ से गढ़ी रोड़ का कार्य दिनांक १०–३–६४ को पूर्ण हो चुका है तथा माचेरी से मन्डावर रोड़ का कार्य २ फलांग के काम को छोड़ कर पूर्ण हो चुका है ।

(२) जी हां; यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है । अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

चकबन्दी कार्य–कस्बा बामनवास

४८०. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कस्बा बामनवास, जिला-सवाई माधोपुर में चकबन्दी का कार्य कब से प्रारंभ हुआ था ?

(२) क्या यह सही है कि चकबन्दी का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ एवं अभी तक पास बुक तक काश्तकारों को नहीं मिली जिससे कि वहां के काश्तकारों में एक गहरा असन्तोष व्याप्त होता जा रहा है ?

(३) क्या कस्बे का चकबन्दी का कार्य इतने लम्बे समय से पिछड़ा होने का क्य कारण है ?

उत्तर

(१) कस्बा बामनवास में दो पट्टियां है। बामन वास कलां व खुर्द। बामनवास खुर्द में चकबन्दी का काम दिनांक २३.१०.६१ से और बामनसर कलां में भूमि एकीकरण का काम दिनांक १.११,६१ से आरम्भ हुआ था।

(२) बामनउास कलां का चकबन्दी का कार्य सम्पूर्ण हो कर पास बुकें काश्तकारों को दी जा चुकी हैं। बामनवास खुर्द की पास बुकें तैयर की जा चुकी है और बहुत जल्द तकसीम की जावेंगी। जिसके काश्तकारों की दिक्कतें रफा हो जावेगी।

(३) यहां कार्य ६२-६३ में शुरू किया गया था और अब सिर्फ पट्टी बामनवास खुर्द में कुछ काम बाकी है जो भी बहुत जल्द खत्म किया जायगा।

भखरा नांगल बिजली की दरें

४८१. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भाखरा नांगल से राज्य सरकार को किस रेट पर बिजली मिलती है तथा इसको पैदा करने के प्रति यूनिट खर्च कितना पड़ता है ?

(२) क्या राज्य सरकार ने कभी यह आश्वासन दिया था कि भाखरा से बिजली मिलने पर रेट कम कर दिये जायेंगे ? यदि हां, तो रेट बढ़े या कम हुए ?

उत्तर

(१) भाखरा नांगल से राज्य सरकार को निम्नलिखित दर पर बिजली मिलती है:—
डिमान्ड चार्ज ५) प्रति के० वी० ए० प्रतिमास इसके अतिरिक्त विद्युत् शुल्क निम्न है ;

प्रथम ५,००,००० युनिट प्रतिमाह के लिए २.६० पैसे प्रति युनिट।
तदुपरान्त १५,००,००० युनिट प्रतिमाह के लिये २.७५ पैसे प्रति युनिट।

२०,००,००० युनिट के उपरांत के समस्त युनिट प्रति माह के लिए २.६० पैसे प्रति युनिट– बशर्ते सब मिलाकर ५ पैसे प्रति के० डब्ल्यु० एच० से अधिक न हो।

प्राप्त सूचना के अनुसार भाखरा व्यसबार पर प्रति युनिट उत्पादन खर्चा ३.१० पाइयां हैं।

(२) जी हां, बिजली की दरों को कम करने का आश्वासन था परन्तु वह टेरिफ कमेटी की राय से ही किया जा सकता था। टेरिफ कमेटी ने सब जगहों की दरों पर विचार किया, जिसके फलस्वरूप कुछ जगह की दरें कम की गईं व कहीं बढ़ाई गईं।

पाली जिले का जियोलोजिकल सर्वे

४८२. श्री मोहनराज (बाली) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पाली जिले में स्थित अरावली की पहाड़ियों में खनिज पदार्थों की बहुलता है ?

(२) क्या इस दृष्टि से पाली जिले का जियोलोजिकल सर्वे करवाया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है।

उत्तर

(१) जी हां।

(२) पाली जिले के कुछ भागों में जियोलोजिकल सर्वे किया गया है और कुछ भागों में किया जा रहा है।

मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय, सांचोर में मुकदमों की संख्या

४८३. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय, सांचोर में अब कितने मुकदमात जेर तजवीज़ है ; उनमें से कितने फौजदारी व कितने दीवानी हैं ?

(२) फौजदारी मुकदमात उपरोक्त न्यायालय में कितने सालों से पेंडिंग हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) फौजदारी मुकदमात शीघ्र फैसल न होने के क्या क्या कारण हैं ? अब उनके कब तक फैसल होने की सम्भावना है ?

(४) उपरोक्त न्यायालय में मुकदमात दीवानी या फौजदारी दायर होने की मासिक औसत पिछले तीन सालों में क्या रही है व फैसलों की मासिक औसत क्या रही है ?

उत्तर

(१) दिनांक १-७-६४ को मुंसिफ मजिस्ट्रेट सांचोर की अदालत में निम्नलिखित पेन्डिग मुकदमे थे :—

दीवानी		फौजदारी	
सिविल ओरीजिनल	६८	ओरीजिनल मुकदमे	१५८
एस० सी० सी० सूट्स	२	फौजदारी मिसलेनियस केसेज़	
एग्ज़ीक्यूशन मुकदमे	३०४		७१
सिविल मिस्लेनियस मुकदमे	२१		
योग	४२५		२२६

(२) फौजदारी मुकदमों की स्थिति इस प्रकार है :

एक वर्ष से कम		एक वर्ष से अधिक	
फौजदारी (क्रिमिनल ओरीजिनल)	७०	फौजदारी (क्रिमिनल ओरीजिनल)	८८
क्रिमिनल मिस्लेनियस	६५	क्रिमिनल मिस्लेनियस	६
	१३५		९४

(३) फौजदारी मुकदमो के फैसलों में कोई अधिक समय नहीं लगा है। कोई भी ३ वर्ष से अधिक पुराना मुकदमा नहीं है। करीब ६० प्रतिशत मुकदमे एक वर्ष से कम के पेंडिंग हैं। पृथक्करण के समय कुछ पुराने मुकदमे एग्ज़ीक्युटिव मजिस्ट्रेट्स के यहां से आये थे। प्रत्येक सम्भव प्रयास इन्हें जल्द तय किए जाने सम्बन्धी किए जा रहे हैं। इस एरियर को जल्दी निपटाने के लिये एक आर० जे० एस० अधिकारी को वहां लगाया गया है।

(४) पिछले तीन वर्षों में सिविल केसेज़ के दायर होने की मासिक औसत १२ तथा डिस्पोज़ल का मासिक औसत १३ है। दिनांक १-६-६२ से ही क्रिमिनल पॉवर्स दी गई हैं अतः पिछले २ वर्षों का औसत उपलब्ध नहीं है। सन् १९६३ में क्रिमिनल मुकदमो के दायर का मासिक औसत १३ तथा डिस्पोज़ल का मासिक औसत १५ था।

चित्तौड़गढ़-कपासन सड़क

४८४. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या चित्तौड़गढ़ से कपासन जाने वाली सड़क पूरी तैयार हो चुकी है? अगर नहीं, तो कितने मील तक तैयार हुई है?

(२) क्या यह सही है कि अजमेर से खण्डवा रेल्वे लाइन को यह सड़क क्रोस करती है और दोनों ओर सड़क बन जाने पर भी रेल्वे लाइन को पार करने का प्रबन्ध अभी तक नहीं हुआ है? अगर हां, तो कब तक होने की सम्भावना है?

उत्तर

(१) जी हां, केवल ३-४ मील टुकड़े को छोड़कर सड़क पूर्ण हो चुकी है।

(२) जी हां। यह काम रेल्वे द्वारा किया जायेगा और इस सिलसिले में कार्यवाही चालू है।

रिटायर्ड व्यक्तियों की नियुक्तियां

४८५. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि केवल टैक्नीकल पोस्ट को छोड़ कर किसी प्रशासनिय स्थान पर किसी रिटायर्ड व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जावे ?

(२) यदि हां, तो क्या जो व्यक्ति वर्त्तमान परिस्थितियों में ऐसे पदों पर कार्य कर रहे हैं उनका आगे समय नहीं बढ़ाया जावेगा ?

(३) क्या यह निर्णय पब्लिक एन्टरप्राइज़ेज़ अथवा कार्पोरेशन्स में भी लागू किया जा रहा है ?

(४) वर्त्तमान में किन किन एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पर रिटायर्ड अधिकारी लगे हुए हैं एवं उन्हें क्या वेतन मिलता है ? यदि वेतन के अतिरिक्त पेंशन भी मिलती है, तो उसकी राशि भी बताई जाय ?

(५) क्या पब्लिक एन्टरप्राइज़ एवं कारपोरेशन में रिटायर्ड अधिकारियों की नियुक्ति पर वेतन राजस्थान सर्विस रूल्स के अनुसार तय किया जाता है ?

(६) यदि हां, तो वर्त्तमान मैनेजिंग डाइरेक्टर, राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन को कितना वेतन मिलता है और वह किन आधारों पर तय किया गया है ?

उत्तर

(१) नहीं। साधारणतया ऐसा नहीं करने का निर्णय सन् १९५८ में लिया गया था।

(२) नहीं। पुनर्नियुक्ति का अधिकतम समय साधारणतया ३ साल है। प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख निर्धारित सीमा तक समय बढ़ाया जा सकता है।

(३) नहीं।

(४) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) नहीं।

(६) प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट

सूची

LIST OF RE-EMPLOYED PERSONNELS ON ADMINIS-TRATIVE POSTS.

S. No.	Name	Post held.	Pay	Pension
		EDUCTAION DEPARTMENT.		
1.	Shri J. S. Jaiman.	Principal, Degree College.	400.95	153.50.
		MEDICAL DEPARTMENT.		
1.	Dr. B. N. Sharma.	Principal, R.N.T. Medical College, Controller of Associated Group of Hospitals & Director, Surgery I/C Mobile Surgical Unit.	1258.70 200.00 S. P.	285/—
2.	Dr. R. M. Kasliwal.	Principal, S.M.S. Medical Cotlege & Controller, Atached Hoapitals.	600/- 400/-Spl.pay.	Pension case not yet decided.
3.	Dr. L. R. Sarin.	Addl. Principal. S.M.S. Medical College.	659.42 350.00 Spl. pay.	420.80

ग्राम पोलाई खुर्द व गुमानपुरा में लगान की वसूली

४८६. कुंवर श्रीमहेन्द्रसिंह (दीगोद) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पोलाई खुर्द व गुमानपुरा, तहसील दीगोद, जिला कोटा में तहसील दीगोद द्वारा उक्त ग्रामवासियों से दस आने स्यालू व ५ आने उन्हालू लगान वसूल किया जाता है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त तहसील के बाकी समस्त ग्रामों में ६ आने स्यालू १० आने उन्हालू में लिया जाता है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम में स्यालू की फसल नाम मात्र की होती है और उन्हालू अधिक ? यदि हां, तो दूसरे ग्रामों की भांति ६ आने स्यालू व १० आने उन्हालू की फसल में लगान क्यों नहीं लिया जाता ?

उत्तर

(१) जी हां, पोलाई खुर्द व गुमानपुरा, तहसील दीगोद जिला कोटा के काश्तकारों से लगान किश्त स्यालू दस आना और किश्त उन्हालू ६ आना वसूल किया जाता है ।

(२) तहसील दीगोद में कुछ गांवों में लगान स्यालू का आठ आना और उन्हालू आठ आना की किश्तों में वसूल होता है और अधिकांश ग्रामों में स्यालू ६ आना और उन्हालू में दस आना के हिसाब से वसूल होता है । पोलाई खुर्द व गुमानपुरा में जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है स्यालू में दस आना और उन्हालू में छः आना वसूल होता है ।

(३) सारी तहसील में स्यालू के मुकाबले में उन्हालू की फसल ज्यादा होती है । मौजूदा वसूली पुराने अमल के मुताबिक की जा रही है । इसमें परिवर्तन विचाराधीन है ।

अकाल राहत कार्य और न्यूनतम वेतन

४८७. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राज्य सरकार ने अकाल राहत में कार्य करने वाले मजदूर को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (मिनिमम वेजेज़ एक्ट) के प्रावधानों से एग्जेम्पट करने का कोई नोटिफिकेशन राजपत्र में प्रकाशित किया है ? यदि हां, तो किस तारीख को ? नोटिफिकेशन की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) उक्त नोटिफिकेशन कितने अर्से तक लागू रहेगा ।

(३) उक्त नोटिफिकेशन के निकलने के पूर्व सड़क निर्माण कार्य पर लग रहे अकाल मजदूरों की प्रतिदिन पुरुष, स्त्री व बच्चों को कितनी मजदूरी अकाल विभाग द्वारा दी गई ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत सड़क निर्माण कार्य पर लगे हुए मजदूरों के लिए निर्धारित मजदूरी से कम थी ? यदि हां, तो श्रम विभाग ने अकाल मजदूरों के कानूनों के अनुसार २६ अप्रेल, ६४ तक की मजदूरी दिलवाने के लिए अब तक क्या व्यवस्था की है ?

(५) क्या यह सही है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित मजदूरी न देना अधिनियम के तहत जुर्म है ? यदि हां, तो उक्त प्रावधानों के तहत फेमीन रिलीफ कमिश्नर के विरुद्ध श्रम विभाग द्वारा आज तक कार्यवाही न किये जाने पर क्या कारण है ?

उत्तर

(१) दिनांक १३-४-६४ को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित किया जा चुका है। प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत की जा चुकी है।

(२) राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित होने से १ वर्ष की अवधि तक लागू रखने का आदेश दिया गया है।

(३) उक्त नोटिफीकेशन के जारी होने के पूर्व अकाल विभाग द्वारा प्रत्येक पुरुष को १) रु० १२ पैसे, प्रत्येक स्त्री को १) रु० तथा प्रत्येक बच्चे को ७५ पैसे मजदूरी दी जाती थी।

(४) जी, यह सही है। सरकार ने ६ जुलाई, ६४ को राजस्थान राजपत्र विशेषांक पार्ट ४ (ख) में एक ऑर्डिनेन्स अकाल सहायता कार्य कर्मचारी (श्रमिक विधियों से मुक्त) जारी करके अकाल सहायता से सम्बन्धित सभी कार्यों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को मिनिमम वेजेज़ एक्ट, १६४८ की धाराओं से दिनांक १ जुलाई, १६६३ से मुक्त कर दिया है।

(६) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चम्बल प्रोजक्ट क्षेत्र में मंडियों का

निर्माण

४८८. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चम्बल प्रोजेक्ट क्षेत्र में मंडियों का निर्माण किया जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा कर लिया गया है ?

(२) यदि हां, तो बूंदी जिले में किन किन स्थानों पर मण्डी बनाने की योजना सरकार के सामने विचाराधीन है ?

(३) केशवरायपाटन तहसील में मंडी बनाने का कार्य कब से चालू करने का प्रावधान था ?

(४) सरकार इस क्षेत्र में मंडियां कब प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

उत्तर

१—जी हां।

२—बूंदी जिले में बूंदी, बूंदी रोड, लबान कापटैन, एवं तालेड़ा की मण्डी क्षेत्र घोषित किया गया था, परन्तु प्लानिंग व डेवलपमैण्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपनी बैठक में यह तय किया है कि तालेड़ा में मन्डी कायम न की जावे तथा बूंदी को चम्बल कमान्ड से अलग कर दिया जाय।

३—केशवरायपाटन, जिसे बूंदी रोड भी कहते हैं, को मण्डी क्षेत्र घोषित किया गया है। वहां मण्डी के लिए सर्वे हो गया है; इसमें कार्य चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्त में या पंचम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में करने का विचार है।

४—प्रथम स्टेज में राज्य सरकार द्वारा कोटा व बारा मण्डी ली हैं। इनके उपरान्त अन्य मन्डियां क्रम से विकसित की जावेंगी।

फैलीकापुरा-कोटरी सड़क की मरम्मत

४८६ श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि फैलीकापुरा से कोटरी तक जो सड़क गई है वह बहुत खराब हालत में है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस रोड से सरकार को बहुत बड़ी आमदनी है और सैंकड़ों ट्रक पत्थर के रोजाना आते जाते हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि बरसात में इस रोड के खराब रहने के कारण लाखों रुपयों का धन्धा बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो, सरकार ऐसी हालत में इस रोड पर कब तक डामर कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(३) अधिक वर्षा के समय को छोड़कर आवागमन चालू ही रहता है। डामर कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

उदयपुर–भीलवाड़ा वाया नाथद्वारा रूट के परमिट

४६०. **श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा):** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) उदयपुर से भीलवाड़ा वाया नाथद्वारा कितने परमिट तथा इसी तरह उदयपुर से रतनपुर कितने परमिट किस किस को मिले हुए हैं ? इन दोनों की अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) परमिट किस तारीख को मिले, कितने समय के लिये तथा कब रिन्यु हुए ? तारीख मय सूची दीजिये।

(३) क्या उदयपुर से भीलवाड़ा वाया नाथद्वारा पर पहले आर० जे० वाई० ११६६ चली थी ? यदि हां, तो इसका मालिक कौन था तथा किस नं० के परमिट पर चली तथा वह परमिट किसको मिला हुआ था ? यह गाड़ी अब कहां है तथा किस रूट पर किसके परमिट पर चल रही है तथा क्या इसका टैक्स सारा जमा हो चुका था ?

(४) क्या यह सही है कि आर०जे०वाई० ११६६ की जगह आर० जे०वाई० १७३६ रिप्लेस की गई ? यदि हां, तो किसने कि व इसका मालिक कौन है ? गाड़ी कहां चलती थी तथा इस रूट पर कितने दिन चली ? क्या यह गाड़ी उदयपुर से रतनपुर रूट पर भी चली ? यदि हां, तो किस समय तथा किसने किसके परमिट पर चलाई एवं जब यह गाड़ी रतनपुर रूट पर चली गई तो भीलवाड़ा रूट पर कौनसी गाड़ी चली ?

(५) क्या यह सही है कि यदि रूट पर गाड़ी नहीं चलाई जाये तो परमिट कैन्सिल हो जाता है ? यदि हां, तो कितने दिन तक गाड़ी नहीं चलने पर परमिट कैन्सिल होता है ?

(६) क्या जुलाई, १९६४ में आर० टी० ए० की उदयपुर में बैठक हुई ? यदि हां, तो इन दोनों रूट के कौन कौन से परमिट रिन्यू हुए ? सूची दीजिये ।

उत्तर

१. उदयपुर से भीलवाड़ा वाया नाथद्वारा कुल ३३ परमिट हैं; व उदयपुर से रतनपुर कुल ८ परमिट है पूर्ण विवरण सहित दोनों की सूची संलग्न है ।

२. इसकी सूची पूर्ण विवरण सहित उत्तर १ में बताये अनुसार संलग्न है ।

३. (क) जी नहीं । ११६६ नहीं चली । (ख) प्रश्न नहीं उठता (ग) यह गाड़ी उदयपुर में है और अभी उदयपुर रिखबदेव वाया कल्याणपुर रूट पर बसन्तकुमार के नाम जारी है । (घ) इसका टैक्स सारा जमा हो चुका, परन्तु १९६३ का व १९६४ फर्स्ट क्वार्टर का केवल डिफरेन्स टैक्स बढ़ जाने से बाकी है ।

४. (क) जी हां । (ख) रीप्लेसमेंट बसन्तकुमार ने करवाई और वही इसका मालिक है । (ग) इस गाड़ी का उदयपुर भीलवाड़ा वाया नाथद्वारा रूट पर इसका परमिट था, परन्तु उदयपुर रतनपुर पर रीप्लेस हो जाने से उदयपुर रतनपुर रूट पर चली । (घ) जी हां । यह गाड़ी ता० ४-५-६१ से उदयपुर रतनपुर रूट पर बसन्तकुमार के नाम पर चली । (ङ) इसका रीप्लेसमेंट उदयपुर रतनपुर रूट पर होने से उदयपुर भीलवाड़ा पर इसकी जगह कोई गाड़ी नहीं चली ।

५. (क) धारा ६० के सब क्लॉज़ (३) के अन्तर्गत आर. टी. ए. पर निर्भर है कि वही कैन्सिल करे या केस कम्पाउन्ड कर दे । (ख) कैन्सिल होना जरुरी नहीं ।

६. (क) हां । (ख) सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उदयपुर–मुगाना–पारसोला बस सर्विस की मांग

५११. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर से कोई भी बस सर्विस ग्राम मुगाना व पारसोला तहसील लसाड़िया के ग्रामों में जो अच्छी व्यापारी मण्डियां हैं और जिनके पास ग्यारह विकास पंचायतें हैं और लगभग पच्चीस हजार जनसंख्या वाले लगभग ५०-६० गांव हैं, नहीं जाती है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उदयपुर से धरियावद के लिए प्रतिदिन तीन बसें आती है और तीन बसें जाती है ?

(३) क्या पारसोला के व उसके आस-पास के गांव के लोगों ने निरन्तर जिलाधीश, उदयपुर को यह प्रार्थना की है कि धरियावद रात्रि विश्राम करने वाली एक बस प्रतिदिन पारसोला विश्राम करने का आदेश कराया जावे ?

(४) क्या यह सही है कि अब तक इसके लिए कोई आदेश नहीं हुए हैं ?

उत्तर

१. यह सही है कि उदयपुर से सीधी बस पारसोला तक नहीं है।
२. जी हां। यह सही है।

३. जी हां। ऐसा एक प्रार्थनापत्र कलेक्टरी उदयपुर द्वारा प्राप्त हुआ है।

४. जी हां, उचित कार्यवाही की जा रही है।

तहसील हैडक्वार्टर महुआ में बिजली

४९२. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि भरतपुर से छोकरवाड़े व बाछरन तक बिजली जा पहुंची है ?

(२) क्या यह भी है कि महुआ छोकरवाड़ा ८ मील दूरी पर है ?

(३) क्या यह भी सच है कि टोडाभीम में एक नया पॉवर हाउस बन गया है और बिजली सप्लाई कर रहा है ? यदि हां, तो महुआ तहसील का एक हैड क्वार्टर होये हुए भी बिजली नहीं पहुंच रही है ?

(४) क्या यह भी सच है कि महुआ जयपुर से भरतपुर व यू० पी० जाने वाली तथा मण्डावर से करौली जाने वाली सड़कों का मुख्य केन्द्र है ?

(५) यदि हां, तो सरकार यहां पर कब तक बिजली पहुंचा रही है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) मार्च १९६५ तक।

गोविन्दगढ़-रामगढ़ सड़क

४५३. श्री नत्थी सिंह (गोविन्दगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गोविन्दगढ़ से रामगढ़ (अलवर) सड़क बनाने की मंजूरी हो चुकी है ?

(२) अगर हां, तो क्या इस पर कार्य चालू हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं। अर्थाभाव के कारण।

उद्योग के लिये इम्पोर्टेड स्टील का कोटा

४६४. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राज्य के उद्योगों के लिए इम्पोर्टेड स्टील की सीलिंग ३० लाख रुपयों की थी जो घटा कर अब १० लाख कर दी गई है ?

(२) यदि हां, तो क्या इससे राज्य के उद्योगों को भारी हानि नहीं पहुंचेगी ?

(३) यदि हां, तो फिर ऐसा क्यों किया गया ?

उत्तर

(१) जी नहीं। प्रारम्भिक पीरियड अक्टूबर ६०–मार्च ६१ में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को इम्पोर्टेड स्टील के लिये १६ लाख की सीलिंग दी गई थी, ३० लाख की नहीं; जो कि अब घट कर १०.८६ लाख कर दी गई है जैसा कि निम्नलिखित से विदित है :—

(१) अप्रेल–सितम्बर, ६१	६.४२ लाख
(२) अक्टूबर–मार्च, ६२	१३.५६ लाख
(३) अप्रेल–सितम्बर, ६२	१३.८६ लाख
(४) अक्टूबर–मार्च, ६३	१३.८६ लाख
(५) अप्रेल–सितम्बर, ६३	१०.८६ लाख
(६) अक्टूबर–मार्च, ६४	१०.८६ लाख

(२) जी हां, इससे राज्य के उद्योगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

(३) सीलिंग का एलॉटमेन्ट भारत सरकार द्वारा किया जाता है जो कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण किया गया है।

ग्राम कटारा में मिडिल स्कूल

४६५. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम कटार बड़ गांव ब्लॉक उदयपुर में ८०० के करीब जन संख्या होते हुए भी उसके आसपास के ६ मील के एरिया में कोई मिडिल स्कूल नहीं है और कटार में प्राईमरी स्कूल है ?

(२) क्या मिडिल स्कूल के निमित्त ग्रामवासियों ने १५००) रु. बडगांव पंचायत समिति में जमा करवा दिया है ?

(३) क्या कटार में वहां के पुराने महल की बिल्डिंग खाली पड़ी है और वहां स्कूल चल सकता है ?

(४) क्या नियमानुसार कटार में मिडिल स्कूल नहीं खोला जा सकता ?

(५) क्या यह बात सरकार के ध्यान में है कि उस क्षेत्र में घने जंगलों के कारण बच्चों का पढ़ने के लिये अधिक दूर जाना सम्भव नहीं ?

(६) क्या सरकार कटार में शीघ्र ही मिडिल स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

१ यह सत्य नहीं है। ग्राम कटार में करीब ३ मील की दूरी पर ग्राम वाटी में राजकीय माध्यमिक शाला है। कटार की जन संख्या ८०० है और वहां प्राथमिक शाला भी है।

२ ग्रामवासियों ने १५-८-६२ एवं २२-५-६२ को क्रमश : २३०४) रु० एवं २००) रु० की धनराशि पंचायत समिति बढ़गांव में जमा कराई थी परन्तु यह राशि पुन : निकलवाई जा चुकी है।

३ यह सत्य नहीं है। कटार में पुराना महल है उसमें इस समय पटवारी का निवास है एवं अन्य कमरों में माइन्स और जूलॉजी की एक्सप्लोरेशन पार्टी ठहरी हुई है।

४ विभागीय नियमानुसार कटार में माध्यमिक शाला नहीं खोली जा सकती है। क्योंकि प्राथमिक शाला की छात्र संख्या ८३ व कक्षा ५ में संख्या है जो माध्यमिक शाला खोले जाने के लिये काफी नहीं है व वहां का भवन भी माध्यमिक शाला के उपयुक्त नहीं है और वहां की जनता भी शाला के लिये ३ वर्ष का रेकरिंग व नान-रेकरिंग व्यय देने को तैयार नहीं है।

५ जी हां।

६ विभागीय नियमानुसार जब भी वहां की छात्र संख्या एवं उपयुक्त भवन की उपलब्धि हो सकेगी, वहां की शाला को माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार किया जावेगा।

लड़कियों के लिए हाई स्कूल

४९६. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या हिन्डोन शहर में लड़कियों के लिए हाई स्कूल खोले जाने के लिए कोई योजना है? यदि हां तो वह कब तक पूरी कर दी जावेगी ?

उत्तर

इस वर्ष १९६४-६५ में यह शाला अर्थाभाव के कारण जूनियर हायर सेकन्डरी में परिवर्तित नहीं की जा सकी।

खानों पर कार्य

४९७. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(१) क्या यह सही है कि कितने ही स्थानों पर खानों के कार्य राज्य सरकार के द्वारा किये जाते हैं और कुछ खानों पर ठेकों से प्राइवेट पार्टी द्वारा किये जाते हैं ?

(२) यदि हां, तो कौनसा कार्य कहां कहां पर राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और उसकी व्यवस्था किस प्रकार की है तथा कौन २ सा कार्य प्राइवेट पार्टियों के द्वारा किया जाता है ? तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(३) क्या यह सही है कि चूने के भट्टों को इजाजत माइनिंग विभाग के द्वारा दी जाती है ? यदि हां, तो अब तक कौन से जिले में कहां कहां पर चूने का उद्योग जारी है और उनसे किस प्रकार रोयल्टी की वसूली की जाती है ?

उत्तर

१. जी हां ।

२. वर्तमान में केवल दौसा तहसील में भांकरी की खानों से इमारती पट्टियों का कार्य राज्य सरकार द्वारा संचालित है । अन्य शेष खनिजों का कार्य भिन्न पार्टियों द्वारा किए जा रहे हैं । जो कार्य राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं प्रोजेक्ट प्रणाली द्वारा किया जाता है जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जाने पर कार्य प्रारम्भ किया जाता है ।

३. जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक २० अक्टूबर, १६६४)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५	शीर्ष	(म णसिंह)	(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
७-८	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	श्री कुम्भाराम आर्य द्वारा प्रतिज्ञान
२६	९	च्चे	कच्चे
३५	शीर्षक	प्रनोत्तर	प्रश्नोत्तर
४०	..	प्रश्तोत्तर	प्रश्नोत्तर
५५	२१	उप-मत्री	उप-मन्त्री
६४	३	श्री उमगावसिंह	श्री उमरावसिंह
७३	१४	सम्यूलर्स	सक्यूलर्स
७६	१७	विंजयसिंह	विजयसिंह
७७	शीर्ष	(श्री विजययसिंह झाला)	(श्री विजयसिंह झाला)
८०	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	२३	कृपाया	कृपया
८१	शीर्ष	(श्री रावतराभ)	(श्री रावतराम)
८६व८८	शीर्षक	तारांकित	अतारांकित
८६	शीर्ष	(श्री गोबिन्दसिंह)	(श्री गोविन्दसिंह)
९१	अन्तिम से २	विस्टत	विस्तृत

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६३	२०	(पटना)	(पाटन)
,,	२२	श्री अयध्त्त	श्री अध्यत्त
६७	शीर्ष	मिर्घा)	मिर्धा)
१०३	१४	मिधा	मिर्धा
११६	शीर्षक	बोर्टं	बोर्ड
१२३	,,	ग्रामोद्यग	ग्रामोद्योग
१२५	अन्तिम से ५	रा०	राव
१३३	शीर्ष	(श्री मैंरौंसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
१४२	१	उपाध्यय	उपाध्याय
१४३,१४७	शीर्षक	ग्रामोद्यग	ग्रामोद्योग
१४६	,,	(सशोधन	(संशोधन)
१५५	शीर्ष	(श्री भैंरसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
१६६	१	स्वय	स्वयं
,,	२१–२२	खाद एव	खादी एवं
१६६	१६	(नशीराबाद)	(नसीराबाद)
१७१	१८	गोयल टोंक)	गोयल (टोंक)
१७६	८	श्री रासप्रसाद	श्री रामप्रसाद
१८२	१७	जयपुरर	जयपुर
१८३	शीर्षक	ग्रागोद्योग	ग्रामोद्योग
१८७	शीर्षक	ग्रागोद्योगग	ग्रामोद्योग
१८८	,,	विघेयक	विधेयक
१६०	१६	श्री सतीशन्चद्र	श्री सतीशचन्द्र
२१७-२१८	शीर्षक	योर्ड (संशधन)	बोर्ड (संशोधन)
२१६से२२२	,,	२३ अक्टूबर	२० अक्टूबर
२२४	अन्तिम से ३	श्री एक	एक

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	शुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२२५	शीर्षक	ग्रागोद्योग बोड	ग्रामोद्योग बोर्ड
२३०	२०	श्री मेरवलाल	श्री भैरवलाल
२३१	५	डागी	डांगी
२३५	शीर्षक	२० मक्टूबर	२० अक्टूबर
२३६	२	जाती ै।	जाती है।
		तदनन्तर	[तदनन्तर
२३७	शीर्षक	—	[२३.७
२३७	१	समय–भाव	समयाभाव
,,	३	(ग विन्द गढ़)	(गोविन्दगढ़)
२३८	१५	भखरा	भाखरा
२४८	२०	विरत होने से ते	विस्तृत होने से